खण्ड-168, अंक-2
मंगलवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(13 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

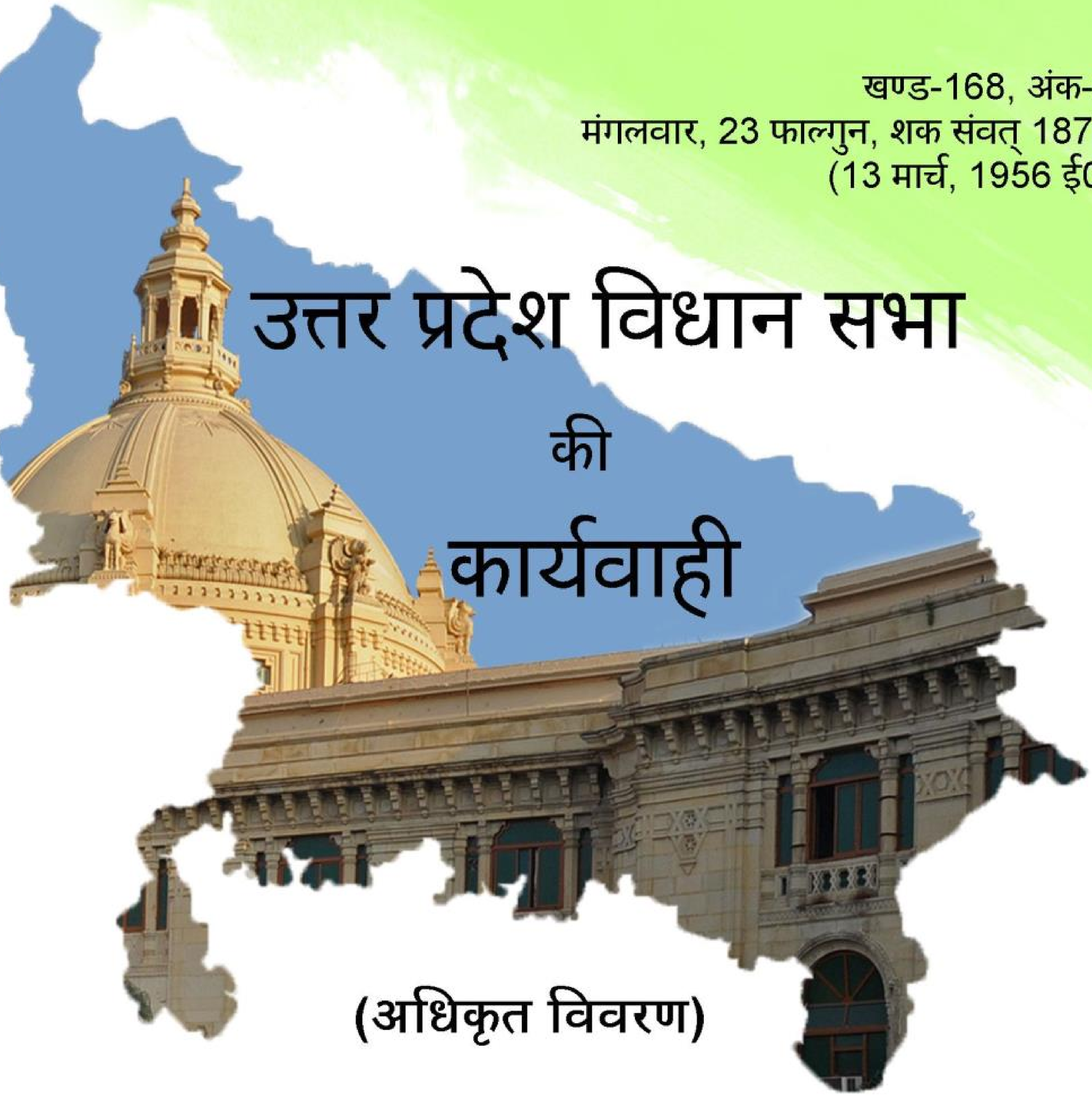

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 168 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

LEGISLATURE LIBRARY 5 JUL 1956

मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८९)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री

जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नारदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री

मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री

शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्यालसिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दनबहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

[६ मार्च, १९५६ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

* * * *

जौनपुर जिले में मुंसिफों की अदालत में विचाराधीन मुकदमे

*८—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मुंसिफों की अदालत में इस समय कुल कितने मुकदमे बकाया में हैं और उनमें कितने छः महीनों से, एक वर्ष से, और दो वर्ष से ऊपर में हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मांगी गई सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५४ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मुकदमों को निपटाने के लिये मुंसिफों की तादाद बढ़ाई गई या नहीं, और बढ़ाई गई तो कब और कितनी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मैं नहीं कह सकता कि आया जौनपुर में कोई तादाद बढ़ाई गई या नहीं, वैसे मुंसिफों की तादाद बढ़ाई जा रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या जौनपुर में इस तादाद की कमी को देखते हुये माननीय मंत्री महोदय उस तादाद को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मामला तो हाईकोर्ट के हाथ में है, वही लोग यदि जरूरत समझते हैं, जहां काम ज्यादा होता है, वहां एडीशनल हैण्ड्स प्रोवाइड करते हैं, सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है।

* * * *

जिला उन्नाव में पंचायतराज इन्सपेक्टर तथा सेक्रेटरीज के रिक्त स्थान

* * * *

*१५—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कितने पंचायतराज इन्सपेक्टर और सेक्रेटरियों के स्थान रिक्त हैं और क्यों ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—उन्नाव जिले में पंचायत इन्सपेक्टर या पंचायत सेक्रेटरी का कोई स्थान रिक्त नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सेक्रेटरियों और इन्सपेक्टरों में कितने अस्थायी हैं और कितने स्थायी ?

श्री अध्यक्ष—यह नया प्रश्न है। इससे संबंध नहीं है। आपने तो रिक्त स्थानों के बारे में पूछा था।

उन्नाव नगरपालिका की लो इनकम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण की मांग

*१६—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव नगरपालिका और जिला कोआपरेटिव विभाग को मध्यम श्रेणी के लोगों को गृह निर्माण के लिये उधार देने को कितने रुपये दिये गये हैं और उनमें कितना कर्ज दिया जा चुका है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मध्यम श्रेणी के लोगों को ऋण देने की कोई स्कीम राज्य सरकार की या केंद्रीय सरकार की नहीं बनी है, इसलिये उन्नाव नगरपालिका को ऐसी स्कीम में रुपया देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६ हजार रुपये सालाना आमदनी वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह जो लो इन्कम गृह स्कीम है उसके अन्तर्गत आते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि इन ६ हजार सालाना आमदनी वाले व्यक्तियों के लिये कोई सहायता जिला संघ या नगरपालिका को दी गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—वहां की नगरपालिका ने कोई इस किस्म की मांग की हो, ऐसा तो मुझको पता नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी के पास उन्नाव से कोई इस तरह की सिफारिश आयी है कि वह नगरपालिका के द्वारा इन मध्यम श्रेणी के लोगों की जो मकान बनवाने चाहते हैं, जमीन की व्यवस्था करे ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अल्प बचत गृह निर्माण सहायता योजना है वह प्रत्येक जिले में लागू नहीं की जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो माननीय सदस्य को कई दफे बतलाया जा चुका है कि लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम पहले कोआपरेटिव के जरिये से चलाने की व्यवस्था की गयी थी। जब वह न चली तो म्यूनिसिपल बोर्डों से कहा गया कि जो तैयार हों कि वह रुपया दे सकेंगे, उनको सरकार यहां से धन देगी, उस धन से जो केंद्रीय सरकार से हमको मिला है लोगों को कर्ज पर देने के लिये। तो जिन जिन बोर्डों ने मांगा और जिन जिन ने कहा कि उनके यहां कुछ रुपया मांगा जा सकेगा और उनके यहां इस्तेमाल हो सकेगा, उनको दिया गया और बाकी सब बोर्डों को नहीं दिया गया।

श्री देवदत्त मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न १६ में मूल बात है नगर पालिका और जिला कोआपरेटिव विभाग, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे जिले के कोआपरेटिव विभाग को इस मद से कितना रुपया दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—कोआपरेटिव विभाग का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल में कुल कोआपरेटिव विभाग को ४० लाख या ५० लाख रुपया दिया गया था कि वे बांटें। जिन्होंने मांगा उनको दिया ?

* * * *

जिला बुलन्दशहर में पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों का निलम्बन

*२६—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि पंचायतों के चुनाव में बुलन्दशहर जिले में कितने सरकारी कर्मचारियों को मुअत्तल व बरखास्त किया गया है और किस किस आरोप में ?

श्री सैयद अली जहीर—केवल ६ कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया।

२ तहसील अमीन, २ ग्राम सेवक, तथा १ सहायक वासिल बाकी नवीस को, मतदान के आंकड़ों में परिवर्तन करने तथा संदिग्ध लेखों के आरोप में तथा १ पंचायत लिपिक को रजिस्टर भाग १ में परिवर्तन करने के संदेह में।

* * * *

जिला बरेली की बहेड़ी नोटीफाइड एरिया में गबन की शिकायतें

*२८—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास बहेड़ी नोटीफाइड एरिया, जिला बरेली के कुछ कर्मचारियों अथवा सदस्यों द्वारा चुंगी के पैसों का गबन किये जाने की गम्भीर शिकायतें आई हैं ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, जिलाधीश बरेली ने इस मामले में जांच करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट कमिश्नर, रुहेलखंड डिवीजन के पास भेजी है, जो अभी उनके विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की ?

श्री कैलाश प्रकाश—वह तो जिलाधीश महोदय ने कमिश्नर महोदय के पास भेजी है। यहां मालूम नहीं कि क्या सिफारिश की है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिलाधीश ने जो कमिश्नर महोदय के पास रिपोर्ट भेजी है उसमें क्या सिफारिश की है ?

श्री सैयद अली जहीर—मालूम होता है कि उन्होंने यह सिफारिश की थी कि कमेटी को सुपरसीड कर दिया जाय।

* * * *

बिजनौर नगरपालिका को विकास कार्य के लिये अनुदान

*४७—**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बिजनौर नगरपालिका को Development कार्य करने को इस वर्ष कितना रुपया दिया गया है और उसे किस किस कार्य में वहां की नगरपालिका खर्च करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस वित्तीय वर्ष में नगरपालिका को केवल २७,६०० रु० का एक अनुदान सड़कों के निर्माण के हेतु दिया गया है।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि जो अनुदान है वह नयी सड़क बनाने के लिये है या पुरानी सड़क की मरम्मत के लिये है और अगर दोनों के लिये है तो कितना-कितना रुपया है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस बात की तफसील तो सरकार यहां से नहीं करती है। यह तो बोर्ड के ऊपर है कि वह रुपया किस तरह से खर्च करना चाहता है और अगर जिलाधीश की इजाजत वह ले ले तो जो चाहे नयी सड़क बनावे, जी चाहे तो पुरानी सड़क की मरम्मत करे।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो रुपया सड़क के बनाने के लिये है उसमें कितने मील सड़क बननी चाहिये, इसका भी अन्दाजा होता है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह बात भी बोर्ड ही के हाथ में है और जिलाधीश के मशविरे से वह बना सकता है जितनी ज्यादा से ज्यादा चाहे उतनी।

बिजनौर नगरपालिका का सरकारी कर्ज लेने से इन्कार

*४८—**श्रीमती चन्द्रवती**—क्या सरकार यह सूचित करने की कृपा करेगी कि बिजनौर नगरपालिका की वाटर वर्क्स लगाने के लिये जो सरकार द्वारा कर्ज लेने के विषय में बातचीत चल रही थी, उसकी प्रगति अब तक क्या हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बिजनौर नगरपालिका ने कर्ज लेने से स्वयं इन्कार कर दिया है।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कर्ज लेने से किन कारणों से इन्कार कर दिया ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस कार्य के लिये जो कर्ज दिया जाता है उसमें यह शर्त होती है कि वह कर्ज अदा करने के लिये एक वाटर टैक्स भी लगायेंगे। म्युनिसिपल बोर्ड ने यह कहा कि वह वाटर टैक्स या वे शर्तें स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं जिन पर वाटर वर्क्स के लिये कर्ज दिया जाता है।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि नगरपालिका का यह कार्य अनैतिक सा है और उसको सुधारने के लिये सरकार कोई कदम उठाने को तैयार है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह अकेले बिजनौर के मुताल्लिक ही नहीं है, यह तो कई जिलों के मुताल्लिक ऐसी शिकायत है। हर मामले का एक वक्त होता है, उसके बाद गौर किया जाता है और फिर कार्यवाही की जाती है। अभी तक तो यह नहीं समझा गया कि कोई कार्यवाही की जाय।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि सरकार की शर्त वाटर वर्क्स लगाने की इतनी सख्त है कि कई म्युनिसिपैलिटियों ने यह रुपया लेने से इन्कार कर दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़ी सी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिन्होंने इन्कार किया है। ज्यादातर म्युनिसिपैलिटियों ने तो निहायत खुशी से यह रुपया लिया है और वाटर वर्क्स लगाया है और टैक्स भी लगाया है। इससे यह कहा जा सकता है कि जिन म्युनिसिपैलिटियों ने यह कर्ज नहीं लिया है, गालिबन वे सही बात नहीं कर रही हैं।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर नगरपालिका की स्थिति घाटे की है या लाभ की ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है कि उसके बजट की क्या हालत है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार स्थानीय निकायों को किस प्रतिशत पर कर्ज देती है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह रुपया तो हमें केन्द्रीय सरकार से कर्ज के रूप में मिलता है और यह शर्त होती है कि उसी सूद पर दिया जाय। जहां तक मुझे ख्याल है केन्द्रीय सरकार ४ प्रतिशत सूद लेती है और उसी सूद पर हम बोर्ड्स को देते हैं

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय निकायों को वाटर वर्क्स के लिये किन शर्तों पर यह रुपया दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष— यह तो उन्होंने पहले ही बतला दिया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिल देवरिया)—अगर कोई म्युनिसिपैलिटी साढ़े बारह प्रतिशत से कम टैक्स लगा कर काम चला ले, तो क्या सरकार उसकी इजाजत दे देगी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो शर्तिया सवाल है और उसकी हालत के ऊपर मुनहसिर है कि आया उस म्युनिसिपैलिटी की क्या हालत है ? मुमकिन है वैसी हालत में सरकार राजी हो जाय अगर वह बिना ज्यादा टैक्स लगाये अपना कर्जा अदा कर सके और अपनी जरूरियात को भी पूरा कर सके।

* * * *

झांसी चुंगी क्षेत्र का कथित विस्तार

*५८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र में आस-पास के कुछ गांव शामिल कर दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कौन कौन ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी को पता कि झांसी के इर्द-गिर्द के गांवों में पंचायतों का चुनाव इसलिये नहीं कराया गया कि वह म्युनिसिपल क्षेत्र में मिलाये जाने वाले हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी, सम्भव है ऐसा हो।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी को पता है कि म्युनिसिपल बोर्ड उक्त गांवों से चरू वसूल करने लगी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, इसकी सूचना मुझे नहीं है। इसका पता लगाया जायगा।

*　　*　　*　　*

चुनार नगरपालिका में जलकल निर्माण में विलम्ब

*६१—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि चुनार की नगरपालिका ने जल-कल की व्यवस्था के लिये सरकार से प्रार्थना की है और उसके लिये नियमत: पर्यवेक्षण के हित शुल्क भी जमा कर दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग आंक (Project) बना रहा है।

*६२—श्री राजकुमार शर्मा—क्या यह सही है कि चुनार नगरपालिका ने स्वास्थ्य विभाग से नलकूप निर्माण की सहायता के लिये आर्थिक मांग की है? यदि हां, तो उसकी मांग कब तक पूरी होगी और उस पर कहां तक कार्यवाही हुई है?

श्री कैलाश प्रकाश—नगरपालिका ने स्वास्थ्य विभाग से २०,००० रु० का अनुदान तथा ३,००,००० रु० का कर्ज मांगा था। नगरपालिका को सूचित कर दिया गया है कि आंक बन जाने पर स्वास्थ्य विभाग अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करेगा और कर्ज के लिये सरकार से पत्र-व्यवहार करे।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनार नगर पालिका ने यह मांग कब से की है और कब से यह बन रहा है और कब तक बन जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश—१९५१ में चुनार नगरपालिका से प्रार्थना-पत्र इस बोर्ड के पास आया था, तब से यह विषय चल रहा है और अब उसका प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि चुनार म्यूनिसिपैलिटी ने ४,३३३ रुपया फीस जमा कर दी है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५१ में आवेदन-पत्र दिया गया है तो इतनी देर कार्यवाही करने में क्यों लगाई?

श्री कैलाश प्रकाश—यह जो आंक बनाने के लिये फीस दी जाती है, इस म्यूनिसिपैलिटी ने एक किस्त २६ नवम्बर, १९५४ को जमा की और दूसरी किस्त २६ अगस्त, १९५५ को जमा की।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुनार म्यूनिसिपैलिटी ने जो ३ लाख रुपया कर्जा मांगा और २० हजार अनुदान मांगा तो क्या उसने कोई प्लान बना कर भेजा था या यों ही?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो कोई म्यूनिसिपैलटी किसी काम के लिये प्रार्थना-पत्र देती है तो कहती है कि हमारे यहां यह काम होना है। इतना रुपया दिया जाय। उनसे कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसकी फीस होती है और जब वह फीस जमा हो जाती है तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनता है और विचार होता है कि कितना रुपया दिया जाय।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त नगरपालिका को पानी का बड़ा कष्ट है, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस कार्यवाही में शीघ्रता करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, वहां पानी की तकलीफ जरूर है और यह कोशिश है कि जल्दी की जाय। लेकिन कुछ तो कुदरती कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से देर हो रही है और एक बात यह है कि काम एल० एस० जी० में इतना ज्यादा हो गया है कि बाज वक्त ऐसे कामों में देर हो जाती है। वैसे हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आर्थिक सहायता वाटर वर्क्स के लिये दी जाती है, वह स्वास्थ्य विभाग और एल० एस० जी० दोनों से दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो बहुत पुराना रिवाज चला आता है। पहले यह काम हेल्थ डिपार्टमेंट में था और वहीं से ग्रान्ट दी जाती थी। उसी तरह से यह अब भी चला आता है।

* * * *

हाईकोर्ट इलाहाबाद के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने का विचार

*६५—**श्री गौरीराम** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की समस्या उसके विचाराधीन है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

* * * *

जिला गोंडा में मोतीगंज-डुमरियाडीह सड़क की शोचनीय दशा

*७०—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में जो सड़क मोतीगंज स्टेशन से डुमरियाडीह को जाती है, इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण कई जगहों से कट गयी है जिससे यातायात रुका है? अगर जवाब हां में है, तो क्या सरकार उक्त सड़क को शीघ्र मरम्मत करने जा रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—यह ठीक है कि जिला गोंडा की मोतीगंज से डुमरिया डीह को जाने वाली सड़क इस वर्ष बरसात में कई जगह पर कट गई थी, परन्तु अब उस सड़क की मरम्मत हो गई है और यातायात में कोई रुकावट नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार को यह पता है कि उक्त सड़क दो जगहों पर ऐसी कट गई है कि बरसात में आवागमन बन्द रहेगा?

श्री सैयद अली जहीर—आइन्दा की बात तो मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा।

श्री गंगाप्रसाद—तो क्या सरकार के पास जो इत्तला आई है वह अधूरी है? अगर अधूरी है, तो क्या सरकार दोनों जगहों पर पुल बनवाने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—पूछा यह गया था अब तक उसकी क्या हालत है। उसके मुताल्लिक जवाब दिया गया कि कट गई थी और उसकी मरम्मत हो गई है और अब यातायात में कोई रुकावट नहीं है। आइन्दा क्या होगा, यह मैं कैसे बता सकता हूं।

*७१—**श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र** (जिला कानपुर)—[स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा नगरपालिका के क्षेत्र को बढ़ाने की प्रार्थना

*७२--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या अल्मोड़ा नगरपालिका ने राज्य सरकार से अल्मोड़ा कैन्टूनमेंट सेनीटरी क्षेत्र के लगभग १०० एकड़ भूमि को, जो उसके क्षेत्र से संलग्न है, अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित करने की योजना स्वीकार करने की प्रार्थना की है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी, मेरे इस प्रश्न को आवेदन के रूप में मान कर, इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें विचार करने को क्या रह गया है। पहले नगरपालिका ने कहा था वह यह लेगी, लेकिन जब सरकार ने कहा कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है तो वह राजी हो गये कि वह उसको नहीं लेंगी। मामला खत्म हो गया और अब इसमें गौर करने की कोई बात नहीं है।

* * * *

*७५--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[२० मार्च, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

[मंगलवार, १३ मार्च, १९५६ के लिये रखे गये प्रश्न।]

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२० मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में फुगाना ग्राम में नाला बनाने में बाधा

*४--श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम फुगाना, परगना कांधला, जिला मुजफ्फरनगर के चारों ओर बरसाती पानी भर जाने के कारण वहां के निवासियों को अत्यन्त कष्ट होता है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--जी हां, ग्राम फुगाना के तीन ओर तालाब हैं और उनमें से एक तालाब ग्राम के ठीक मध्य में है जिसके कारण वर्षा ऋतु के महीनों में बरसाती पानी इन तालाबों में भर जाता है और गांव के चारों ओर पानी भर जाता है।

*५--श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार इसका प्रबन्ध शीघ्र करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--१९५४-५५ में फुगाना नाली के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया था, परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य स्थगित करना पड़ा। भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है और प्राप्त होने पर कार्य शीघ्र ही सम्पन्न कर दिया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कब प्रारम्भ की गई और उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति--इसकी तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उन्होंने रिक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू कर दी है। उनकी यह खबर है कि जल्दी ही यह कार्य होने वाला है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पानी के निकास की नाली बनाने के लिये वहां के ग्रामवासियों से भी कुछ रुपया लिया जायगा या नहीं ?

श्री राममूर्ति—अभी इसके बारे में कोई निश्चय नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात होगी तो उसी वक्त तय किया जायगा कि उनसे रुपया लिया जाय या नहीं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह नाली बनानी प्रारम्भ कर दी गयी थी, तो मुख्य कारण क्या थे जिनके कारण इसको स्थगित कर देना पड़ा।

श्री राममूर्ति—मैंने उत्तर में जवाब दिया कि चूंकि भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी, इसलिये वह काम रोक देना पड़ा।

जिला जौनपुर में ग्राम सुरतासापुर और सिकरारा के बीच नहर का मार्ग परिवर्तन

*६—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सुरतासापुर और सिकरारा के बीच में नहर की जो दागबेल लगी थी और जिसके लिये किसानों से खेत खाली रखने को कहा गया था वह अब क्यों घुमा कर किसानों की बोयी हुई फसल से निकालीं जा रही है ?

श्री राममूर्ति—नहर के पुराने मार्ग को इस कारण बदलना पड़ा कि नहर के प्रतापगढ़ जौनपुर पक्की सड़क पर पढ़ने वाले पुल के उत्तर की ओर ६ डिग्री की गोलाई देना आवश्यक था। इस गोलाई को देने के पश्चात् यदि पुराना मार्ग रक्खा जाता तो उसमें सकरारा ग्राम का एक घर पड़ता था। इसको बचाने के लिए नहर के मार्ग को एक छोटा-सा मोड़ देना पड़ा।

*७—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जहां से नहर का मार्ग बदला गया है वहां से पुराने मार्ग की लम्बाई क्या थी और नये मार्ग की लम्बाई क्या है तथा कितने एकड़ भूमि पहले मार्ग के लिये ली गई थी और अब कितने एकड़ भूमि नये मार्ग के लिये ली जायेगी?

श्री राममूर्ति—पुरानी दागबेल में नहर की कुल लम्बाई ४,१६० फीट थी तथा अब दागबेल परिवर्तित होने पर नहर की लम्बाई ४,२६० फीट होती है। पहली अवस्था में ११.४६ एकड़ भूमि की आवश्यकता होती तथा अब ११.७३६ एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

*८—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पहले मार्ग और बदले हुये मार्ग में किस मार्ग की सतह अपेक्षाकृत कितनी ऊंची है और क्या पहले मार्ग वाले किसानों को भी फसल बोने से रोक देने का मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री राममूर्ति—दोनों दागबेलों की सतह में कोई अन्तर नहीं है। उन फसलों का मुआवजा जिनका काटना पूर्ण रूप से आवश्यक है वितरण किया जा रहा है। पहली दागबेल पर ऐसा कोई भी खेत बोया जोता जाने से नहीं छोड़ा गया जो कि काम में न लाया गया हो।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पहली दागबेल के परिवर्तित होने से जो १०० फीट के करीब नहर की लम्बाई बढ़ गयी, और रकबा लेने से उसका रकबा भी बढ़ गया, तो इस सब में सरकार का कुल कितना खर्च पड़ा?

श्री राममूर्ति—इसमें खर्चा कुछ नहीं पड़ा। करीब १.९३ एकड़ ऊसर भूमि इसमें पड़ गयी जिसकी वजह से खर्चा कुछ नहीं पड़ा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह जानना चाहता हूं कि नहर की लम्बाई बढ़ाने में जो खर्चा किया गया वह कितना हुआ, क्योंकि नहर की लम्बाई १०० फीट बढ़ गयी?

श्री राममूर्ति—मेरा ख्याल ऐसा है कि चूंकि कुछ मुआवजा बच जायगा, तो कोई ज्यादा खर्चा होगा नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस किसी अधिकारी की गलती से पहली दागबेल लगाई गयी थी जिसको बाद में बदलना पड़ा जिस अधिकारी की पहली दागबेल लगाने में टेक्नीकल गलती थी उसको क्या सजा दी तो गयी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, इसमें कोई गलती की बात नहीं है। कई बार दागबेल लगती है। जौनपुर जिले में नई नई नहर निकल रही है। इसलिये माननीय सदस्य को उसका विशेष अनुभव नहीं है। १० बार दागबेल लगाई जाती है और १० जगह से लेविल लिया जाता है और अन्त में जो लेविल तय होता है वह चीफ इंजीनियर या सुपरिंटेंडिंट इंजीनियरग तय करते हैं। इसलिये गलती का कोई सवाल नहीं है। इधर से नापा जाता है और उधर से नापा जाता है। देखते हैं कि कौन खेत जाता है किस का मकान जाता है। हरा भरा खेत बचाया जा सकता है तो उसको बचाया जाता है और उसके आस पास से उसर जमीन लेने की कोशिश की जाती है। इस तरह से मन्थन होने के बाद निर्णय होता है। इसमें गलती का सवाल नहीं है।

*९-११—श्री नारायण दत्त तिवारी—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२-१४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जुडीशियल मजिस्ट्रेट परगना धोश, घोसी, जिला आजमगढ़ के पास नलपुर के धारा १४५ के अन्तर्गत विचाराधीन के मुक़दमे

*१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, तहसील घोसी, परगना नलपुर के कितने मुकदमे हाकिम परगना घोसी तथा जुडीशियल मजिस्ट्रेट, घोसी के यहां धारा १४५ जाब्ता फौजदारी के अनुसार इस समय चल रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—२६।

*१६—श्री उमाशंकर—क्या न्याय मंत्री यह बतायेंगे कि इन मुकदमों में कितने ऐसे हैं जिनको चलते एक वर्ष से अधिक हो रहा है?

श्री सैयद अली जहीर—कोई नहीं।

श्री उमाशंकर—२६ मुकदमे जो चल रहे हैं वे कितनी बार खारिज किये गये थे और उनकी तजवीजसानी करके फिर से चलाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे इस वक्त नहीं मालूम है।

श्री उमाशंकर—क्या न्याय मंत्री जी इस बात का पता लगावेंगे कि ये दोनों अदालतें अकसर जब मुकदमे पुराने हो जाते हैं तो उन्हें खारिज देती हैं और फिर से नया मुकदमा होने से मियाद कम हो जाती है और इसलिये मियाद कम है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे इसकी जरुरत नहीं मालूम पड़ती है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी इत्तिला है तो वह मुझे दें और मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा।

जिला गाजीपुर में कारों ग्राम के समीप रेगुलेटर्स लगाने पर व्यय

*१७—**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ विभाग द्वारा कारों मौजे के पास गाजीपुर में कितने रेगुलेटर लगाये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बलिया जिले में कारों ग्राम के समीप कारों ताल पर न कि गाजीपुर जिले में केवल एक रेगुलेटर सरकार ने नलकूप विभाग, आजमगढ़ द्वारा उक्त तालाब से सिंचाई के लिये निर्माण कराया है।

*१८—**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इन रेगुलेटरों को बनाने में कितना धन व्यय किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस (उपरोक्त) रेगुलेटर के निर्माण एवं कारों ताल के चुर्मुखी बांध की मरम्मत में कुल ४,४१६ रु० व्यय हुआ है।

*१९—**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में बन्धियों के रेगुलेटर्स इतने छोटे लगाये गये हैं कि पानी नहीं निकलता और बखां मौजे के बांध के कारण कई गांवों में पानी घर के अन्दर घुस गया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गाजीपुर जिले में कोई भी छोटा रेगुलेटर नहीं बनाया गया था। सभी रेगुलेटर इस प्रकार बनाये गये थे कि साधारण बाढ़ का पानी आसानी से निकल सके। ग्राम बरवा (तहसील सैदपुर) में जो बांध जनवरी, १९५५ में बनाया गया था और जिसमें पानी के निकास के लिये एक रेगुलेटर बनाया गया था। वह बांध १९५५ की भयंकर बाढ़ में ग्रामवासियों के काट देने के कारण टूटा था। सन् १९५५ में सैदपुर तहसील की नदियों में बहुत बड़ी तथा अपूर्व बाढ़ आई थी। रेगुलेटर की चौड़ाई औसत बाढ़ का पानी निकालने के लिये नियत की गई थी, अतः १९५५ की बाढ़ के लिये यह रेगुलेटर अवश्य छोटा प्रमाणित हुआ।

हरिद्वार अर्धकुम्भी की तिथि में मतभेद

*२०—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से हरद्वार का अर्ध कुम्भी पर्व सन् १९५७ के अप्रैल महीने में होना चाहिये?

श्री कैलाश प्रकाश—इस सम्बन्ध में सरकार के पास विभिन्न विद्वानों तथा धार्मिक संस्थाओं एवं संगठनों से जो सम्मतियां समय-समय पर आई हैं उनके आधार पर सरकार इसी निश्चय पर पहुंची है कि यह मेला अप्रैल, १९५६ में ही किया जाय।

*२१—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या सरकार का विचार इस पर्व को सन् १९५६ में करने का है? यदि हां, तो इसका क्या आधार है?

श्री कैलाश प्रकाश—उपर्युक्त उत्तर में जो कहा गया है, उसके पश्चात् यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि काशी और उज्जैन के पंडितों ने यह व्यवस्था दी थी कि संक्रान्ति सन् ५७ में जो होगी, उस पर ही अर्ध कुम्भ का योग पड़ताहै?

श्री कैलाश प्रकाश—कुछ मत यह भी था कि सन् ५७ में होना चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—हरिद्वार के विद्वानों का इसमें क्या मत था?

श्री कैलाशप्रकाश—उनका मत यह था कि सन् ५६ में होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास कौन सा ऐसा ज्योतिष विभाग है जिसके द्वारा उसने जांच की कि पंडितों की रिपोर्ट सही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार के पास अपना कोई जांच विभाग नहीं है। सबकी सम्मतियां हैं और जो आवेदन-पत्र आये हैं उन सबके आधार पर सरकार ने सन् ५६ का निर्णय किया है।

कुशीनगर स्तूप वाली सड़क में प्राप्त भूमि का मुआविजा

*२२—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि कुशीनगर स्तूप वाली सड़क में निकली हुई जमीनों का मुआवजा किसानों को कब तक मिल जायेगा और किस रेट से ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—इन जमीनों का मुआवजा किसानों को २० मार्च, १९५६ तक मिल जायगा। यह मुआवजा टेनटेटिव रूल्स आफ कम्पेंसेशन जो भूमि सुधार आयुक्त द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार लगाया गया है।

*२३—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या यह सही है कि जो जमीने सड़क में ली गई हैं उनका लगान किसानों से अब भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, जमीनों के मुआवजे के वितरण के पश्चात् ली गई भूमि के लगान का नक्शा तैयार करके लगान माफ की जावेगी और पहले के लगान की छूट भी भूस्वामियों को उनके आगामी लगान में दी जावेगी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क में कुल कितनी जमीन ली गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार उन किसानों को जमीन के बदले जमीन देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न इसके संबंध में विचार ही किया गया है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—कसिया की सड़क के लिये जो जमीन ली गई है वह कब से ली गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१०-२-५३ को इसका कब्जा हमें मिला है और इसका ऐवार्ड फरवरी, सन् ५६ में डिक्लेयर हुआ है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी किसानों की कठिनाइयों को समझते हुये, यह व्यवस्था करेंगे कि जितने दिन जमीन का लगान किसानों से गैर कानूनी तरीके से वसूल किया गया उसका सूद भी उन्हें प्राप्त हो ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वह तो मैंने प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में कह ही दिया है।

*२४-२६—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—[३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला फैजाबाद में पंचायत राज मंत्रियों का बकाया वेतन

*२७—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्या फैजाबाद जिले में पंचायतराज मन्त्रियों में कुछ का १९५०–५१, १९५१–५२ तथा १९५२–५३ बजट वर्ष का भी वेतन बकाया है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

*२८—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सन् १९५४–५५ बजट वर्ष के पूर्व का कुल कितना धन पंचायत राज मंत्रियों के वेतन के रूप में बकाया है?

श्री कैलाशप्रकाश—१९५४–५५ के पूर्व कुल ३९,४७१ रु० २ आना बकाया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया बाकी है?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो प्रश्न संख्या २८ में है कि ३९,४७१ रुपये २ आने सन् ५४–५५ से पहले बकाया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार इस बाकी रुपये की अदायगी का कोई प्रबन्ध कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न विचाराधीन है और कोई प्रबन्ध किया जायगा।

अनिर्णीत मुकदमों के लिये नये जजों और मुंसिफों की नियुक्ति

*२९—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है कि सरकार ने हाई कोर्ट की राय पर १६५ नये मुन्सिफ और ३६ नये जज नियुक्त करने का निश्चय किया है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। सरकार का उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच (U. P. Civil Service, Judicial Branch) के काडर (Cadre) में अप्रैल १, १९५६ से केवल ४४ जगहें (Post) को बढ़ाने का विचार है। इन जगहों पर नियुक्ति अगले दो-तीन साल में होगी।

*३०—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि वह इन मुन्सिफ व जजों की अदालतों accommodation के विषय में क्या करने का विचार रखती है?

श्री सैयद अली जहीर—इस सम्बन्ध में मुनासिब कार्यवाही यथा समय की जायगी।

*३१—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार राज्य के हाईकोर्ट तथा अन्य न्यायालयों में पड़े अनिर्णीत मुकदमों के disposal के लिये कोई व्यवस्था करने जा रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री सैयद अली जहीर—मुकद्दमों का जल्दी फैसला होना हाई कोर्ट से संबंध रखता है और इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट अनिर्णीत मुकद्दमों का जल्दी फैसला हो जाने के लिये काफी कोशिश भी कर रहे हैं?

आजमगढ़ जिला बोर्ड द्वारा बाढ़-क्षति के कारण अनुदान की मांग

*३२—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ के जिला बोर्ड तथा सदस्य विधान सभा की तरफ से जिला बोर्ड को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पाठशालाओं तथा पुलियों की मरम्मत के लिये कुछ रकम मांगी गई? यदि हां, तो कितनी?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, एक लाख रुपये का विशेष अनुदान अहरौला से अम्बारी तक जहां जहां वह सड़क टूट गई है अथवा जहां जहां पुल टूट गये हैं, उनके बनवाने के लिये मांगा गया है।

*३३--**श्री व्रजविहारी मिश्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने उक्त जिला बोर्ड को इस सम्बन्ध में कुछ अनुदान देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में १९५४-५५ की बाढ़ से बहुत-सी सड़कों को क्षति पहुंची थी जिसके लिये १३ लाख रुपये की मांग जिला बोर्ड ने की है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह मालूम था कि वहां की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है लेकिन यह मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि कितना रुपया मांगा गया था।

श्री व्रजविहारी मिश्र--अन्तिम निर्णय कब तक होगा और इस वर्ष कितना रुपया जिला बोर्ड को अनुदान के रूप में मिलेगा ?

श्री सैयद अली जहीर--२, ४ दिन में हो जायगा।

बाढ़ के कारण, जिला आजमगढ़ में, टोंस नदी के पुल को क्षति

*३४--**श्री व्रजविहारी मिश्र**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ शहर में टोंस नदी पर स्थित बड़ा पुल, तथा सिधारी का पुल, जो गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये हैं, की मरम्मत कराने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है अथवा सरकार का विचार कोई नया पुल बनवाने का हो रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, इन पुलों के रिमाडल करने के सम्बन्ध में यथोचित सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद ही यह निश्चय हो सकता है कि इन पुलों को रिमाडलिंग की आवश्यकता है या किसी नये पुल की। इन स्थानों पर नया पुल बनवाने की अभी कोई योजना नहीं है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ शहर से स्टेशन जाने वाली मेन रोड को गत वर्ष बाढ़ से बहुत बड़ी हानि हुई है और उस पर बना हुआ नया पुल भी टूट गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सत्य है कि उस सड़क को हानि हुई है और उस सड़क पर बने पुल का कुछ हिस्सा टूट गया है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ८ मास व्यतीत हो जाने पर भी वह सड़क और पुल उसी दशा में क्यों पड़े हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, उसका कारण है। प्रारम्भ में उसके लिये इंक्वायरी कमेटी बैठायी गयी थी जिसने स्थान पर जाकर उसकी तहकीकात की। उस इंक्वायरी कमेटी के कथनानुसार उसकी डिटेल्ड सर्वे कराना आवश्यक हो गया। अतः आजकल डिटेल्ड सर्वे हो रहा है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आगामी वर्षा ऋतु तक इस पुल और सड़क की मरम्मत हो जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह कहना बहुत कठिन है क्योंकि अभी सर्वे हो रहा है, फिर ऐस्टीमेंट्स बनेंगे, जब वे स्वीकृत हो जायेंगे तब यह कार्य हो सकेगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि अगर यह सड़क बरसात तक नहीं बन जाती, तो शहर और स्टेशन का मार्ग बिल्कुल बन्द हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सही है, लेकिन दूसरा मार्ग भी स्टेशन के लिये है। जहां तक इस सड़क का सम्बन्ध है उसके बन जाने में कठिनाई अवश्य मालूम पड़ती है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार इसको इमरजेंसी समझकर, इसकी १५ दिन में जांच करा कर रिपोर्ट मंगवा लेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—रिपोर्ट तो आ गयी। मैं समझ नहीं सका कि माननीय मित्र का कौन सी रिपोर्ट से मतलब है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर से स्टेशन के लिये केवल यही मार्ग है तथा इस मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जहां तक मुझे ज्ञात है, एक दूसरा मार्ग दूसरे पुल की तरफ से है। यदि यही मार्ग है तो यथाशीघ्र इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जायगा।

*३५-३७—**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा जिले की तहसीलों में पंचायतों के आम चुनाव के फलस्वरूप इलेक्शन पिटीशन

*३८—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की प्रत्येक तहसीलों में पंचायतों के आम चुनाव के उपरान्त कितने Election Petition फायल हुये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् इस जिले की विभिन्न तहसीलों में दायर हुए इलेक्शन पिटीशनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	संख्या पेटीशन
१	आगरा	२०
२	ऐतमादपुर	३८
३	फीरोजाबाद	३२
४	बाह	२८
५	फतेहाबाद	२५
६	खैरागढ़	१९
७	किरावली	३१
	कुल जोड़	१९३

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार को यह विदित है कि इन पिटीशनों में अधिकतर शिकायतें यह थीं कि वहां के प्रोसाइडिंग आफीसर्स और रिटर्निंग आफीसर्स ने ईमानदारी से काम नहीं किया ?

श्री कैलाशप्रकाश--ये पिटीशन्स किन-किन आधार पर थीं, अभी उनका पूरा ब्योरा सरकार के पास नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी और जिन अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें हैं, उनको यहां से हटाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में आपने यह नहीं बताया कि अभी तक इलेक्शन पिटीशन्स का फैसला हुआ या नहीं हुआ। जो चीज इलेक्शन पिटीशन में मौजूद है उसके बारे में सरकार पहले ही दंड दे दे, इस बात के पूछने की इजाजत मैं नहीं दे सकता।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि जहां की शिकायतें हैं उसी क्षेत्र में वे लोग मौजूद हैं, तो एलेक्शन पिटीशन के फैसले उचित रूप से नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष--तो आप प्रश्न फिर से ठीक करके कीजिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें इलेक्शन पिटीशन की की गई हैं और एक से अधिक की गई हैं उनको उस क्षेत्र से हटाने पर विचार करेगी जब तक कि इलेक्शन पिटीशन का फैसला नहीं हो जाता ?

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है मखसूस हालतों में जिलाधीश की नोटिस में लाया जाय। जहां यह समझा जायगा कि इलेक्शन पिटीशन का फैसला इंसाफ के तरीके से उस अधिकारी की मौजूदगी में नहीं हो सकता, वहां जरूर इस पर गौर करेंगे और मुनासिब कार्यवाही करेंगे, लेकिन जहां यह समझते हैं कि उसकी मौजूदगी से कोई असर नहीं पड़ता, वहां कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। कोई आम जवाब इसका नहीं दिया जा सकता।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिलाधीश को देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह तो उनके पास हमेशा से हैं और इस प्रकार की कार्यवाही रोज किया करते हैं।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये इलेक्शन पिटीशंस जो आगरा में इतनी ज्यादा तादाद में आये हैं उसका एक विशेष कारण यह है कि सीक्रेट बैलट द्वारा चुनाव नहीं हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं। जहां सीक्रेट बैलट द्वारा चुनाव होता है वहाँ प्रतिशत संख्या इलेक्शन पिटीशन्स की ज्यादा होती है।

जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील हाथरस में विभिन्न स्थानों पर पानी का निकास न होने के कारण फसल का नुकसान

*३९--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस तहसील, जिला अलीगढ़, के अन्तर्गत गारवगढ़ी, नौपुरा, रहना, रछनिया आदि समीपी गांवों के पानी का निकास न होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ फसल वर्षा में डूब जाती है ?

श्री राममूर्ति--साधारणतः इन ग्रामों में सामान्य वर्षा के सालों में फसल को कोई क्षति नहीं होती। गत वर्ष अक्तूबर मास में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कुछ क्षेत्र में बरसाती पानी रुक गया था और वहां फसल को हानि पहुंची थी।

*४०--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पानी के बहाव के लिये कोई नाला बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी और इस पर कितना रुपया व्यय होगा?

श्री राममूर्ति--इस क्षेत्र के बरसाती पानी के निकास के हेतु प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही सर्वे किया जावेगा। पूर्णरूप से सर्वे हो जाने के पश्चात् ही कार्य की लागत का पता हो सकेगा।

*४१--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हाथरस के अन्तर्गत एहन, वेरगांव आदि समीपी गांवों में वर्षों के दिनों में महीनों के लिये चारों ओर के रास्ते पानी भर जाने से बन्द हो जाते हैं? यदि हां, तो इस पानी के निकालने के लिये सरकार की क्या योजना है?

श्री राममूर्ति--सामान्य वर्षा के वर्षों में कच्चे मार्ग (गाड़ी के रास्ते) पर पानी नहीं भरता है। गत वर्ष माह अक्तूबर में असाधारण वर्षा होने के कारण गांवों की ओर जाने वाली कच्चे मार्ग पर कुछ बाढ़ आ गई थी जिसकी रोक के हेतु नालियों के निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यह सत्य है कि पिछले तीन वर्षों से मैंने स्वयं ही इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र भेजे हैं कि वहां आने-जाने का रास्ता रुक जाता है?

श्री राममूर्ति--इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है अगर आप नोटिस दें तो इसके बारे में मालूमात की जा सकती है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुमानतः यह सर्वे कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री राममूर्ति--बाढ़ रक्षा सम्मेलन जब हुआ था उसमें कुछ निश्चय हुए हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। जैसे ही वह आयेगी उसके बाद सर्वे का काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि पिछली बार मैंने एक दफा लिखा था कि वर्षा के दिनों में चार महीने में ऐसा हो जाता है इस इलाके में, वहां कोई गाड़ी, सवारी या आदमी नहीं जा सकता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, आपने लिखा था और दो-एक बार बीच में कहा भी, तो वहां हमारा सब डिवीजन कायम हो रहा है। सर्वे उसका हो तो इस काम को हाथ में लेने और बनाने का सरकार का इरादा है।

जिला बलिया में कुछ ग्रामों को बाढ़ से बचाने के हेतु ऊंचा करने की योजना

*४२--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में किन-किन ग्रामों को जो पिछले कई वर्षों से प्रति वर्ष नदी घाघरा एवं टोंस के बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं, ऊंचा करने को सोच रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बलिया जिले में घाघरा और टोंस नदियों के किनारे जिन बाढ़ पीड़ित ग्रामों का स्तर ऊंचा किया जा रहा है उसकी एक सूची मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५५-१५६ पर)

चन्दौसी-सकलडीहा-सैदपुर सड़क का निर्माण और गंगा नदी पर पुल

*४३--**श्री देवराम** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चन्दौसी-सकलडीहा-सैदपुर सड़क की original scheme और Estimate क्या थे और कहां तक सड़क का निर्माण हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस सड़क की ओरिजनल स्कीम के अन्तर्गत १९ मील २ फर्लांग सड़क बनारस जिले में और १ मील २ फर्लांग २१० फीट सड़क गाजीपुर जिले में निर्माण होने थे। इसमें से १८ मील ७॥ फर्लांग बनारस जिले में और ४ फर्लांग गाजीपुर जिले में निर्माण हो चुके हैं, शेष भाग गंगा की रेती में पड़ता है। इसका अनुमानित व्यय ७,२३,००० रुपये था।

*४४--**श्री देवराम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चन्दौसी-सकलडीहा-सैदपुर सड़क पर गंगा नदी पर पैन्टून ब्रिज बनवाने की कोई सरकार के सामने योजना थी ? यदि हां, तो वह पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं। गंगाघाट का प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव सरकार के सामने आया था किन्तु धन के अभाव के कारण वह अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देवराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर हिस्से में कहीं भी रेत नहीं है किनारे तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसा तो नहीं मालूम होता, श्रीमन्। बल्कि जहां पर रेत है तथा जो नदी का हिस्सा है उसी में अभी कार्य रुका पड़ा है।

श्री देवराम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बालू पर बिछाने के लिए आयरन प्लेट्स के लिए ३५ हजार रु० सैंक्शंड था और किनारे पर दोनों तरफ वार्फ बनाने की भी व्यवस्था थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। इसके सम्बन्ध में कुछ विचार अवश्य किया गया था। किन्तु वह कुछ कठिन मालूम हुआ। इसीलिए आज वह मुख्य अभियंता के यहां इसके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। जैसे ही यह निश्चित हो जायगा कि रेत पर तथा नदी के तट पर कैसे कार्य किया जाय वैसे ही वह कार्य सम्पन्न हो जायगा।

श्री देवराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह पैटून ब्रिज के बारे में पुनः विचार करेंगे, जिससे चन्दौसी तथा सैदपुर दोनों तहसीलों का आवागमन सुगम हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस पुल के बनाने में श्रीमन् करीब-करीब ५ लाख २८ हजार रुपये का खर्चा है और वह इस समय उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदि धन कहीं से उपलब्ध हो जाय तो वह पुल बनाया जा सकता है।

*४५-४६--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--[३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४८--श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--[१४ मार्च, १९५६ के लिये प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४९-५०--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१-५३--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५४-५५--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--[३ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

तहसील निघासन, जिला खीरी में सड़कें

*५६--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी में कौन-कौन सी सडकों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के संरक्षण में लेने का उसका विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--तहसील निघासन में जो सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बनाई जा रही हैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य सड़क को विभाग के संरक्षण में लेने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगन्नाथप्रसाद--क्या सरकार को पिछले वर्षों में जिला बोर्ड, खीरी का कुछ प्रस्ताव तहसील निघासन की कुछ सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने का प्राप्त हुआ था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसकी मुझे सूचना नहीं है।

तहसील बिठूर, जिला कानपुर में नाव दुर्घटना

*५७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १६ सितम्बर, १९५५ को तहसील बिठूर, जिला कानपुर में कोई नाव डूब गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसमें कितने आदमी मरे और कितने लापता हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां। १६ सितम्बर, १९५५ को बिठूर, जिला कानपुर में एक नाव डूब गयी थी। नाव पर सवार यात्रियों में से एक स्त्री और १ बच्चे का पता नहीं चला। ऐसा ख्याल किया जाता है कि वे डूब कर मर गये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि जो नाव डूबी थी उसमें और भी सवारियां थीं या केवल दो ही आदमी थे ?

श्री कैलाशप्रकाश--और भी सवारियां थीं। और कुल सवारियां शायद छः थीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि इसी प्रकार की घटना उस घाट पर प्रायः होती है।

श्री कैलाशप्रकाश--इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है कि प्रायः ऐसा होता है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह दी का घाट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत चल रहा था ?

श्री कैलाशप्रकाश--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस नाव दुर्घटना का कारण क्या था ?

श्री कैलाशप्रकाश--दुर्घटना का कारण जो हुआ करता है कि दरिया में फंस गई और दुर्घटना हो गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो दो आदमी मरे हैं ये कहां के थे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह इत्तला इस वक्त नहीं है।

प्रदेश में मजदूरों के निवास स्थान

*५८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में कौन-कौन से शहरों में वह मजदूरों के रहने के लिये मकान बना रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-योजना (Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers) के विभिन्न सोपानों (different phases) के अन्तर्गत निम्नलिखित शहरों में मजदूरों के लिये मकान बनाए जा रहे हैं।

कानपुर, लखनऊ, बरेली, रामपुर, गोरखपुर, नैनी, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सहारनपुर।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितने मकान अब तक बन चुके हैं और कितने पंचवर्षीय योजना में बन जायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--जैसा मैंने पहले निवेदन किया ४ फैज्ज में ये मकान बनने हैं। पहले सोपान में २,७७६ बन चुके हैं, दूसरे सोपान में ३,७५० बन चुके हैं, तीसरे सोपान में ६,९०० बन चुके हैं और चौथे सोपान में जिसमें ६,७९३ मकान बनने हैं, वे बन रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--यह जो मकान बनाये जा रहे हैं उनमें किस श्रेणी के मजदूर रखे जायंगे और उनके अलाट करने का अधिकार किन लोगों को होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--फैक्टरियों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिये यह मकान बनाये जा रहे हैं। और अलाटमेंट का जहां तक ताल्लुक है इस माननीय सदन को ज्ञात है कि इनका प्रबन्ध करने के लिए एक अधिनियम बना है जिसमें हाउसिंग कमिश्नर को अधिकार होगा कि इनका प्रबन्ध वही सब कुछ करेंगे। अभी जो लेबर कमिश्नर हैं उनकी देखरेख में यह सब काम होता है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन शहरों में मजदूरों के लिये मकान बनाने की व्यवस्था की गई है उनका आधार क्या है, किस आधार पर उन शहरों का चुनाव होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--शहरों का जो चुनाव किया गया है मकान बनाने के लिये वह इस आधार पर किया गया है कि जहां फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूर अधिक तादाद में हों और जहां आवश्यकता हो वहीं बनाये जायं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर शहर में कितने मकान बन चुके हैं और कितने बनने वाले हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--गोरखपुर में जो मकान बनने हैं वह चौथे सोपान में बनने थे और १०८ मकान बनने हैं उन पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार के पास मजदूरों की आम शिकायत आयी है कि इन मकानों के किराये बहुत ज्यादा हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, शिकायतें तो आती रहती हैं कि किराया उनका ज्यादा है। इस विषय पर इसी सदन में जब वह विधेयक प्रस्तुत था काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिर्जापुर में कितने मकान बनने थे और कितने बन चुके ?

श्री कैलाशप्रकाश--मिर्जापुर में तीसरे सोपान में ९६ मकान बनने थे और वे बन कर तैयार हो गये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो मकान बने हैं वह एक ही किस्म के हैं या कई ग्रेड के हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--अधिकांश एक ही तरह के हैं, लेकिन उनकी दूसरी भी डिजाइंस हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में कितने क्वार्टर्स बनने थे और कितने बन गए ?

श्री कैलाशप्रकाश--हाथरस में चौथे सोपान में २१६ मकान बनने थे। अभी कोई बने नहीं हैं। कार्य उन पर प्रारम्भ नहीं हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इलाहाबाद में कौन-सी फैक्ट्री है जिसके मजदूर उसमें टिकाये जायंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--इलाहाबाद में मैं कह नहीं सकता कि कौन-कौन फैक्ट्रीज हैं, लेकिन सुना यह जरूर है कि हैं।

इलाहाबाद में दारागंज के नागबासू घाट की मरम्मत की आवश्यकता

*५९--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इलाहाबाद के दारागंज के नागबासू घाट की मरम्मत की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो कब तक घाट की मरम्मत हो जायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अभी माघ के महीने में माननीय मुख्य मंत्री जी प्रयाग पधारे थे, उस समय उन्होंने नागबासू घाट का निरीक्षण किया था और आश्वासन दिया था कि उस घाट की मरम्मत हो जायगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां, मैंने नागबासू घाट को देखा था और यह तो मेरी हिम्मत पड़ती नहीं बगैर इस सदन की आज्ञा के कह देने की कि मरम्मत हो जायगी, लेकिन मैंने यह कहा था कि मरम्मत होनी चाहिए और जरूर हम सहानुभूति के साथ इस पर विचार करेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि उस घाट की मरम्मत न होने से उस घाट की दशा खराब होने से दारागंज डूब जाने की आशंका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस विषय का विशेषज्ञ तो नहीं हूं लेकिन मैं यह जरूर समझ सकता हूं कि उस घाट की हालत खराब होने से दारागंज को जरूर नुकसान पहुंच सकता है।

गाजीपुर जिला बोर्ड को सड़कों की मरम्मत के हेतु अनुदान

*६०—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजीपुर जिला बोर्ड को गत वर्ष जो रुपया सड़कों की मरम्मत के लिये दिया गया वह उस काम में लाया गया ? यदि हां, तो सैदपुर, मुहम्मदाबाद और गाजीपुर प्रत्येक तहसील में कितना-कितना ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में गाजीपुर जिला बोर्ड को तीन अनुदान दिये, जिनकी रकमों तथा व्यय का तहसीलवार ब्योरा सम्बद्ध तालिका में दिया हुआ है। उक्त तालिका की क्रम-संख्या १ तथा २ पर क्रमशः १४,६०० रु० तथा २१,९१५ रु० की अतिरिक्त धनराशियों का हिसाब भी दिया है। इनका संयुक्त लेखा इसलिये आवश्यक है कि उन क्रम-संख्याओं पर दिखाये हुये १९५४–५५ के अनुदानों का व्यय उक्त धनराशियों के साथ मिला कर हुआ है।

तालिका से स्पष्ट होगा कि इस प्रकार सैदपुर, मुहम्मदाबाद तथा गाजीपुर में क्रमशः १६,२८७, २८,०२१ तथा २५,७१७ रु० खर्च हुये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५७ पर)

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर तहसील में यह रुपया किन-किन सड़कों पर खर्च किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—किन-किन सड़कों पर खर्च किया गया, इसका ब्यौरा तो इस समय नहीं है।

गोंडा में बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण पाठशालाओं के भवनों को नुकसान तथा सरकारी सहायता

*६१—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में जिला बोर्ड की उन पाठशालाओं के भवनों की क्या संख्या है जो गत बाढ़ तथा अतिवृष्टि में अधिक ध्वस्त हो गये हैं ? जो क्षति पहुंची है उसको पूरा करने के लिये सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता जिला बोर्ड, गोंडा को देना स्वीकार किया है और जिला बोर्ड ने कितनी सरकार से मांग की है ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला अधिकारियों व शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त क्षति-ग्रस्त पाठशाला भवनों से सम्बन्धित सूचना में कुछ भिन्नता है जिसके संबंध में आगे पूछ-ताछ की जा रही है। अतः इस प्रश्न में मांगी गयी सूचना कुछ समय बाद दी जा सकेगी।

गोंडा जिला बोर्ड को ७ जूनियर हाई स्कूलों के बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिये ३,४०० रु० का अनुदान दिया जा चुका है तथा अन्य क्षति-ग्रस्त सम्पत्ति, जिसमें स्कूल भवन भी सम्मिलित हैं, के लिये लगभग ४४,००० रु० का अनुदान देने की संभावना है।

रामनगर के पास कोसी पर पुल का निर्माण

*६२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि रामनगर के पास कोसी पर (भुजाण खैरना रोड पर) गर्जिया में पुल का निर्माण किया जाय ? अगर हां, तो यह निश्चय कब कार्यान्वित होगा ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जिला नियोजन समिति ने इस पुल के निर्माण की सिफारिश की थी परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सीमित आकार तथा अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इसे योजना में नहीं सम्मिलित किया जा सका।

भतरोजखान-बेतालघाट मोटर रोड के निर्माणार्थ अनुदान की स्वीकृति

*६३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि प्लानिंग विभाग द्वारा भतरोज-खान-बेताल घाट मोटर रोड निर्माण हेतु १०,००० रुपया पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को दिया गया है? अगर हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग इस धन के उपयोग हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

सड़क का सर्वे किया गया तथा उसको १६ फिट चौड़ा करने तथा पहले ३ मीलों में पुलियों आदि के निर्माण का ३६,८५० रुपये का विस्तृत प्राक्कलन बना कर जिला नियोजन अधिकारी की स्वीकृति के लिये भेजा गया। प्राक्कलन की स्वीकृति तथा शेष धनराशि प्राप्त होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य प्रारम्भ करेगा।

विनायक-कोटाबाग पैदल सड़क का पुर्ननिर्माण

*६४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जिला प्लानिंग कमेटी, नैनीताल ने श्रमदान द्वारा निर्मित विनायक कोटाबाग पैदल सड़क के पुर्ननिर्माण हेतु १०,००० रु० की मांग प्लानिंग विभाग से की है? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसी कोई मांग अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

जिला अल्मोड़ा में घाट के पुल को पक्का करने की योजना

*६५—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अल्मोड़ा में घाट का कच्चा पुल कितनी बार बना और कुल कितनी लागत इसमें अब तक व्यय हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह पुल अब तक ६ बार बन चुका है और इसे बनाने में लगभग २६,५०० रुपया व्यय हुआ है।

*६६—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि इस पुल को पक्का करने के लिये गत तीन वर्षों से धन की व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो यह पुल अभी तक पक्का क्यों नहीं बनाया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

कच्चा माल न मिल सकने के कारण पुल के लिये लोहा तैयार नहीं किया जा सका।

बांदा जिला बोर्ड को सरकारी आर्थिक सहायता

*६७—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या स्वायत्तशासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिन ४४ जिला बोर्डों को ९ लाख २८ हजार रुपया रख-रखाव के लिये दिया गया है उसमें बांदा जिला भी शामिल है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*६८—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिला बोर्ड की आर्थिक दशा के कारण कच्ची सड़कों की मरम्मत बहुत कम हो पाती है जिससे कि किसानों को बाजार में अन्न लाने में तथा बैलों को बड़ी तकलीफ होती है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

*६९—श्री जगपतिसिंह—यह महसूस करते हुये कि बांदा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है क्या सरकार जिला बोर्ड को विशेष सहायता सड़कों की मरम्मत व स्कूलों के बनाने व चलाने के लिये देने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जिला बस्ती में मुखलिसपुर घाट से चपराघाट को जाने वाली सड़क की दशा

*७०—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बस्ती की खलीलाबाद तहसील के दक्षिणी क्षेत्र में कोई सड़क मुखलिसपुर घाट से चपराघाट को गई है जो बाढ़ में टूट-फूट कर बर्बाद हो गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक कच्ची जिला बोर्ड की सड़क मुखलिसपुर से चपराघाट को जाती है । यह पिछली बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी ।

*७१—श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उस सड़क में कई जगहों पर पानी अभी तक भरा हुआ है जिससे उस दोआबे का आवागमन बन्द हो गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, सड़क का कोई भाग अब जलमग्न नहीं है और पूरी सड़क यात्रा के योग्य है ।

*७२—श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार उक्त सड़क का बनवाना जल्द से जल्द आरम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सड़क जिला बोर्ड की है और उसके निर्माण का भार बोर्ड के ऊपर है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद से रेडियो ट्रान्समीटर हटाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री कल्याणचन्द मोहिले जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है । वह इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से ट्रांसमीटर हटाने से जो वज्रपात इलाहाबाद पर हो रहा है, उसके प्रतिकार में वह इसे लाये हैं ।

वह केन्द्र से संबंधित है और इस आदरणीय सदन से कोई संबंध न होने के कारण, मैं इसको अवैध करार देता हूं ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, यदि फिर भी आप आज्ञा दें, तो मैं माननीय सदस्य को कुछ सूचना दे सकता हूं जिससे वज्रपात जैसा कष्ट, जो उनको हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--सूचना दें दें तो बहुत ही अच्छा है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वहां लाखों आदमियों को क्या कष्ट होगा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन दो चीज होती हैं । एक तो रेडियो स्टेशन का होना और एक ट्रांसमीटर का होना । इलाहाबाद में ट्रांसमीटर बहुत कमजोर है, एक किलोवाट का है । ट्रांसमीटर तो नहीं रहेगा, रेडियो स्टेशन वहीं रहेगा । किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी । फर्क यह है कि बहुत बड़ा ट्रांसमीटर लखनऊ में लगाने जा रहे हैं जहां से दोनों जगह ट्रांसमिट हो सकता है । इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा ।

(कुछ विघ्न होने पर)

श्री अध्यक्ष--अब इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती ।

बनारस में विश्वनाथ जी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन में हुई गिरफ्तारियों से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा कामरोको प्रस्ताव राजनारायण जी ने भेजा है कि बनारस में कल तारीख १२ मार्च तक विश्वनाथ जी के मंदिर प्रवेश का प्रयत्न करते समय १८ व्यक्ति, हरिजन तथा अन्य गिरफ्तार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।

माननीय राजनारायण जी से मैं पूछूंगा कि विषम परिस्थिति किस तरह से उत्पन्न होती है ? १८ आदमी गिरफ्तार हुए, यह तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार की अर्जेंसी क्या है जिसके ऊपर विचार किया जाय ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, विश्वनाथ जी के मंदिर में हरिजन प्रवेश का आन्दोलन बहुत पहले से चल रहा है । कुछ हरिजन दशाश्वमेध घाट पर इकट्ठे होते हैं और वहां से मंदिर प्रवेश के लिये जाते हैं । कल उस समय गिरफ्तारी हुई जब मंदिर प्रवेश में लोग जाने लगे, पुलिस उनके साथ साथ थी और पुलिस ने उनको कतई नहीं बताया कि यहां पर दफा १४४ है । लेकिन जब वे मन्दिर के पास पहुंचते हैं तो यह सूचना दी जाती है कि १४४ लग गयी है, आप उसे तोड़ रहे हैं, इसलिए आप गिरफ्तार किये जाते हैं । इसकी गिरफ्तारी की खबर सारे बनारस में और आस पास के जिलों में बिजली की तरह दौड़ गयी है जिससे तमाम हरिजन या जो ऐसे लोग हैं जो कि हरिजनों के लिये मंदिर प्रवेश का निषेध होना वर्तमान भारतीय संविधान की अवहेलना समझते हैं वह इस प्रयत्न में हैं कि जब नाजायज तरीके से उनको मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है और सरकार बार बार आश्वासन देने पर भी १४४ लगा कर उनके अधिकारों की अवहेलना करती है तो उसको तोड़ा जाना चाहिये । इस लिए जिस ढंग पर गिरफ्तारी हुई उससे आस पास के जिलों में और खास कर बनारस में बहुत उत्तेजना है और मुझे आशंका है कि अगर सरकार ने कोई समुचित कदम नहीं उठाया तो हजारों की तादाद में लोग गिरफ्तार होने के लिए तैयार होंगे और जायंगे ।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री, आपको इस विषय में कुछ जानकारी है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है । मैं तो पहले पहल सुन रहा हूं कि वहां बिजली दौड़ गयी और यह गिरफ्तारी हुई ।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसका निर्णय कल दूंगा । इस विषय में कल अगर आप कोई जानकारी दें, तो कल निर्णय होगा ।

श्री राजनारायण द्वारा ५ मिनट के लिये सभा-त्याग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। १७३ नियम के मुताबिक मैं आपसे निवेदन करूं कि जो सरकारी सदस्यों द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने पर सूचना का जो प्रतिबन्ध है उसको निलम्बित करने का प्रस्ताव रखने की आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि १० फरवरी, १९५६ ई० को...

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं। पहले तो निलम्बित करने का सवाल है। तो आपने जो प्रार्थना की, मैं उसकी इजाजत नहीं देता। नियम यह है कि जिन दिनों बजट के अनुदानों पर राय को लेने का प्रश्न निश्चित होता है उस बीच में प्रश्नों के बाद और कोई भी बात, किसी किस्म का मोशन वगैरह नहीं आ सकता, सिवाय एडजर्नमेन्ट मोशन के। तो मैं इस नियम का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देता आपके लिये कि आप इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसकी भी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, नियम ७४ यह है...

श्री अध्यक्ष---वह मैंने देख लिया। मैं उसकी जरूरत नहीं समझता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप मेरा मकसद तो सुन लें कि मैं क्या चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मुझे आपका मकसद मालूम है और मुझे एक प्रस्ताव भी आप पहले दे चुके हैं। उस प्रस्ताव को किसी तरह से मुझे जांचने का भी मौका न देकर आप चाहते हैं कि उस प्रस्ताव में जो कुछ लिखा है उसको मैं सदन के सामने सुना दूं, मैं इस चीज को मुनासिब नहीं समझता। आज का जो कार्यक्रम है उसके अलावा और कोई मोशन लाने की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस सदन की बाहर काफी बदनामी हो रही है।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण---मैं आपके निर्णय के विरोध में ५ मिनट के लिये सभा-त्याग कर रहा हूं।

१९५६-५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---आप आज के लिए कृपा करके समय का निर्धारण करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मैं चाहता हूं कि चूंकि प्लानिंग बहुत इम्पार्टेन्ट विषय है इस लिये इसको पहले ले लिया जाय, और साढ़े तीन घंटे यह रहे, उसके बाद आध घंटे के लिये लेखन-सामग्री वाला ले लिया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, लेखन-सामग्री और छपाई विभाग के लिये हर साल ३५, ४० मिनट का समय रहता था। मेरा सजेशन यह है कि पहले इसको ले लिया जाय उसके बाद प्लानिंग कन्टिनुअसली डिस्कस हो, क्योंकि दिन भर वही चलता रहेगा, तो सम्भव है कि माननीय सदस्य यह चाहें कि थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाय। मैंने जगन्नाथ मल्ल जी से कहा भी था कि इसको पहले करवा दिया जाय। माननीय मंत्री जी को भी सुविधा होगी। इसलिये अगर विरोधी दल मंजूर करे तो लेखन-सामग्री वाला अनुदान पहले ले लिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें आपत्ति है। प्लानिंग का अनुदान बहुत इम्पार्टेन्ट है और आल इन्डिया मैटर्स उसमें रखे गये हैं और यह तो केवल स्टेशनरी वगैरह का मामला है, प्रादेशिक है। उसमें बहुत ज्यादा समय भी दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुगुना जी उसमें और कुछ समय चाहते हैं तो और समय दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---तो सवा चार बजे तक प्लानिंग चले और उसके बाद दूसरा शुरू होगा और लेखन-सामग्री के लिये पौन घंटे का समय रहेगा।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४२---लेखा शीर्षक ६३-क---युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख---सामुदायिक विकास योजनायें---राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२---योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक ६३-क---युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय, और ६३-ख---सामुदायिक विकास योजनायें---राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य) के अन्तर्गत ७,१४,७७,८०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान ऐसे विषय से सम्बन्ध रखता है, जिसका सम्बन्ध प्रदेश सरकार के जितने विभाग हैं उनसे सम्बन्धित है और साथ ही उन योजनाओं से इस अनुदान का सम्बन्ध है, जो अलाहदा से अन्य विभागों के तहत में संचालित होती हैं। उस प्रकार के कार्य भी हैं, जो इसी विभाग के तहत में प्रदेश में सामुदायिक विकास योजनाओं के रूप में तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के रूप में प्रदेश में प्रचलित हैं। इस सदन को इस बात का भली-भांति ज्ञान है कि प्लानिंग की व्यवस्था की विचारधारा हमारे बीच में कैसे उत्पन्न हुई और कब से उसके ऊपर हमने कार्य करना प्रारम्भ किया। यों तो जब हमारा देश स्वतन्त्र नहीं हुआ था हमारे देश में राजनीतिक-आर्थिक इतिहास के पंडितों ने प्लानिंग इत्यादि के विषय में अपने विचार प्रकट किये थे, योजना बनाने की भी चेष्टा की थी, परन्तु स्वतन्त्र होने के बाद अन्य देशों की भांति हमारे देश के नेताओं का ध्यान तथा आर्थिक विशेषज्ञों का ध्यान भी इस ओर गया। जब से मुल्क आजाद हुआ, मुल्क ने पहले कुछ उन समस्याओं को हल करने की चेष्टा की, जो तात्कालिक थीं और जिनके लिये कोई योजना शीघ्रता के साथ बनाई नहीं जा सकती थी, परन्तु ज्यों-ज्यों तात्कालिक समस्यायें हल होती रहीं त्यों त्यों उत्तरोत्तर हमारे देश के नेताओं में देश के विद्वानों में नियोजन के प्रति तथा योजनाओं के प्रति एक नयी विचारधारा उत्पन्न हुई और उस विचारधारा के उत्पन्न होने में उन देशों के इतिहास का एक बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने योजनायें बना बना कर अपने अपने देशों में प्रगति की, अपने देश के उत्थान के लिये योजनायें बना कर अपने देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की।

उन देशों के इतिहास से प्रेरणा लेते हुये, उनकी योजनाओं को सम्मुख रखते हुये हमारे देश में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ और उसे जल्दी से तैयार करके देश में प्रकाशित किया गया और उस पर अमल करने की चेष्टा की गई। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कितनी बड़ी थी और

जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है, उसमें कितनी धनराशि थी। यह हमें अच्छी तरह से विदित है और प्रारम्भ में जल्दी से जो योजना हमने बनाई वह ८६ करोड़ से अधिक की नहीं थी, परन्तु हमने यह अनुभव किया है कि इन ४, ५ वर्षों में वह योजना बढ़ते बढ़ते १८६ करोड़ की हो गयी और उस योजना के तहत में जो हमने ध्येय बनाये थे, उनकी पूर्ति करने में काफी मात्रा में सफलता पायी। जो टार्गेट्स हमने निर्धारित किये थे, उनको हमने कामयाबी के साथ पूरा किया और कहीं कहीं उनसे अधिक मात्रा में हमने कार्य किया।

मैं उन तमाम विषयों की चर्चा इस समय न करूंगा और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का ध्येय अधिक मात्रा में उस समय की तात्कालिक परिस्थिति में सुधार लाना था। वह तात्कालिक परिस्थिति यह थी कि खाद्यान्नों की देश में कमी थी, देश विदेशों के ऊपर खाद्यान्नों के लिये आश्रित था, इसलिये यह स्वाभाविक था कि कोई भी योजना देश की समस्याओं के सुलझाने के लिये तैयार की जाय, उसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उन सब विषयों को, जो कि खाद्यान्नों की पैदावार में सहायता प्रदान करते हैं प्रोत्साहन देना होगा। इसीलिये माननीय सदस्यों ने यह अनुभव किया होगा कि खाद्यान्नों के उत्पादन के सिलसिले में अधिक मात्रा में प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि नलकूपों के निर्माण में, नहरों की स्थापना में और नहरों और नलकूपों के संचालन के लिये बिजली इत्यादि की पैदावार के विषय में लगाई गयी और साथ ही में उन तरीकों के प्रोत्साहन में लगायी गयी, जिनके द्वारा उपज अधिक बढ़ाई जा सकती है, खेतों को अधिक हराभरा बनाया जा सकता है और खेतों की पैदावार को अधिक मात्रा में बढ़ा कर खाद्यान्न की समस्या को सुलझाया जा सकता है।

हमें अच्छी तरह से मालूम है कि सन् ४९–५० तक हमारे प्रदेश में ९४ या ९५ लाख टन गल्ला उत्पन्न हुआ करता था। परन्तु इन चार वर्षों के अन्त तक ही हमने प्रदेश के अन्दर करीब १ करोड़ ११ लाख टन गल्ले का उत्पादन कर लिया और इस प्रकार उस टार्गेट से अधिक गल्ला उत्पादित करने लगे, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने गल्ले के उत्पादन का टार्गेट रखा था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमें सफलता मिली और जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू करने जा रहे हैं, यह आवश्यकीय है कि हम यह निर्धारित करें कि इसमें हम किस चीज को प्राथमिकता देने वाले हैं।

केन्द्रीय आयोग ने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा रखी है और जो कि अब प्रकाशित भी हो चुकी है, यद्यपि वह अभी कतई फैसले के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं है, उसमें ४,८०० करोड़ रु० की योजना देश के निर्माण और विकास के लिये, उसके विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने के लिये तैयार की गई है। उस ४,८०० करोड़ रु० की योजना को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक हिस्सा वह, जो कि प्रदेशीय सरकारों द्वारा संपादित किया जायगा, और एक हिस्सा वह जो केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने विभागों के तहत में या अनुदानों के द्वारा संपादित करेगी। उस ४,८०० करोड़ रु० की योजना में से करीब २,२०० करोड़ १४ लाख रुपये प्रदेशीय सरकारों द्वारा व्यय होने वाले हैं। इस २,२१४ करोड़ रुपये में से जो हमें उत्तर प्रदेश के लिए अभी आंकड़े बताये गये हैं, वह करीब २४८ करोड़ या २४८ करोड़ और ५० लाख हैं। इसमें वह रकम सम्मिलित नहीं है जो केन्द्रीय आयोग ने बड़े-बड़े कुछ उद्योग-धंधे, जैसे सीमेंट फैक्टरी के विकास या प्रेसीजन इन्सट्रूमेंट फैक्टरी के विकास के लिये रखे हैं, कदाचित वह रकम....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सारे देश के प्लानिंग को ले रहे हैं। यह अनुदान संख्या ४२ पर बहस हो रही है, अगर वह सारे डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो सारा दिन लगा लेंगे तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आध घंटे से ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, मैं मोटे तौर से बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—वह प्रस्तावना कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो आंकड़े हमें विदित कराये गये हैं, उनके तहत में २४८ करोड़ ५० लाख रुपया के अलावा उस धनराशि को जो इन फैक्टरियों के विकास के लिये मिलेगी, वह इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें वह धनराशि भी सम्मिलित नहीं है, जो कदाचित् हमें केन्द्र से और अनुदानों के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस पुस्तिका का अध्ययन किया है, जो केन्द्रीय आयोग की तरफ से छपवाई गई है, उसमें बतलाया गया है कि कुछ ऐसी रकमें भी हैं जैसे बैकवर्ड एरियाज के विकास के लिये और बैकवर्ड क्लासेज के डेवलपमेंट के लिये रखी गई है, उसमें से कुछ हिस्सा हमें जरूर मिलेगा। इसमें २०० करोड़ रुपया स्माल इंडस्ट्रीज के लिये रखा गया है और वह रकम, जो विभिन्न बोर्डों द्वारा व्यय होने वाली है, वह २४८ करोड़ वाली रकम में सम्मिलित नहीं है या वह धनराशि जो ट्रांसपोर्ट वगैरा के लिये व्यय होने वाली है, उसका भी कुछ हिस्सा हमारे प्रदेश को अवश्य मिलेगा। साथ ही ८० करोड़ रुपये की रकम जो फ्लड कंट्रोल के लिये रखी गई है, उसका भी हमें कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आंकड़े हमें बताये गये हैं, उनमें यह बढ़ जायंगे, जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में इन रकमों में से हमें कुछ हिस्सा मिलेगा।

मैं अब इस विषय के ऊपर आता हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य वह योजनायें हैं जो इस विभाग के तहत में संचालित हो रही हैं। माननीय सदस्यों को यह भलीभांति ज्ञात है कि अपने प्रदेश में इस महकमे के तहत में सामुदायिक विकास केन्द्र और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड संचालित होते रहे हैं। इस विषय की चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है, यों तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि कदाचित् हमारा उत्तर प्रदेश हमारे देश में सब से पहला प्रदेश था, जिसमें सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना के लिये इटावा जिले में एक पृष्ठभूमि तैयार की और वह पृष्ठभूमि इस सदन के सदस्यों के समक्ष गुजर चुकी है। १९४८ में हमारा प्रदेश पहला प्रदेश था जिसने पायलेट प्रोजेक्ट्स की स्थापना करके सामुदायिक विकास योजनाओं को अपने देश में जन्म दिया। इस योजना की रचना हमारा इटावा प्रोजेक्ट है और इसने अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना के लिये प्रेरणा प्रदान की है।

हमें अच्छी तरह से विदित है उन पुस्तकों द्वारा, जो माननीय सदस्यों के बीच में बांटी गई हैं कि अपने प्रदेश में करीब २६ कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स १९५२ से लेकर आज तक स्थापित हुये हैं, और करीब १३५ आज तक अपने प्रदेश में राष्ट्रीय प्रसार खंड स्थापित किये गये और इनके द्वारा करीब अपने प्रदेश में १/५ हिस्सा इन योजनाओं के तहत में लाया गया। अगले पांच वर्षों में हमारी ऐसी अभिलाषा और आकांक्षा है और ऐसी केन्द्रीय आयोग की अभिलाषा और आकांक्षा भी है कि हम सारे प्रदेश को राष्ट्रीय प्रसार खंडों की तहत में ले आयें और ४० फीसदी राष्ट्रीय प्रसार खंडों को हम सघन खंडों में परिवर्तित कर दें। सामुदायिक विकास केन्द्रों में करीब ५,००० वर्ग मील और करीब २१.५ लाख की आबादी में वह कार्य किया है,

जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों की पैदावार की व्यवस्था में परिवर्तन आया है, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों के बीच में नये प्रकार का एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न हुआ है, जानवरों के इलाज का नया प्रबन्ध हुआ है, खेती के नये तरीके इस्तेमाल किये गये हैं और जमीन का अधिक उत्पादन उन रासायनिक खादों के वितरण से बढ़ाया गया है, जो हमें उपलब्ध हैं। साथ ही नलकूप इत्यादि स्थापित करने, पक्के कुओं के निर्माण, जलाशयों की व्यवस्था तथा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से काफी मात्रा में ऐसी जमीनों को खेती के लायक बनाया गया है जो बेकार पड़ी थीं, जो खाद्योत्पादन में इस्तेमाल नहीं होती थीं। मैं यदि थोड़े आंकड़े आपके समक्ष रखूं तो उससे यह विदित होगा कि किस तरह से कम्युनिटी प्रोजेक्ट की तहत में इन क्षेत्रों में विभिन्न दायरों में प्रगति हुई है।

करीब ५ लाख मन के इम्प्रूव्ड सीड का वितरण इन क्षेत्रों में हुआ और केमिकल मैन्योर का वितरण करीब १ लाख ७७ हजार मन और १०,६३९ मन ग्रीन मैन्योर का वितरण हुआ और उससे एक्सटेंशन और इरिगेशन की फेसिलिटी भी काफी बढ़ाई गई। साथ ही, जैसा मैंने अभी बताया कि उत्पादन के नये तरीके भी इन क्षेत्रों के निवासियों में फैलाये गये और उसका नतीजा यह हुआ कि १०,९३२ एकड़ जमीन पर वेजिटेबिल का कल्टीवेशन हुआ, और ३,३९५ एकड़ में नये बागात लगाये गये, जिन में पेड़ काफी संख्या में लगाये गये। करीब ८ लाख ६३ हजार पेड़ इन क्षेत्रों में, जिनका वर्णन मैंने अभी आपके समक्ष किया लगाये गये और इरिगेशन का एरिया करीब २ लाख ३५ हजार ८१४ एकड़ हमारे लिये उपलब्ध हुआ। इन क्षेत्रों में ५० फीसदी से अधिक क्षेत्र में इरिगेशन के नये साधन उपलब्ध कराये गये। ऐसा करना, जैसा मैंने अभी बताया, नितांत आवश्यकीय था क्योंकि यदि उन सामुदायिक विकास केन्द्रों को हमें विकसित करना था तो खेती को और उसके साधनों को हमें योजना की तहत में अधिक महत्व देना था, क्योंकि प्रदेश में अधिक व्यक्ति तो देहात में ही रहते हैं, ७४ फीसदी इस प्रदेश के रहने वाले खेती को ही अपना रोजगार बनाये हुये हैं और उसी पर आश्रित हैं। हमारे इन कार्यों में जो प्रगति इन क्षेत्रों के निवासियों की उन्नति के लिये हुई है वह इस सदन के सभी सदस्यों को भली-भांति विदित है।

इन क्षेत्रों में जो कार्य हुआ, उसने नई प्रेरणा इन क्षेत्रों के निवासियों में पैदा की ही, परन्तु उनका असर निकटवर्ती क्षेत्रों के रहने वालों पर भी पड़ा, जहां कि सामुदायिक विकास केन्द्र खोले नहीं गये थे और वहां पर खोलने के साधन भी नहीं थे। जैसा कि खेती के सिलसिले में हमने कार्य किया, वहां खेती के अलावा भी ऐसे कार्य किये, जिनसे कि ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचे उठा, जैसे सड़क का निर्माण, गली-कूंचों का निर्माण और ऐसे रास्तों का निर्माण, जो पक्की सड़क से एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ सकती थीं, जो एक गांव को रेलवे स्टेशन की सड़क पर ले जा सकती थीं या रेलवे स्टेशन के नजदीक बन सकती थीं। तो इन तमाम कार्यों ने एक नवीन चेतना इन क्षेत्रों के निवासियों के अन्दर पैदा की।

जहां तक जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा का विषय है, उसकी तरफ भी इस योजना के तहत में काफी कार्य प्रारम्भ हुआ। हम सभी जानते हैं कि देहाती जीवन में किसानों के लिये जानवर उसकी पूंजी होते हैं और उसकी बड़ी सम्पत्ति होते हैं। यदि किसान का जानवर मर जाय तो उसको उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, इस पर मुझे प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये किसी भी उत्पादन के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

विषय में और अधिक उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में जब कोई नीति बर्ती जायगी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा का भी उतनी मात्रा में ही प्रबन्ध होना चाहिये, जितनी में पैदावार के और सभी साधनों को मुहैया करना है। इसलिये इस योजना के तहत में काफी मात्रा में एनीमल हसबैंडरी का कार्य प्रदेश में बढ़ाया गया है। करीब एक लाख ७२ हजार जानवरों का इलाज हुआ और करीब १५ लाख जानवरों का इनाकुलेशन हुआ, जिससे वह उन बीमारियों के शिकार नहीं बन सके, जो काफी मात्रा में देहात में रहने वाले किसानों के जानवरों को व्यथा में डालते हैं और परेशान करते हैं और कभी-कभी उनको मृत्यु के निकट भी ले जाते हैं। करीब-करीब ५६,८०० बुल्स को कास्ट्रेट किया गया और इस विकास के सामुदायिक केन्द्रों के स्थान पर ऐसी योजनायें बनीं, जिससे इन केन्द्रीय स्थानों के ऊपर एक वैटरनरी अस्पताल स्थापित हो जाय। इन तमाम कार्यों का नतीजा यह हुआ कि इन क्षेत्रों के ग्रामीण भाइयों के जानवरों को बीमारी से बचाया गया और वह बीमारी जो काफी मात्रा में देहाती क्षेत्रों में प्रचलित थी, उनको इन गांवों से करीब-करीब हमेशा के लिये दूर कर दिया गया।

साथ ही इन सामुदायिक विकास केन्द्रों में इस बात की भी चेष्टा की गयी कि घरेलू छोटे-छोटे उद्योग धंधे बढ़ें जिनमें किसान अपने खाली समय को लगा सकते हैं और जिनमें वह व्यक्ति जिनके पास खेती का रोजगार नहीं है, काफी मात्रा में लगाये जा सकते हैं। तो वह घरेलू उद्योग धंधे भी इस योजना के तहत में विकसित करने का प्रबन्ध किया गया। करीब ११० ट्रेनिंग-कम-प्रोडेक्शन सेन्टर इन क्षेत्रों में स्थापित किये गये। इन ट्रेनिंग-कम-प्रोडेक्शन सेन्टरों में अधिक ध्यान उन उद्योग-धंधों की तरफ दिया गया जो किसानों से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे कि चमड़े का रोजगार, रेशम का रोजगार, सेरीकल्चर का रोजगार, कताई-बुनाई का रोजगार, छपाई का रोजगार, टेलरिंग का रोजगार, बर्तन बनाने का रोजगार, ताले बनाने का रोजगार, सोप मेकिंग का रोजगार और बढ़ईगिरी का रोजगार ये सब ऐसे कार्य थे, जिनका सम्बन्ध किसानों की रोजमर्रा की जिन्दगी को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना था। इसलिये यह आवश्यकीय था कि इन उद्योग-धंधों की तरफ इस योजना में अधिक ध्यान दिया जाय। आपने यह अनुभव किया होगा कि अभी इस बहिया में इन्हीं ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर्स से हमने १९ हजार रुपये का माल ऐसे समय में वितरित किया जब कि वह माल उपलब्ध नहीं था तथा इधर-उधर माल भेजने में बड़ी भारी दिक्कत थी।

साथ ही, हमने कुछ योजनाओं के तहत में ईंटों के रोजगार को विकसित किया। प्रदेश में करीब १६६ कोआपरेटिव के भट्ठे लगाये गये, जिन्होंने प्रदेश में अनेक सार्वजनिक संस्थाओं की इमारतों को बनाने में सहायता दी। कौन नहीं जानता कि जब से यह योजना गांवों में फैली है, गांव में इमारतें बनाने के लिये, नालियां बनाने के लिये, कुओं को पक्का करने के लिये बहुत ज्यादा मांग है। इसलिये इस बात की आवश्यकता थी कि ईंटों के रोजगार को भी इन देहाती क्षेत्रों में काफी मात्रा में बढ़ाया जाय। इस योजना ने काफी मात्रा में लोगों को रोजगार भी दिया है तथा गांवों के रहने वाले किसानों की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन किया है, गांव के रहने वालों के स्वास्थ्य का प्रबन्ध किया है। गांवों के लोग जो बीमार हो जाते थे, जिनको हमेशा संक्रामक रोग लग जाते थे, उनमें विलेज वर्कर्स के जरिये, सेनीटरी इंसपेक्टर्स के जरिये तथा देहातों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के जरिये हमने इन संक्रामक रोगों को रोकने की चेष्टा की है, उनके टीके लगवाये हैं। उनके द्वारा हमने हैजा और प्लेग की बीमारियों को रोका है। साथ ही ऐसे कुएं भी बनवाये गये, जिनसे स्वास्थ्यदायक पीने का पानी मिल सके। इस योजना के तहत ४० हजार सेनीटरी वेल्स बनाये गये, तथा ६,६०० कुओं की मरम्मत की गयी और नहाने के स्थानों को पक्का कराया गया।

इसके साथ ही साथ सामाजिक शिक्षा की तरफ भी इस योजना के तहत में कार्य किया गया। ७०३ ऐजूकेशनल शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये। ७३० शिक्षालय या लाइब्रेरीज़ स्थापित की गयीं। ३० या ३७ हजार व्यक्तियों को जो अशिक्षित थे, शिक्षा प्रदान की गयी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि खेती की उपज को बढ़ाने की चेष्टा की गयी, किसानों के जानवरों और उनके स्वास्थ्य का प्रबन्ध किया गया, और सामाजिक शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयत्न इस योजना में किया गया। इन प्रयत्नों के कारण काफी प्रगति इन क्षेत्रों में रहने वालों में दिखायी पड़ती है।

२६ केन्द्रों में १८ की जिन्दगी ३१ मार्च तक खत्म होने वाली है, ८ केन्द्र बाकी रह जायंगे, जो सितम्बर तक चलेंगे। इनके खत्म हो जाने के ये मानी नहीं हैं कि जिस कार्य का श्री गणेश हमने किया था वह खत्म हो जायगा। जब ये प्रारम्भ में स्थापित किये गये थे तो इसलिये किये गये थे कि इनके द्वारा हम गांव के रहने वालों को संकेत प्रदान करें ताकि वे अपने स्तर को ऊंचा कर सकें। अतः हमारी ऐसी आशा है और योजना है कि जहां-जहां यह सामाजिक विकास केन्द्र समाप्त होते जायेंगे, सरकारी अनुदानों के द्वारा वह कार्य संचालित होते रहेंगे, जो कि ग्रामीण भाइयों के लिये फायदे के हैं और साथ ही वे कार्य जो इन योजनाओं के तहत चल रहे थे अब विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्य का हिस्सा बन कर संचालित होते रहेंगे। इससे जो नई जिन्दगी और नया जीवन इन क्षेत्रों के रहने वालों में पैदा हुआ है वह कायम रहेगा और उसको कायम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इन गांव वालों में ऐसे विचार और भावनायें हमेशा पैदा करते रहें जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस बात का अहसास कर सकें कि उन्हें अपनी कौमी जिन्दगी बनाने में, अपनी खामियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिये स्वयं आगे बढ़ना है। तभी कदाचित् इतने बड़े प्रदेश के गांव के रहने वाले लोगों की समस्या हल्की की जा सकती है और उन्हें सफलता के साथ संचालित किया जा सकता है।

जैसा मैंने अभी बताया कि २६ सामुदायिक विकास केन्द्र और करीब १३५ एन० ई० एस० ब्लाक्स अब तक खुल चुके हैं। २० तो अभी पिछले अक्तूबर में खुले थे और करीब २१ के अभी २६ जनवरी को खुले थे। १३५ में करीब २८ को २६ जनवरी को हमने सघन केन्द्रों में परिवर्तित किया। इन केन्द्रों में भी वही कार्य होने वाले हैं, यद्यपि उतने बड़े दायरे में नहीं, जितने बड़े दायरे में सामूहिक विकास केन्द्रों में कार्य होता है, परन्तु ये भी केन्द्र हमें उन्हीं कार्यों की ओर प्रेरित करने वाले हैं, जिधर जाना नितान्त आवश्यक है।

जहां हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में खेती के ऊपर अधिक ध्यान दिया था, वहां हमारी ऐसी योजना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा अधिक ध्यान घरेलू उद्योग धंधों की तरफ जाय। आज घरेलू उद्योग धंधों की मांग और आवश्यकता इसलिये है कि बेकारी की समस्या को दूर करना है, तो यह घरेलू उद्योग धंधों के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इसलिये द्वितीय-पंचवर्षीय योजना में अब प्राथमिकता अधिक मात्रा में उद्योग धंधों की तरफ दी जायगी। यद्यपि वे सारे कार्य जो कि प्रथम योजना के तहत में पूरे करने हैं वे भी पूरे होंगे, मगर हमारा ध्यान अधिक उद्योग धंधों की तरफ जायगा। सारे प्रदेश को राष्ट्रीय प्रसार खंड से भर देने के लिये ७५२ राष्ट्रीय प्रसार खंड हमारे बीच में स्थापित होंगे और उनके ४० फीसदी हमारे बीच में सघन केन्द्रों में परिवर्तित होंगे। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति जो इन देहाती क्षेत्रों में जाकर इन सब कार्यों का समाधान कर सकें, हमें काफी संख्या में

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

पैदा करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करीब १० हजार विलेज लेबिल वर्कर्स को हमें शिक्षित करना है और करीब ४ हजार ग्रूप लेबिल वर्कर्स को जिसमें ब्लाक लेबिल वर्कर्स भी सम्मिलित होंगे हमें पैदा करना है, ऐसा करने के लिये हमें उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना है और अधिक शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना है। यों तो जैसा कि सदन के सदस्यों को भली भांति ज्ञात है करीब २२ या २३ संस्थायें हमारे प्रदेश में लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रही हैं परन्तु अब हमें काफी मात्रा में शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करके इतनी संख्या में लोगों को शिक्षित करना है जो इन कार्यों की जिम्मेदारी निभा सकें।

हम इस बात के प्रयास में भी लगे हुए हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह प्रकाश में आये और इसलिये फिल्म पब्लिसिटी इत्यादि के कार्य को बढ़ा कर हम चेष्टा कर रहे हैं कि हमारा कार्य काफी और विकसित हो और उस कार्य के करने में हमें मदद मिले। ऐसा करने के लिये, अपनी योजनाओं में सफलता पाने के लिये ऐसा भी हमारा प्लान है कि अपने प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तहत में पहले पायलट प्राजेक्ट्स में सफलता पाकर वह नक्शा बनाने की चेष्टा करें जिससे पायलट प्रोजेक्ट्स हमारे प्रदेश में सफल हो कर उनके जो तजुरबे हैं उनसे जो हमें ज्ञान मिला है उसे हम इन क्षेत्रों में जाकर लगाने का प्रयत्न कर सकें। इसलिये हमने एक बड़ी संस्था अपनी इस नगरी में खोल रखी है जो अपने ढंग की एक निराली संस्था है। यह बताया जाता है कि एशिया में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है। वह पाइलट प्रोजेक्ट्स के द्वारा देहात के लोगों की समस्याओं पर एक्सपेरीमेंट करके और अनुभव प्राप्त करके अपने अनुभवों को उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में विकसित करें। उसके कार्यों का विस्तार में वर्णन की आवश्यकता नहीं है। उसने छोटे-छोटे बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में जो कार्य किये हैं वह सब इस सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष आ चुके हैं।

साथ ही मैं उस कार्य की ओर भी सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा जो इस विभाग की तहत में श्रमदान के रूप में इस प्रदेश में रचा गया है और जिसके तहत में करीब-करीब दो करोड़ रुपये का कार्य हुआ है। उस कार्य ने एक प्रकार की नयी प्रेरणा हमारे गांव के रहने वालों में पैदा की है। वह पुस्तिका जो आपको वितरित की गयी है उसमें, जो अभी जनवरी के महीने में कार्य हुआ उसका वर्णन काफी मात्रा में दिया हुआ है। यों तो समय-समय पर जो श्रमदान के कार्य इन दो-तीन वर्षों में होते रहे हैं वह सदन के सदस्यों के समक्ष आते रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव के रहने वालों में एक नया जीवन पैदा किया है।

प्रान्तीय रक्षक दल ने जो कार्य किया है वह इस सदन के सदस्यों के समक्ष आ चुका है। उसको भी मैं ब्योरेवार सदन के समक्ष न रखूंगा। जो इस विभाग की तहत में दो और कार्य हो रहे हैं, एक तो स्पोर्ट्स इत्यादि के चाव को इस प्रदेश में फैलाना, दूसरे टूरिस्ट ट्रैफिक को काफी मात्रा में अपने प्रदेश में फैलाना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धनराशियां हमने इस कार्य के लिये रखी हैं, वह भी उस पुस्तिका में, जो बांटी गयी है, आपको पता लगेगा। तीसरी चीज जो इस विभाग के तहत में काफी मात्रा में तेजी के साथ चलायी जा रही है वह स्माल सेविंग्ज की योजना है। स्माल सेविंग्ज योजना के बिना हमारी जितनी सारी योजनायें हैं, वे कामयाबी के साथ नहीं चलायी जा सकती हैं। जिन लोगों ने उन आंकड़ों का अध्ययन किया है, जो सारी योजना के लिये निर्धारित किये गये हैं, उन्होंने यह अनुभव किया होगा कि ४८ सौ करोड़ की योजना, जो तैयार हुयी है वह पूरी नहीं हो सकती, जब तक हम काफी मात्रा में ऋण के रूप में धन न एकत्र करें या छोटी-छोटी रकमों को बचा कर विकास के लिये इकट्ठा करने की चेष्टा न करें। ऐसा हमें बताया गया है कि जितनी अधिक मात्रा में हम स्माल सेविंग्ज करेंगे, जिस निर्धारित कोटा में रकमें इकट्ठा कर लेंगे, वह सब प्रदेश के कार्यों में लगायी जा

सकेंगी। जो कोटा पिछले वर्ष हमारे लिये दिया गया था, उसे हमने अधिक प्रयास करके पूरा करने की कोशिश की और उससे अधिक धन इकट्ठा कर लिया। इस वर्ष भी करीब १३ करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, जिसमें करीब आठ सवा आठ करोड़ तक जनवरी तक इकट्ठा हो चुका है मार्च में प्रयत्न करेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में धन इकट्ठा करें, जिससे उस कोटे तक पहुंच सकें।

मैंने मोटे तौर पर जो विभाग की तहत में कार्य हो रहे हैं, उनका वर्णन कर दिया है। यह प्लानिंग विभाग, जिस रूप में चल रहा है और जिस रूप में उसने प्रदेश में नयी अभिलाषायें और आकांक्षायें पैदा की हैं, उसके विषय में भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस विभाग की तहत में जो कार्य हो रहे हैं जो कि देहात के क्षेत्रों में एक नयी अभिलाषा और आकांक्षा पैदा कर रहे हैं वह धीरे-धीरे बढ़ते जायेंगे और उसमें किसानों का सहयोग, जिनके उठाने के लिये यह कार्य किया जा रहा है बराबर मिलता जायगा। तो वह समय नजदीक हमारे बीच में आयेगा जब हमें हमारा प्रदेश बदला हुआ दीख सकेगा। जहां का आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो कर अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकेगा और कदाचित् अपने बीच में ऐसे युग को स्थापित कर सकेगा, जिस में रहते हुये अपने देश में सुखमय जीवन लाने में अगुवा का कार्य कर सकेगा। मैं आशा करता हूं कि इन कार्यों में सदन के सदस्यों का सहयोग बराबर मिलता रहेगा और उन किसानों में नयी भावनायें और विचारधारायें पैदा की जायंगी जिससे इस प्रदेश का किसान तरक्की करता हुआ आगे बढ़ सके। इन चन्द शब्दों के साथ इस अनुदान को इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने पेश किया है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग किसी भी देश के लिये बहुत आवश्यक होता है और खास कर उस देश के लिये जहां कि गरीबी है, वहां के लिये तो अत्यन्त ही आवश्यक हो जाता है। और इसी उद्देश्य से आज हमारे देश का जो रुपया है वह ठीक ढंग से खर्च हो, अच्छे-अच्छे कामों में लगे, उसके लिये एक प्लानिंग देश के अन्दर तैयार होता है। तो प्लानिंग हमारे देश के लिये और प्रदेश के लिये कितने महत्व का है उसके बारे में तो मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। पर मैं यह सोचता था कि प्लानिंग की जब हम बात करें तो सचमुच में हमारी कुछ प्लानिंग होनी चाहिये। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी के उस प्लानिंग की चर्चा करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज १३ तारीख को यहां प्लानिंग का बजट पेश है और माननीय मंत्री जी ने प्लानिंग डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग २० तारीख को बुला रखी है और उसमें वह कहते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जाय। हमें दुख इसी बात का है मंत्री जी हमें अपने कांफीडेंस में नहीं लेना चाहते। हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे प्लानिंग का जो कोआर्डिनेशन है वह भले ही जिले के स्तर पर हो गया हो, लेकिन स्टेट के लेविल पर कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। हमारी स्टेट में बहुत से विभाग हैं, इरीगेशन, पी०डब्लू०डी०, बिजली इत्यादि, इन चीजों से हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है, सिवाय इसके कि ये डिपार्टमेंट अपने विभाग का प्रोग्राम भेज देते हैं और माननीय मंत्री जी उन्हें अपने विभाग के द्वारा एक किताब में छपवा देते हैं। इसी उद्देश्य को समझते हुये अध्यक्ष महोदय, सारे देश के अन्दर इस बात का फैसला हुआ था कि हर प्रदेश का मुख्य मंत्री ही प्लानिंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी होगा ताकि जितने डिपार्टमेंट्स हमारे प्रदेश के अन्दर काम करते हैं उन सबका कोआर्डिनेशन हो सके और इसीलिये हमारे प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे वह प्लानिंग कमिश्नर भी थे और प्लानिंग के सेक्रेटरी भी थे ताकि इस प्रदेश के सारे हमारे जितने विभाग हैं उनका कोआर्डिनेशन हो सके। पर आज हमें दुख है इस बात का कि उस ओर सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाया है, लेकिन

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जो भी हो माननीय मंत्री जी ने जो तस्वीर हमारे सामने अभी रखी वह बहुत सुन्दर तस्वीर थी। हम चाहते थे कि वह तस्वीर हमारे प्रदेश में हो। जो बातें उन्होंने कहीं कि ऐसा-ऐसा विकास खंडों में हो गया है अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा होता कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह हुआ होता। उसकी तो देखरेख वही लोग कर सकते हैं जिन्हें इस चीज का तजुर्बा हो, जिनके यहां कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स हों, एन० ई० एस० ब्लाक्स हों, वही बता सकते हैं कि हमारा वह इलाका स्वर्ग हो गया है या क्या है ? मुझे इस बात का अनुभव नहीं है क्योंकि मैं यह कहना भी नहीं चाहता नहीं तो मंत्री जी फिर हमसे शिकायत करेंगे कि फिर वही पोलिटिक्स की बात कर देते हैं। मुझे दुख इसी बात का है कि जिस प्लानिंग के अन्दर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिये थी उसी प्लानिंग के अन्दर आज पालिटिक्स सबसे ज्यादा है, मैं तो अपने तजुर्बे से ही कहता हूं। मैं साफ इस बात को कहना चाहता हूं कि किस तरह पालिटिक्स है। एक जिले की मिसाल ले लेता हूं, अल्मोड़ा जिला है वहां से ६ एम० एल० ए० चुनकर के आये हुये हैं। एक वहां डबल मेम्बर कांस्टीट्युएंसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं देश में सब जगह घूमा नहीं हूं। एक वही जगह है जहां के बारे में मैं जानता हूं और जिसको देखकर मैं और जगहों के बारे में अन्दाजा लगा सकता हूं, उस जिले के यहां ६ एम० एल० ए० हैं। एक डबुल मेम्बर कांस्टीट्युयेंसी है और चार एम० एल० एज० हैं। तो दो ब्लाक तो माननीय हरगोविंद पंत जी के इलाके में खुल गये, दो ब्लाक भूपाल सिंह जी खाती के इलाके में खुल गये, दो ब्लाक माननीय नरेन्द्र सिंह जी विष्ट के यहां, एक खुल गया एक खुलने जा रहा है, और दो ब्लाक माननीय गोवर्धन तिवारी जी के यहां खुल गये। लेकिन मदनमोहन उपाध्याय के इलाके के अन्दर अभी तक न कोई ब्लाक खुला है और न आगे कोई खुलने जा रहा है। मुझे इस चीज की अध्यक्ष महोदय, कोई शिकायत नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, न तो मैंने आज तक किसी ब्लाक के लिये अपने डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से कहा, न मैंने अपनी प्लानिंग कमेटी में इस बात की चर्चा की कि मेरे यहां कोई ब्लाक खोल दिया जाय, जब खुलेगा, देखा जायगा। अगर प्लानिंग कमीशन से निर्धारित होता कि हिन्दुस्तान के अन्दर या प्रदेशों के अन्दर एक चौथाई हिस्से में नहीं खुलना चाहिये तो शायद मेरा एरिया उससे भी वंचित रह जाता। लेकिन फैसला यह किया गया है कि सारे इलाके के अन्दर खोले जायेंगे। तो ५८ में, ५९ में, ६० में कभी तो खुलेगा।

अध्यक्ष महोदय, हम इस उम्मीद में थे, प्लानिंग का यह तरीका था कि जहां पर एन० ई० एस० ब्लाक या कम्युनिटी प्रोजेक्ट खोले गये हैं वहां पर जो और रुपया चाहे केन्द्रीय सरकार से मिलता हो चाहे प्रदेशीय सरकार से मिला हो, वह रुपया उसमें खर्च नहीं किया जायगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो रुपया लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के लिये है, गवर्नमेंट आफ इंडिया से आता है, वह भी अब उन्हीं एरियाज में खर्च किया जाता है जहां एन०ई०एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट सेंटर्स खोले गये हैं। इसलिये हम उस चीज से भी वंचित हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग उन्हीं एरियाज में हुआ करती थी, मगर माननीय मंत्री जी जब से आये हैं तब से वह भी बंद कर दी गयी है। एक प्लानिंग कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी चौपटिया में हुयी, वहां आड़ खाये और चले गये। अब २० को एक मीटिंग होने वाली है। लेकिन उस कमेटी में जाकर हम करेंगे भी क्या ? अध्यक्ष महोदय, सारा माननीय मंत्री जी विकास कर रहे हैं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं यह बात साफ कहता हूं और माननीय मंत्री जी इसको साफ करें मैं उनको चैलेंज करता हूं कि यह पालिटिक्स नहीं है तो क्या है ? मैं बतलाऊं आपको, मुझे इर्रीगेशन में कोई शिकायत नहीं, मेरे यहां पानी बहुत काफी है, मेरे यहां सड़कें भी बनी हैं। मेरे वहां स्कूल्स भी हैं, मेरे यहां पोलिटिकली कांशस लोग बहुत हैं, सारी बातों में मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्लानिंग कमेटी के अन्दर कोई अफसर यह कह भर दे कि मदनमोहन उपाध्याय के यहां कुछ होना चाहिये तो उसकी बदली हो जायगी, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, माननीय मंत्री जी मेरे यहां कुछ न करें, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा इलाका खुशहाल है, देखा जायगा। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी का यही न्याय है कि देश का एक इलाका गरीब पड़ा रहे और देश का एक दूसरा इलाका

बहुत ज्यादा खुशहाल हो, क्या इसी को प्लानिंग कहते हैं ? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि वह प्लानिंग को जिस तरह से वह होनी चाहिये, उस तरह से करें और उसमें से राजनीति को हटा दें। राजनीति उसमें नहीं आनी चाहिये। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी माननीय मंत्री जी इधर उधर जाते हैं, बदकिस्मती से मेरे यहां नहीं गये नहीं तो हमको भी कुछ मिल जाता, लेकिन जहां भी वह गये, वहां वह दान की तरह रुपया बांटते हुये गये। मेरे यहां अभी तक नहीं गये हैं। अब की मेरा विचार है कि उनको ले जाऊं तो शायद कुछ मिल जाय। मेरे यहां आयुर्वेद का अस्पताल आपके आने के बाद एक भी नहीं खुला। मेरे यहां एक भी अस्पताल प्राविंशियलाइज नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ५० रुपया देकर उसी से यह काम कराना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझाना चाहता था कि किस तरह से राजनीति हमारे प्लानिंग के अन्दर आ जाती है। हमारे माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि आखिर यह प्लानिंग है क्या ? हमारा जो यह अनुदान है उसमें तीन आइटम्स हैं। एन०ई०एस० पर जो रुपया खर्च होगा, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स पर जो होगा और पी०आर०डी० में जो होगा और इसके अलावा जो प्लानिंग के रिसर्च में होगा, जो टूरिस्ट ट्रैफिक में और कुमायूं डेवलपमेंट वर्क्स और लोकल डेवलपमेंट वर्क्स में खर्च होगा यह इसमें दिया हुआ है। एन०ई०एस० और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स में तो स्टाफ काफी रखा ही गया है और उसके अलावा भी इतना ओवर व्हेलिंग स्टाफ है वह किस लिये रखा है यह साफ समझ में नहीं आया। डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ में दो डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर और ऐडीशनल डेवलपमेंट कमिश्नर और साथ-साथ ११ असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर और न जाने कितना स्टाफ रखा गया है, लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं यह पता नहीं चलता। चिट्ठी का जवाब तक नहीं मिलता। न कोई पत्र का उत्तर देता है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। जहां तक आफिसर्स का ताल्लुक है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है लेकिन इतना खर्चा इतना बड़ा स्टाफ किस मकसद से रखा गया है यह समझ में नहीं आता। इस विभाग में डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। यह जो ईस्ट-वेस्ट और नार्थ-साउथ जोन्स बना रखे हैं यहां बैठने की क्या आवश्यकता है ? अपने इलाके में जाने की आवश्यकता है। हमें संगठन की जरूरत है। हम लखनऊ नहीं आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एरिया में डिसेंट्रलाइजेशन हो और जहां तक काम का ताल्लुक है एन०ई०एस० ब्लाक्स और लोकल डेवलपमेंट ब्लाक्स द्वारा जितने काम किये जाते हैं वह इसलिये पूरे नहीं हो सकते कि हमारे पास ओवरसियर्स नहीं, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं जो उस काम को करवायें। इलाके में काम कौन करेगा, सर्टिफिकेट कौन देगा। जब सर्टिफिकेट देने की बात आती है तो गलती हो जाती है और लोग समझते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां आदमियों की जरूरत है वहां आदमी दीजिये। टेक्निकल आदमियों की सब जगह जरूरत है। इसलिये एन०ई०एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्दर ओवरसियर्स जरूर रखे जायं।

माननीय मंत्री जी ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कहा। मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं। हमारे परिपूर्णानन्द जी इसके बारे में ज्यादा कह सकते हैं क्योंकि आंकड़े की बातें हैं कि कितना पर कैपिटा हुआ कितना फलां हुआ। इसमें बतलाया गया कि एशिया के अन्दर यह सबसे बड़ा इन्स्टीट्यूट है। लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स चाहता हूं कि क्या हुआ। आज प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में इतने कागज और फार्म भेजने पड़ते हैं कि क्या कहा जाय। कितने कुयें बने, पांच सौ या सात सौ बने। हर चीज लिखी जाती है और सहारनपुर की लिस्ट तो ऐसी बढ़िया आती है कि कुछ पूछिये मत। वही एक माडेल है। इसके एक-एक आदमी स्पेशलाइज्ड हर जिले में रख दीजिये और वह हमारे परिपूर्णानन्द जी के कंट्रोल में रहें तो ज्यादा अच्छा है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हमें तो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की आवश्यकता है। हम जानना चाहते हैं कि इस इन्स्टीट्यूट से हमारे प्रदेश को क्या-क्या फायदे हुये ? उसे माननीय मंत्री जी बतायें क्योंकि हमारे सामने तो कोई चीज नहीं है। हम तो किसान को ज्यादा अच्छा समझते हैं जो अपने तजुर्बे से हमें कुछ बताता है। इस इन्स्टीट्यूट पर ५ लाख रुपया हर साल खर्च करना मेरी समझ में नहीं आता कि कहां तक उचित है। आखिर क्या आपने एक्सपेरिमेंट किये हैं और उससे हमारे गांव वालों की इनकम कितनी बढ़ी है यह बतलाया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि गांव वालों को एन०ई०एस० ब्लाक, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट और प्लानिंग का उद्देश्य अच्छी तरह बतलाया जाय और उनका मेंटल आउटलुक बढ़ाया जाय जिससे उनका ज्ञान और नालेज बढ़े और वह अपने स्टैंडर्ड आफ लाइफ को ऊंचा कर सकें। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि हमारे प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब इसको दूसरे प्रान्त वाले सुनते हैं तो हमारी बदनामी होती है। हम यह नहीं चाहते हैं कि बाहर वाले यह कहें कि उत्तर प्रदेश के विरोधी दल वाले ऐसी बात कह रहे थे। हम यह चाहते हैं मंत्री जी से कि अगर कमियां हैं तो उनको दूर किया जाय और इसीलिये उन कमियों को बताने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अवश्य ध्यान दें। यह एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट उनके हाथ में है लेकिन जरा हेल्थ का अवश्य ख्याल रखें। हम तो चाहते हैं कि आप हमसे सलाह लीजिये, स्टैंडिंग कमेटीज में बुलाइये लेकिन कुछ कार्य भी अवश्य होना चाहिये। आपने प्रान्तीय रक्षक दल को क्या खोला एक फौज बना रखी है। ठीक है माननीय मंत्री जी उससे काम लेना चाहते हैं और २०.८५ हजार रुपया उस पर खर्च हो रहा है। इसी तरह से एक कुमायूं डेवलपमेंट का काम है। लेकिन कुमायूं के रहने वाले भी जितने हैं चाहे कांग्रेस वाले हों या सोशलिस्ट हों वह नहीं जानते कि यह ३९ लाख रुपया कैसे खर्च होगा। लोकल डेवलपमेंट पर पिछले साल ४० लाख रुपया रखा गया था। इस साल वह १९ लाख ५१ हजार कर दिया गया है। यह कमी किस कारण हुयी यह समझ में नहीं आया। इस रुपये से हमारा बड़ा काम निकलता था और हम इसे अपनी तहसीलों में बांट लेते थे। मुझे इसमें एतराज है कि माननीय मंत्री जी ने उसमें इतनी कमी कर दी।

जहां तक टूरिस्ट ट्रैफिक का ताल्लुक है उसके डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। बनारस, आगरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा जमुना सब तरह के तीर्थ स्थान और सारे कल्चर के स्थान भरे हुये हैं और अगर बाहर से विदेशों के लोग वहां जाना चाहते हैं तो उसके लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है। टूरिस्ट ट्रैफिक के लिये कोई प्लानिंग और स्कीम दिखायी नहीं देती। प्रोपेगेंडा तो खैर अवश्य होना चाहिये लेकिन ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हमें बताया जाय कि भारत सरकार की सहायता से या किस तरह से इस ट्रैफिक को चलायेंगे। पहाड़ पर लोग चले जाते हैं तो उनको रहने को जगह नहीं मिलती। इस सम्बन्ध में आर्गनाइजेशन की जरूरत है और म्युनिसिपैलिटीज और दूसरी और संस्थाओं से कोआपरेशन करके टूरिस्ट्स को आराम पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिये जिससे वह आराम से सब जगह जा सकें और हमारे यहां के लोगों को कुछ ज्यादा फायदा पहुंच सके। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा हरगिज गवर्नमेंट को बदनाम करने का मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम प्रदेश के अन्दर डेवलपमेंट और विकास के काम करें और अगर हम सब पार्टीज एक मत होकर कुछ काम करेंगे तो केन्द्रीय गवर्नमेंट से भी कुछ अवश्य ले सकते हैं।

†राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं जो अनुदान मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि यह अनुदान और भी अधिक होना चाहिये था क्योंकि मैं यह मानता हूं कि इस विभाग ने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जागृति पैदा की है और इसके लिये मैं उनकी तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमन्, जैसा मंत्री जी ने कहा हमारा प्रान्त एग्रीकल्चरिस्ट्स का प्रान्त होने की वजह से उद्योग और विकास के सम्बन्ध में केन्द्र से हमारे लिये कुछ धन उपलब्ध नहीं हो सका।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिये कुछ सोचना पड़ेगा। हमारे प्रान्त से मिला हुआ विन्ध्य प्रदेश है और इसके लिये और बघेलखंड के चारों जिलों के लिये हमें केन्द्रीय सरकार से कहना पड़ेगा और कहना चाहिये कि इनको हमारे प्रदेश में मिला दिया जाय। यदि हम विकास चाहते हैं तो हमारे इस प्रदेश में धन की कमी नहीं है। यहां केवल खनिज पदार्थों की कमी है और उसकी कमी होने की वजह से हम उतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते जितना हम करना चाहते हैं। मैं इसीलिये श्रीमन् भवन से और सरकार से कहना चाहूंगा कि विन्ध्यप्रदेश को यू०पी० में मिला लिया जाय। मुझे इस बात का हर्ष है कि इस प्रदेश में अब एक वातावरण भी तैयार हो गया है और बड़े प्रान्तों का जो भय था वह भी अब हमारे प्रान्त को नहीं होना चाहिये। अब यह तय हो गया है कि बिहार और बंगाल एक हो रहे हैं, जब यह तय हो गया है कि मध्यप्रदेश इतना बड़ा रह सकता है तो क्या वजह है कि हम भी उसको न मिला सकेंगे। जहां और जैसे हम उन्नति कर सकते हैं और हम उनका भी अपना भी लाभ कर सकते हैं उनको क्यों न मिलाने के लिये प्रयत्न करें। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे एक डेपूटेशन बना लें इस सिलसिले में और प्रयत्न करें। बघेलखंड के सिलसिले में मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया है तो यदि हम उन भागों को जो खनिज पदार्थों से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश में मिला लेते हैं जहां हम तरह-तरह की चीजें इकट्ठा कर सकते हैं उसमें रुपया लगाकर विकास हो सकता है और अगर इस पूरे प्रदेश का विकास नहीं होगा उससे क्या पूरे भारतवर्ष का विकास नहीं होगा। इससे इस प्रदेश का भी फायदा होगा और उस प्रान्त के लोगों का भी फायदा होगा। मैं बुन्देलखंड का रहनेवाला हूं और उन चार जिलों का रहनेवाला हूं जो बुंदेलखंड के उन जिलों का भाग है जो विंध्य प्रदेश में है। हमारे उनके रहन-सहन और रीति-रिवाज सब एक ही प्रकार के हैं। इनको मिलाने में हमारा भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। इसमें कोई शरम की बात नहीं है यदि हम यह कहते हैं न कोई भय की बात है कि हमारा बड़ा प्रान्त है। अगर वे अलग रहना चाहते हैं तो हम नहीं मिलाना चाहते लेकिन यदि उन्हें जाना ही है तो ऐसी जगह उनको क्यों न मिलाया जाय जिससे दोनों का कल्याण हो।

अब मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है विकास के सम्बन्ध में उसको रखना चाहता हूं। जहां तक देहाती क्षेत्रों में विकास का सवाल है मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि यातायात का प्रबंध वहां पर कर दिया जाय तो बाकी चीजों के साधन अपने आप पैदा हो जाते हैं। यातायात के प्रबंध की वहां पर बहुत बड़ी जरूरत है इसी से हम वहां बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष––अब आप अपना भाषण सवा दो बजे के बाद जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

राजा वीरेन्द्रशाह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विकास योजना के सम्बन्ध में अर्ज कर रहा था। माननीय मंत्री ने उसका जो खाका खींच कर भवन में बतलाया उससे मैं सहमत हूं कि देहात में उन्नति करने की पहली सीढ़ी शुरू हो गयी है और लोगों को यह मालूम होने लगेगा कि अब देहात की तरक्की भी होनी शुरू हो गयी और कोई भी सरकार जो देहात का उत्थान नहीं करेगी वह सफल नहीं हो सकती। मैं यह अर्ज करूंगा कि विकास दो तरह का होना चाहिये। एक तो देहाती क्षेत्र में और दूसरा प्रान्तीय स्तर पर। कुछ तो योजनायें ऐसी हैं जो सारे प्रान्त को लाभ पहुंचाती हैं, जैसे माता टीला डैम हमारी तरफ बन रहा है या और बड़े बड़े डैम्स वगैरह हैं और कुछ योजनायें ऐसी होती हैं जिनसे स्थानीय आदमियों को तत्काल फायदा होता है, तो हमें यह भी सोचना चाहिये कि देहात में किस तरह से उत्साह बढ़े, किस तरह

[राजा वीरेन्द्रशाह]

से देहात का आदमी यह समझे कि सामूहिक या सेल्फ हेल्प जो हम लोगों का नारा है उसका प्रोत्साहन कैसे हो उसके लिये भी छोटी छोटी योजनायें होनी चाहिये। जैसा मैंने कहा, यातायात का प्रबंध, सड़कें बनाने के काम यदि आप करेंगे तो उससे अधिक लाभ होगा। मैं यहां आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में एक सड़क बन्थरा से माधोगढ़ पर श्रमदान हुआ और वह श्रमदान ऐसे हुआ कि आपके जिलाधीश और जिला नियोजन सेक्रेटरी इन सब ने मिल कर यह एलान किया कि अगर यह सड़क श्रमदान द्वारा बना दी जायगी तो हम इसको पक्की करा देंगे। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन सड़कों को प्राथमिकता दी गयी है उनमें से वह सड़क नहीं है। उसका आधा कंट्रीब्यूशन जमा भी कर दिया गया, तीन मील तो बन रही है लेकिन बाकी तीन मील सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं रखा है। अगर आप उस सड़क को बना देते तो गल्ले का केन्द्र माधवगंज में एक बहुत अच्छी खासी मंडी बन जाती।

मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि देहात में लोगों का उत्साह बढ़े तो जो काम आप शुरू करें उसको पूरा करें। जिन चीजों को आप पूरा नहीं कर पायेंगे उनके सम्बन्ध में मैं यह खेद के साथ कहूंगा कि उनसे लोगों का उत्साह भंग होगा और श्रमदान में हानि पहुंचेगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इधर ध्यान देंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियोजन मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सचमुच में समाज के निर्माण में नियोजन का बहुत बड़ा हाथ है और नियोजन जितना पुष्ट होगा उतना ही समाज भी पुष्ट होता चला जायगा। माननीय नियोजन मंत्री के प्रति उपाध्याय जी ने बड़ी सहानुभूति दिखायी कि उनके ऊपर काम बहुत अधिक है, बोझ बहुत ज्यादा है, कहीं उनका स्वास्थ्य न गिर जाय। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि काम करने से मनुष्य का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता बल्कि मनुष्य का स्वास्थ्य काम वासना से बिगड़ता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मंत्री जी इससे बरी हैं। इसलिये वह काम करने से कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, इससे निश्चिन्त रहना चाहिये और मैं यह नहीं मानता हूं कि किसी आदमी पर इतना काम होगा कि वक्त न मिल सकता हो। आदमी जितना चाहे काम कर सकता है। यह तो उसकी शक्ति और दिलचस्पी पर निर्भर करता है। जब से उन्होंने काम हाथ में लिया है तब से किसी काम के विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कुछ अवनति आ गयी है या ठीक से काम नहीं हो रहा है। इसके सिवाय उनको जो सहयोगी मिले हैं वह बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि यंगर जैनरेशन को मौका दिया जाय तो जितने उनके अधीनस्थ लोग हैं वह काम कर रहे हैं देखरेख उनकी है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि काम में कोई बाधा हुयी है।

अब आपने एक बात और कही कि २० तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। मैं कहूंगा कि आज रुपया मंजूर कर दिया गया है और २० तारीख को हम बैठेंगे तो नियोजन बना सकते हैं कि कैसे रुपया खर्च किया जाय इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हां, एक बात जरूर है कि गुप्ता जी मीटिंग बहुत कम बुलाते हैं। यह उनसे हमारी शिकायत है। इसकी मीटिंग जल्दी-जल्दी होनी चाहिये क्योंकि यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है।

इसके अलावा उपाध्याय जी ने एक शिकायत यह की कि उनके क्षेत्र में कोई विकास योजना केंद्र नहीं खोला गया है और गोवर्द्धन जी और पंत जी के क्षेत्र में तो खुल गये हैं। मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और खासकर उस क्षेत्र में जो उपाध्याय जी को बिलांग करता है। मैंने वहां देखा कि उनको किसी प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह अपना सारा काम अपने प्रभाव के बदौलत ही कर रहे हैं। एक तो वहां आपने मत्स्य कुंड बनवाया जहां पर मच्छर कुंड बना और अब सुना जाता है कि बैड मिंटन कुंड बन गया है। जो मछली पालने के लिये बना था वह सूख गया है मैं नहीं जानता कि कहां तक यह सही है, लेकिन सुना है कि वहां बैडमिंटन कोर्ट बन गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, भाषण असेम्बली का नहीं है। आप गुप्त जी कह रहे हैं, आपको माननीय गुप्त जी कहना चाहिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं निवेदन करूंगा कि नियोजन या कोआपरेटिव के काम में ऐसा न हो कि उनकी आंख बन्द हो जाय और लोग मनमानी करने लगें। हमें यह अनुभव है और ऐसे दृष्टांत हैं कि जहां कोआपरेटिव के नाम से बड़े-बड़े फार्म खोलकर सरकार के पैसे का दुरुपयोग लोग करते हैं और निजी लाभ उठाते हैं। यह बातें ऐसी हैं जिनकी ओर हमें नियोजन के कार्यकर्त्ताओं को और मंत्री जी को खासतौर से ध्यान रखना चाहिये। मैं अल्मोड़ा का एक दृष्टांत दे रहा हूं, वहां ५ हजार मन लीसा लिया गया है कोआपरेटिव के नाम पर, जिसका भाव ७ रुपये मन के करीब है। उसको यह कह कर लिया गया है कि उसका सामान तैयार किया जायगा और उसे बेचा जायगा। लेकिन ऐसा न करके आज उसको बाजार में २३ रुपये या उसके लगभग के भाव से बेचा जा रहा है। इसमें करीब ६०,७० हजार रुपये का वारा न्यारा होने वाला है और यह सब होने वाला है कोआपरेटिव के नाम पर। इन सब बातों की जांच होनी चाहिये। तो जैसा मैंने कहा, यह एक संकेत के तौर पर बात थी। जो इस प्रदेश के मंत्री हैं, कर्णधार हैं, उनको मैं आगाह करना चाहूंगा कि वह आंख खोल कर चाहे वह कोआपरेटिव हो, या प्लानिंग हो या और कोई विभाग हो उसके काम को करें और जो मैंने लीसे की बात कही उसमें तो हमारे उपाध्याय जी का खास हाथ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन सब बातों पर खासतौर से ध्यान दिया जाय और इसकी जांच हो।

इसके अलावा एक बात पर मैं और खासतौर से जोर दूंगा और यह बात मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि विन्ध्यप्रदेश, बुन्देलखंड और सी० पी० के वे हिस्से जो हमारे यहां के भागों से मिले जुले हैं वहां के लोग हमारे साथ में हैं। अभी १४,१५ फरवरी को वहां एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि वह क्षेत्र उत्तर-प्रदेश में मिलाया जाय और जैसा राजा वीरेंद्र शाह जी ने कहा बड़े और छोटे प्रांत का सवाल नहीं है, क्योंकि जब बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्य मिल रहे हैं तो विन्ध्य प्रदेश अगर हमारे साथ रहता है तो कोई वैसी बात नहीं। यह प्रदेश अगर कहीं और मिलता है तो उसको यहीं मिलना चाहिये, अगर स्वतंत्र रहना चाहें तो बात दूसरी है। इसके कारण हैं। एक तो रिहन्द बांध, रेणुका सागर जो बन रहा है, उसका एक भाग विन्ध्यप्रदेश में भी जाता है, तो एक डुयेल सिस्टम आफ गवर्नमेंट होगी और इसमें बाधा होगी। इसके अलावा हमारे पास खनिज पदार्थों की कमी है और वह प्रदेश खनिज में बहुत रिच है, तो इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उसका भी लाभ होगा। प्लानिंग बिना खनिज के पूरी नहीं हो सकती और उसके बिना किसी प्रदेश की माली हालत सुधर नहीं सकती। हमारे प्रदेश में खनिजों की बहुत कमी है इसलिये अगर विन्ध्य प्रदेश को मिलना है तो उसे उत्तर प्रदेश में ही मिलना चाहिये। इसके लिये अगर आवश्यक हो तो हमारा एक डेपुटेशन बनना चाहिये और इसके लिये हमें पूरा जोर लगाना चाहिये। मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। वहां की जनता हम से मिलना चाहती है इस बात को हमने अच्छी तरह से देख लिया है।

एक बात और जो यहां ज्योलोजिस्ट विभाग है उसको कार्यक्रम में यहां बड़ी गड़बड़ी होती है। जाड़े में उसके अधिकारियों को अल्मोड़ा भेज दिया गया और गरमी में हमारे दुद्धी जैसे गरम क्षेत्र में भेजा जाता है। उनको अपने काम के सिलसिले में एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ता है, डेरा खेमा तक साथ साथ लेकर घूमना पड़ता है। हमारे यहां वह बाहर से, बांदा से आकर पड़े हुये हैं, उन्होंने बांदा से अपना सामान चालान किया था लेकिन अभी तक उनका सामान नहीं पहुंचा है और वह बेकार है। इस तरह से उनको असुविधा होती है।

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

मैं चाहूंगा कि जो ज्योलोजिस्ट जाते हैं उनको कोई व्यक्ति गाइड के तौर पर मिलना चाहिये क्योंकि जिस जगह वह अनुसंधान करने जाते हैं वहां वह बहुत बार पहुंच नहीं पाते। आप जिलाधीशों को यह आदेश दें कि उनको पूरी सुविधा दी जाय, क्योंकि उनको जंगलों में जाना पड़ता है। ऐसा न होने से उनके कार्य में बड़ी बाधा पड़ती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनके कार्य पर खास तौर से ध्यान दिया जाय।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के लिये माननीय गुप्त जी को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक हमारे इस प्रदेश की प्लानिंग का सम्बन्ध है हमें इस तरीके से सोचना चाहिये कि कहां-कहां किन-किन चीजों की आवश्यकता है और उनको हम कितने थोड़े अरसे में अपने जितने साधन हैं उनके अन्तर्गत पूरा कर सकेंगे। यह उसूल सा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक नियोजन का संबंध है, उसके आब्जेक्टिव का संबंध है, वह तो स्पष्ट है और हमारी पिछली ५ साला योजना से जो तरक्की, जो उन्नति इस प्रदेश में हुई है वह काफी संतोषजनक है।

आबपाशी की सहूलियत बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है और दूसरे बड़े बड़े कार्य जैसे बिजली और डाम वगैरा के काम हैं वह सब साधन यहां पर अपने प्रदेश में बढ़ाये गये हैं। यह बड़े काम हैं, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आपका एक खास उद्देश्य है जिसको आपने अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर रखा है कि जो क्षेत्र पिछड़े हुये हैं, जो आबपाशी के मामले में, आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में और दस्तकारी के मामले में जिनकी कमर टूटी हुई है यानी यों कहिये कि जहां पर पैदावार भी कम होती हो तो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जायगी। उनको कैसे आगे बढ़ाया जायगा यह स्पष्ट बात है, जो सोचने की है। लेकिन हमारी प्लानिंग का तरीका कुछ ऐसा रहा है जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कल या परसों एक बात कही कि हमने प्लानिंग को कम्युनिटी प्रोजेक्ट के क्षेत्रों में इसलिये कायम कर दिया है कि वहां लोग इसके लायक थे यानी वह उस स्तर के थे जो उनको जल्दी से ही अडाप्ट कर सकें। तो मैं यह कहूंगा कि हम जब प्लानिंग कमीशन की इस बात को महसूस करते हैं कि जो पिछड़े हुये हैं उनके लिये विशेषकर आगे बढ़ने की गुंजाइश करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। अगर हम ऐसा करेंगे कि जो आगे बढ़े हुये हैं आगे भी उनकी ही तरक्की होती रही और उनकी ही तरक्की की गयी तो उसका नतीजा यह होगा कि जो असमानता है वह और बढ़ेगी। हरिजनों के लिये एन० ई० एस० ब्लाक का उद्देश्य कुछ विपरीत सा रहा है। जहां पर आबपाशी के मामले में, ट्यूबवेल के मामले में और पैदावार के मामले में ज्यादा उन्नति हुई है उन जगहों पर ही कम्युनिटी प्रोजेक्ट या उन्हीं जगहों पर एन० ई० एस० ब्लाक की रचना की गयी। पता नहीं यह किसलिये किया गया है? मैं समझ नहीं सकता कि जिलों में इस प्रकार से क्यों किया गया? अगर सारे जिलों का सर्वे किया जाय तो ऐसा भी स्थान आपको मिलेगा जहां पर बहुत ही पिछड़े लोग मिलेंगे। इसके मुताल्लिक अगर मैं यह कहूं कि बलिया जिले का मुआवा किया जाय तो यह मालूम होगा कि मेरे जिले में ऐसी जगह हैं जिसको छोड़ दिया गया है और वह एन० ई० एस० ब्लाक के अन्दर नहीं आई हैं। ऐसे इलाकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी। लेकिन इसके विपरीत किया गया है। परन्तु समझ में नहीं आता कि यह क्यों किया जाता है? कहा यह जाता है कि नीचे से प्लानिंग की जाय, लेकिन जब वह नीचे से बनकर आती हैं तो फिर वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में वह चीज जाती है, तो वहां पर वह एक इंसानी चीज हो जाती है और शुरू में अगर एहसास होता है कि यह प्लानिंग सबसे पहले लेना चाहिये तो कहा जाता है कि कंसीडरकिया जायगा, लेकिन फिर उस पर कोई डिसीजन नहीं होता। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारा मकसद अपने देश से गरीबी को और बेरोजगारी को मिटाने का है तो फिर समझ में नहीं आता कि हमारी प्लानिंग योजना की पूर्ति क्यों नहीं होती है। प्लानिंग अफसरों की तरफ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि इसमें भी काफी अन्तर है। जिस समय प्लानिंग अफसर नियुक्त किये गये उस वक्त माननीय पंत जी ने कहा था कि हम अपने प्लानिंग अफसरों की नियुक्ति अपने डिप्टी कलेक्टरों में से करेंगे और उनमें पिछड़ा हुआ या हरिजन जो भी उसके लायक होगा उनको ले लेंगे। लेकिन अब हम उसके विपरीत देख रहे हैं। जब हम यह कहते हैं कि क्या हमारे यहां डिप्टी कलेक्टर नहीं हैं, जो बाहर से लिया जाता है। अब जो बाहर से लिया जाता है वह क्यों लिया जाता है? हरिजनों को नहीं लिया जाता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक छोटी सरविस के थे और सरकारी सरविस में वह आज तक कंफर्म नहीं हो पाये हैं? प्लानिंग आफिसर जब इस तरह का कार्य करते हैं और मैंने इन ३, ४ सालों में देखा है कि हरिजनों के मुताल्लिक जब कोई बात आती है तो उनके साथ ऐसी बातें की जाती हैं जो अन्टीडोट करने वाली हैं। पब्लिक सरविस कमीशन ने उनको कंफर्म नहीं किया है, उनको वहीं रखा हुआ है। ऐसी दशा में मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। आप अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो जो पिछड़े हुये हैं उनको आगे बढ़ाइये। जो क्षेत्र पिछड़े हुये हैं उनके लिये हमको ज्यादा सोचना पड़ेगा और उनकी मंशा से कार्य करना पड़ेगा।

एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक हरिजनों का संबंध है, उनके लिये कोई प्लान ही नहीं है। अगर उनके लिये कोई ऐसी प्लानिंग होती तो अवश्य ही उनको प्राथमिकता दी जाती। अगर उस तरफ सर्वे किया गया होता तो मैं समझता हूं अवश्य ही उनका भला होता।

उत्तर प्रदेश में देवबन्द ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट फार काटेज इंडस्ट्रीज तथा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज खोला गया है। जो भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट खोला जाता है उसके दो ही कारण होते हैं--एक तो यह कि वहां पर जो पुराने उद्योग धंधे हैं, जो पिछड़े रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाय और दूसरा यह कि किसी स्थान की गरीबी को दूर करने के लिये तरह-तरह के उद्योग-धंधे खोले जायं। लेकिन वहां पर इन दोनों उद्देश्यों में से एक भी पूरा होता दिखायी नहीं पड़ता है। आपका प्लानिंग ऐसा हो रहा है कि जो ऊंचे स्तर के जो लोग हैं उन्हीं को लाभ हो रहा है। इसलिये मैं आपसे साफ तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आपको प्लान बनाना है तो हमें इस तरीके से काम करना होगा और उन लोगों को सहूलियत देनी होगी जिनको ज्यादा जरूरत उसकी है, आपको वहीं टेक अप करना चाहिये।

हरिजनों की शिक्षा के बारे में प्लानिंग कमीशन के नोट में लिखा हुआ है कि जितने पिछड़े हुये लोग हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा तक सब फ्री होनी चाहिये। न केवल फ्री होनी चाहिये बल्कि बोर्डिंग और लाजिंग के खर्चे का भी प्रबन्ध होना चाहिये। आज हालत यह है कि करीब २९ हरिजन हैं जिनमें से केवल ६ हजार को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर के आप इन पिछड़े हुये लोगों के लिये योजना बनायें और उसको पूरा करें।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने नियोजन का बजट पेश है। हमारे नियोजन मंत्री ने जो बजट पेश किया है और उसके द्वारा जो सुनहरी तस्वीर खींचने की कोशिश की है, प्रदेश की या हमारे इस राज्य की, अगर उस तस्वीर को देखकर कोई विदेशी या ऐसा अन्य आदमी जिसको तथ्यों की जानकारी न हो, उसे उत्तर प्रदेश के ढूंढ़ने में परेशानी होगी। क्योंकि जो सुनहरी तस्वीर खींची गयी है वह ऐसी नहीं है जो असलियत में होनी चाहिये। इसमें कोई शक नहीं कि यदि भारत जैसे गरीब देश को उन्नतिशील बनाना है तो नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसेवक यादव]

इस मौजूदा प्लानिंग को देखते हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि दरअसल यह प्लानिंग नहीं है। इसमें हम कुछ रुपये को खर्च करना चाहते हैं और उस रुपये को खर्च करने का एक ढंग बना लिया गया है। दरअसल अगर आपको इस राज्य को तरक्की देनी थी तो इस बात की आवश्यकता थी कि आप सर्वे करायें, आपको इस बात की जानकारी रखने की आवश्यकता थी कि आप यह जानकारी रखें कि आपको कितने गल्ले की जरूरत है, किस कदर कपड़े की जरूरत है, कितने लोहे और कितने कोयले की आवश्यकता है, कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लाइड और बेकार हैं, उनको किस प्रकार से बसाया जायगा? कितने ग्रामीण उद्योग-धंधे ऐसे हैं जिनको आप इस राज्य में तरक्की दे सकते हैं, कितने गांव ऐसे हैं जिनको आप ऊपर उठा सकते हैं? लेकिन इसके हमारे सामने आंकड़े नहीं हैं और इन्हीं बातों की जानकारी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन हमारे सामने ऐसी चीज नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया था कि उनके पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। एक चीज हम जरूर आज देखते हैं कि इस प्लानिंग डिपार्टमेंट में अधिकारियों का बढ़ावा बहुत जोरों से हो रहा है, हर जगह अफसरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। गांवों में क्या, जिलों में क्या और सेक्रेटेरियेट में क्या, हर जगह एक ब्यूरियोक्रेटिक ढंग अपनाया जा रहा है। इसको कभी भी प्लानिंग नहीं कहा जा सकता, अगर इसको प्लानिंग की संज्ञा दी भी जा सकती है तो यही कहा जा सकता है कि यह प्लानलेस प्लान है।

एन० ई० एस० ब्लाक्स का जिक्र किया गया। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि एक एन० ई० एस० ब्लाक को लिया जाता है। लेकिन अगर इन एन० ई० एस० ब्लाक्स में अधिकारियों और इस्टेबलिशमेंट पर जो खर्चा होता है उस सबको निकालें तो जहां इस प्लान के नाम पर साढ़े ६ लाख रुपया हर क्षेत्र में खर्च हो रहा है, वहां वास्तविक रूप से तरक्की की तरफ सिर्फ १ लाख रुपया खर्च किया जाता है।

ट्यूबवेल्स के बारे में कहा गया कि वे बहुत बनाये गये हैं। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूबवेल्स पर जो खर्चा होता है हमारे इस राज्य के अन्दर ७५ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास दो एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, उन किसानों को इस हालत में ट्यूबवेल्स से कोई लाभ नहीं होता। जो बड़े-बड़े फार्म्स पूंजीपतियों ने बना रक्खे हैं उन्हीं को इन ट्यूबवेल्स से फायदा होता है। सिंचाई की दर इस हद तक बढ़ी हुई है कि उससे वे लाभ नहीं उठा सकते। इसके लिये कोशिश यह की जाय कि जगह-जगह पर कुंवे बनाये जायं और उन इलाकों में जहां सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां छोटे-छोटे कुंवे बनाये जायं जिससे पुर बन सकें, इससे ज्यादा फायदा होगा। पंपिंग सेट्स के बारे में जिक्र किया गया कि उनके जरिये सिंचाई की जायगी। असलियत तो यह है कि कहीं पंपिंग सेट्स हैं भी नहीं और अगर कहीं हैं तो इसमें फेवरेटिज्म इस कदर है कि दरअसल लोगों को फायदा नहीं हो पाता है।

रोड ऐंड कांस्ट्रक्शन में काफी डेवलपमेंट होगा और आगे के लिये इशारा किया गया है। मैं और अधिक नहीं जानता, अपने जिले की बात कहूंगा कि बाराबंकी जिले में कच्ची सड़कें जिस प्रकार की थीं उनमें किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ है। न उनकी हालत सुधरी है और अगर गलत न कहता होऊं तो यही कहा जा सकता है कि उनकी हालत और बिगड़ गई है। बाराबंकी ऐसे जिले में सड़कों को सुधारना और नई सड़कों को बनाना अत्यन्त आवश्यक है इसलिये कि वहां पर जो अराजकता फैली हुई है उसको किसी तरह से अगर चेक कर सकते हैं तो आने-जाने के लिये साधन तो उपलब्ध ही होने चाहिये। किन्तु वह चीज नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बड़ी योजनाओं का संबंध है हमारे बाराबंकी जिले में एक बहुत जरूरी चीज है। फतेहपुर तहसील, रामसनेही घाट का क्षेत्र घाघरा नदी के कारण बहुत ही बाढ़-पीड़ित है और हजारों नर नारियों की रोजी-रोटी छिन जाती है और घर द्वार बह जाते हैं, लेकिन उस संबंध में इसमें किसी तरह का संकेत नहीं है। अगर वहां कोई योजना

कार्यान्वित की जाय तो उससे सिर्फ बाराबंकी जिले को ही नहीं बल्कि बहराइच, गोंडा और सीतापुर आदि कई जिलों को काफी लाभ पहुंच सकता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूं कि जहां तक फेवरेटिज्म का ताल्लुक है इसको चेक किया जाय तो काफी लाभ लोगों को हो सकता है। बाराबंकी से कुछ दूर कल्याणी नाले पर एक पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी। बड़ी श्रमदान की दोहाई दी गई और कहा गया कि बड़े सुचारु रूप से यह कार्य चलेगा। श्रीमन्, हम लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन चूंकि वह इलाका इसी सदन के एक माननीय सदस्य लल्ला जी थे उनका था और वे विरोधी थे इसलिये जगह-जगह पर प्लानिंग कमेटी की बैठकों में उसकी मुखालिफत हुई लेकिन जनता के कार्यकर्त्ताओं ने कहा कि हम तो उसे बनायेंगे, तो जिलाधीश और वहां के इंजीनियर साहब (कैनाल डिवीजन) ने यहां तक धमकी दी कि यह पुल बनाया गया तो हम उसे खुदवा डालेंगे। इस तरह का फेवरेटिज्म बरता जाता है। हम चाहते हैं कि देश बने और सरकार और मंत्रीगण भी यही चाहते हैं लेकिन इसके लिये इस तरह की बातें खत्म होनी चाहिये तभी इस देश को फायदा पहुंच सकता है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियोजन का काम बहुत बड़ा काम है और बहुत सराहनीय काम है लेकिन इससे काम भी अच्छा हुआ है और हमारे समाज का संगठन भी हुआ है। यह सही बात है लेकिन हम महिलाओं की तरफ बहुत कम दृष्टि गुप्ता जी की जाती है और जब हम महिलायें बोलने के लिये खड़ी होती हैं तो वह सोचते ही होंगे कि हम केवल महिलाओं की बात कहेंगी। यह तो हमें कहना ही पड़ता है। क्योंकि हमारे लिये उन्होंने बहुत कम अनुदान इसमें रखा है। महिला मंगल का काम अवश्य ही उनके विभाग के द्वारा हमारे प्रांत में चलता रहता है। उसमें ३५ जिले लिये भी गये हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या इतने ही केंद्र आपने पुरुषों के लिये खोले हैं जितने महिलाओं के लिये खोले हैं? क्या उन ३५ केंद्रों से इतने बड़े प्रांत में महिलाओं का संगठन हो जायगा? हम चाहते हैं कि महिलाओं के संगठन के लिये एक-एक ग्राम में चलते-फिरते स्कूल शुरू कर दिये जायें और उनका छः महीने का कोर्स रखें जिससे हमारी बहनें कुछ दस्तकारी का काम सीख सकें और प्रौढ़ शिक्षा भी हो सके ताकि उनकी आर्थिक अवस्था भी ऊपर उठ सके। उससे हमारी बहनों को काफी लाभ पहुंचेगा और हमारी देहाती बहनें शिक्षित भी हो सकेंगी। मैं चाहती हूं और उनसे यह अनुरोध करती हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें और हमारी बहनों के लिये यह योजना जल्दी से जल्दी बना दें, प्रांत भर में यह योजना चालू कर दें, जिससे हमारा महिला समाज आगे बढ़ सके। प्रांत में जितने भी एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हैं मैं समझती हूं कि महिलाओं की तरफ वहां भी बहुत कम ध्यान दिया गया है। सिवा नारी मंगल योजना के और कोई भी कार्य महिलाओं का वहां नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूं कि आपने जितने पुरुषों के केंद्र खोले हैं और जितने भी उनकी उन्नति के कार्य हैं उतने ही महिलाओं के भी केंद्र वहां खुलने चाहिये। मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें जिससे हम महिलाओं का संगठन बढ़ सके। वह सोचते होंगे कि काम केवल पुरुषों से ही चल जायगा और स्त्रियों से काम लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन उनको मानना ही होगा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो दोनों अंगों को, दोनों शक्तियों को ऊपर उठाना होगा। यदि मातायें ऊपर नहीं उठेंगी तो फिर छोटे-छोटे बच्चे कैसे ऊपर उठ सकेंगे? कैसे योग्य बन सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपसे ज्यादा न कह कर इतना ही अनुरोध करूंगी कि आप एन० ई० एस० ब्लाक्स में जहां कहीं कार्य शुरू करें वहां महिलाओं का ध्यान अवश्य रखें जिससे हमारा समाज उठ सके और इस प्रांत को ऊंचा स्थान प्राप्त हो सके। मैं और अधिक न कह कर गुप्ता जी का ध्यान केवल

[श्रीमती सज्जनदेवी महनोत]

महिलाओं की तरफ ही खींचना चाहती हूं और चाहती हूं कि वह जल्दी से जल्दी इस योजना को चालू कर दें जिससे हमारे शहरों में और देहातों में महिलाओं का स्तर ऊंचा हो सके। दूसरे मैं यह चाहती हूं कि जो अम्बर चरखा अब चलाने वाले हैं। उसके लिये महिलाओं के लिये शहरों में भी अम्बर चरखे की योजना चला दी जाय जिससे हमारे शहरों के घर की बहनों को भी काफी आर्थिक सहायता मिल सके। शहरों में भी महिलाओं के लिये छः महीने का सचल कोर्स चालू कर दें जिससे हमारी बहनें शिक्षित हो सकें और अपनी आर्थिक अवस्था सुधार सकें।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय के अन्दर जन समुदाय ने कुछ गलतियां कीं और सबसे बड़ी गलती जन समुदाय की यह रही कि उसने अपना ऐसा फैलाव नहीं किया, उसने अपने उत्पत्ति के साधन पीछे छोड़ दिये और यह हालत आयी कि जनसमुदाय का जीवन पोषण मुश्किल हो गया। इसलिये आज के युग में सारे विश्व के देशों में इस बात की आवश्यकता पैदा हो गयी कि वह फिर से जन समाज और उत्पत्ति के साधनों में एक संतुलन पैदा करें जिससे उत्पत्ति के साधन जन-समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो सकें। ऐसी ही व्यवस्था का नाम हम प्लानिंग देते हैं। आज दूसरे देशों में भी प्लानिंग की व्यवस्था बन रही है और हमारे देश में भी जब से स्वराज्य प्राप्त हुआ, प्लानिंग हो रही है। पहले पांच साल की प्लानिंग की योजना हम समाप्त कर चुके और अब दूसरी पंचवर्षीय योजना का हम आरम्भ करने जा रहे हैं।

हमारा जो सूबा है अगर हम उसके प्लानिंग को देखते हैं और भारत के प्लानिंग को देखते हैं उसको देख कर हमें यह आश्चर्य होता है कि हमारा कुछ प्लानिंग ठीक सा नजर नहीं आता। हमारा सूबा कोई स्वतंत्र सूबा नहीं। वह एक बड़े देश का अंग है और हमारे सूबे की जनता ६ करोड़ से अधिक है, १८-१९ फीसदी भारत की होती है। हमारा रकबा बहुत सीमित है। इसलिये उसको देखते हुये आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे सूबे की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की बनायी जाती, भारत सरकार की ओर से जिससे कि हमारे सूबे का औद्योगीकरण ठीक प्रकार से हो सके और हमारी ऐग्रीकल्चरल एकोनोमी ठीक प्रकार से चल सके। हमारे प्रदेश के अन्दर मिनरल रिसोर्सेज नहीं। ऐसे कच्चे माल की पैदावार हमारे सूबे के अन्दर नहीं है जिससे हमारे सूबे का औद्योगीकरण ठीक प्रकार से हो सके। आवश्यकता इस बात की थी प्लानिंग के अन्दर कि कुछ हिस्सा या तो पूर्व का या दक्षिण का हमारे सूबे के अन्दर मिलाया जाता जिससे हमारे प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज और कच्चा माल हो जाता और जिससे हमारे औद्योगीकरण हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। केवल हमें ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी के ऊपर ही निर्भर छोड़ दिया गया। जो देश ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी पर निर्भर होता है याद रखिये वह देश गरीब होता है, उसकी इकोनामी गरीब होती है, उसकी हालत गरीब होती है। इसलिये हमारे लिये एक बड़ा प्रश्न पैदा हो गया। लेकिन अगर ऐसा हमारा प्लानिंग नहीं रखा गया तो कम से कम ऐसा प्लानिंग हमारे सूबे के लिये होता कि जिससे हमारी ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी को प्रायरिटी दी जाती और हमारी ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी ऐसी बनायी जाती ताकि दूसरे प्रदेश हमारी ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी की होड़ में न आ सकते। लेकिन वैसा भी नहीं किया गया। इसलिये हम आशा करते हैं कि प्लानिंग और हम अपने प्रदेश की सरकार से भी इस बात की आशा रखते हैं, आग्रह करते हैं कि वह केंद्रीय सरकार पर इस प्रकार दबाव डालेगी जिससे हमारे सूबे के अन्दर या तो हमारी ऐग्रीकल्चरल इकोनामी को दूसरे सूबों से प्रायरिटी दी जाय या हमारे प्रदेश में ऐसे मिनरल रिसोर्सेज की पैदावार बढ़ायी जाय दूसरे भागों को मिला कर जिससे हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण हो सके, और हमारे जनसमुदाय उत्पत्ति के साधनों से संतुलन पैदा हो सके। यह तो बात मैंने भारतवर्ष के तमाम प्लानिंग का और अपने प्रदेश के प्लानिंग का संतुलन करते हुये रखी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक हमारे प्रदेश की प्लानिंग का संबंध है मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रदेश की प्लानिंग में जो टारगेट्स जो रुपया हमारे हाथों में दिया था उसे हमने ठीक तौर से और हमने अपने टारगेट को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जिसके लिये प्लानिंग विभाग और उसके अफसर धन्यवाद के पात्र हैं और उनकी जितनी सराहना की जाय थोड़ी है। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे दो, तीन सुझाव आपके सामने रखने हैं।

जब माननीय मंत्री जी ने आरम्भ में बोलते हुये कहा कि हमने ऐसे नस्लों के जानवरों की नस्ल को नष्ट करने की कोशिश की है जो नस्लों को खराब करते थे। ठीक था, ऐसा करना चाहिये था, उनको कैस्ट्रेट करना ही चाहिये था लेकिन मानव समाज के लिये आपने क्या किया? मानव समाज बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा, न आपने इस बात की कोशिश की कि वह लोग जो संक्रामक रोगों को पैदा करते हैं, जिनके खून से तमाम नस्लों के अन्दर रोग पैदा होते हैं—जैसे कोढ़, सिफलिस या और ऐसे रोगों को आपने उनको नष्ट करने की कोशिश की, स्टेरीलाइज करने की कोशिश की? कम से कम उस जनसमुदाय को आपको रोकना चाहिये था ताकि वह आइन्दा की आने वाली नस्ल को खराब न कर सकें और उनको स्टेरीलाइज करना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि कम से कम आप अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट में एन० ई० एस० ब्लाक और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में ग्रामवासियों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करें कि वे माडल विलेजेज बनाने की कोशिश करें, उनको हर तरह से प्रोत्साहित किया जाय और यह देखें कि वे किस तरह उन्नति करते हैं।

तीसरी बात मुझे यह कहनी थी कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स में आप यह देखें कि एक-एक आदमी के हाथ में कै प्रकार के धंधे हैं, कै प्रकार के धंधे कर रहा है ताकि उनके ऊपर आप कंट्रोल रखें। अगर एक आदमी ५ प्रकार के प्रोफेशंस लिये हुये हैं तो वह आदमी पांच आदमियों की रोजी ले लेता है। तो आप इस बात का प्रयत्न करें, इस बात की प्लानिंग करें उसके हाथ में जीवन निर्वाह के लिये एक ही प्रोफेशन रहे। बाकी चार प्रोफेशन न रहें ताकि हम बेकारी को इस तरह से एक प्लांड वे में मिटा सकें और बेकारी को मिटाने में कामयाब हो सकें। ये ही दो तीन सुझाव मैं जल्दी-जल्दी में आपके सामने अर्ज कर सका। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो जितना रुपया आप लगा रहे हैं वह रुपया सफल होगा और हमारी प्लानिंग ठीक तरीके से व्यवस्थित रूप से हो सकेगी, यह मैं आशा करता हूं लेकिन आप अगर इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो मैं यह समझता हूं कि जो यह आशा है वह आशा मात्र ही रह जायगी और उससे हम ठीक उन्नति अपने सूबे या अपने देश में नहीं ला सकेंगे। मुझे थोड़े से शब्दों में आपकी सेवा में यही सुझाव रखने थे।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय सदस्य ने एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज जिस जिले में आप जायं वहां आजकल प्लानिंग का मसला मौजूद है और प्लानिंग ने एक-एक हर जिले में कमेटी बना ली है। उसमें एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० वगैरह वगैरह तमाम जगहों के आये हुये मेम्बर हैं। उसमें कमेटी के द्वारा हर गांव में श्रमदान भी हो रहा है, तो श्रमदान तो एक बड़ी अच्छी चीज है और उसमें एक यह भी है कि रास्ते बनें, बड़ी बड़ी सड़कों से रास्तों को मिला दिया, यह तो सब बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हैं लेकिन उसमें एक चीज बहुत बेहतर हमारे आफिसरों ने कर दी है कि जब गांव वाले श्रमदान करते हैं तो श्रमदान तो इसलिये करते हैं कि इस देश का कुछ भला हो, लेकिन यह प्लानिंग में सैकड़ों, हजारों रुपया इस तरीके से गांव वालों की बेहतरी के लिये दिया जाता है। रुपया से पानी की धार बहा दी जाती है, लेकिन उस धार का ऐसा उपयोग होता है कि जिसके लिये क्या कहा

[श्री हरिप्रसाद]

जाय। उसके कुछ थोड़े से उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले प्लानिंग कमेटी में जो मेम्बर साहबान हैं और हाकिम हुक्काम हैं वह खड़े होकर यह कहते हैं कि हमने इतने तो खाद के गड्ढे बनवाये। कृषि वाले आते हैं वह बताते हैं कि इतना गल्ला गोदामों से बंटवा दिया, इतने औजार बंटवा दिये, गांव वालों को खेती करना सिखाया, पंचायत इन्सपेक्टर खड़े होकर कहते हैं कि इतने मील सड़क बनवायी, इतने कुयें बनवाये, इतने पम्पिंग सेट लगवाये, ऐसे ही वगैरह वगैरह चीजें बतलाते हैं जिसमें बहुत से लोग तो यह भी बतलाते हैं कि हमने इतने पेड़ लगवाये और महिला मंगल योजना की संयोजिका बतलाती हैं कि इतने औरतों को स्वेटर बुनना सिखा दिया, इतनों को उनके बच्चों का पालन पोषण, कपड़ा सीना सिखा दिया, इतनों को सफाई से रहना सिखाया। तो मैं सरकार से यह पूछता हूं कि कितने ऐसे गांव वाले हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण करना नहीं जानते, कितने ऐसे हैं जो साफ तौर पर रहना नहीं जानते तो उन्हें आपने क्या सिखाया? जब उनके पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वह सफाई से रह सकें, जब उनके पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वह अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकें तो उन्हें आप क्या सिखायेंगे? सरकार से मैं यह भी पूछता हूं कि जब वह बताते हैं कि इतने गड्ढे उन्होंने खुदवा डाले तो वह पीलीभीत के जिले की एक रिपोर्ट साल भर की मांग लें। अगर उन तमाम साल भर की रिपोर्टों को इकट्ठा कर लिया जाय और उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि वहां इतने गड्ढे बन गये हैं, कि जिले पीलीभीत में खेती करने के लिये एक इंच भर भी जमीन नहीं रही होगी। इसी तरीके से कुयें हैं, मैंने एक दफा एक गांव का हिसाब देखा। उसको देखने से पता चला कि ९ कुयें बनाये गये और नौ के नौ कुयें कम्पलीट हो चुके हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नौ में से केवल दो कुयें नये बने हैं, बाकी सात पहले के जो कुयें थे उन्हीं को ठीक कर दिया गया है। तो भी उन में से दो कुयें तो नये बने लेकिन बाकी सात का रुपया क्या हुआ इसका कोई पता नहीं। जब प्लानिंग आफिसर से शिकायत की तो वह कहते हैं कि जब मैं अपने क्लर्क को नहीं रोक पाता हूं तो इतने बड़े जिले में कैसे रोक सकता हूं? तो ठीक है और आजकल जमाना ही है कि खूब लूटो लुटाओ और खाओ और खिलाओ। दूसरे सरकार यह कहती है कि गांव वालों के लिये बड़ा बेहतर काम वह करती है। मैं यह मानता हूं लेकिन मैं आज सरकार से पूछता हूं कि आप जो श्रमदान कराते हो वह शरमदान है या बेशरमदान है या बेगारदान है या किसानदान है, यह क्या है? आज इस वक्त मौका है वैसे तो आप कह देते हैं कि हमें पता नहीं लगता, लोग झूठ कहते हैं लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पीलीभीत में देखो जाकर, वहां पी० डब्लू० डी० के द्वारा ३१ मार्च को ठेका दिया जायगा लेकिन फिर भी पुलिस अपने डंडों के जोर से किसानों से श्रमदान कराती है। तो इस श्रमदान को बेगारदान कहा जाय या जबर्दस्तीदान कहा जाय। ये किसान तो मर पिट कर मिट्टी डाल देंगे लेकिन उस मिट्टी डालने का रुपया ये सारे टाईवाले खा जायेंगे और जिस दिन आप भी दौरे पर जायेंगे उसमें से कुछ थोड़े से हिस्से की दावत आपको भी दे देंगे। तो जब ३१ मार्च को ठेका होने वाला ही है तो फिर यह श्रमदान कैसा है और क्यों करवाया जा रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ तो प्लानिंग वाले खा लेंगे और कुछ हमको भी खिला देंगे, इस तरह की चीजें कहना कहां तक उचित है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है।

श्री हरिप्रसाद—बहुत अच्छा, नहीं करेंगे। वैसे मैंने आपके लिये नहीं कहा है, मैं तो मिसाल दे रहा हूं। मेरा यह मतलब नहीं है कि गुप्ता जी खा जायेंगे। अच्छा अब फिर नहीं कहेंगे, मुश्किल यह है कि जो बात सही होती है कही जाती है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान नियोजन विभाग का माननीय नियोजन मंत्री ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है वह देखने को तो लगभग सवा सात करोड़ भर रुपये का है परन्तु वास्तव में प्रदेश की निर्माण सम्बन्धी जितनी भी प्रगति होनी है, उन सबका आधार केवल यही एक नियोजन विभाग है। कांग्रेस के अवाड़ी प्रस्ताव के बाद प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के निमित्त जो नियोजन विभाग के द्वारा करने की रूप रेखा माननीय नियोजन मंत्री ने प्रस्तुत की है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। विशेषतः इस लिये कि यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि नियोजन का विभाग हमारे मंत्रिमंडल में से ऐसे माननीय मंत्री से संबंधित है जिनका जनता से सीधा सम्पर्क है और जो जनता की सेवा करने के लिये ही अपना जीवन वक्फ कर चुके हैं। अब जैसा कि माननीय नियोजन मंत्री जी ने कहा और जैसा कि विभाग की ओर से बांटी गई पुस्तक में वर्णित है। प्रदेश में शिक्षा, विद्युत, चिकित्सा, हरिजन एवं समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण या किसी भी अन्य विभाग से संबंधित जो भी कार्य नियोजन विभाग में स्वीकृत हो जाते हैं वही प्रदेशीय और जिलों के स्तर पर होते हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि इस नियोजन विभाग द्वारा एक बात अवश्य हुई है कि सरकारी अधिकारियों में जनता से मिल कर जनता की भावना के अन्तर्गत विकास के काम करने की भावना पैदा हुई है वह चाहे श्रमदान से हो और चाहे किसी और निर्माण के कार्य से हो। हमारे कुछ सरकारी अधिकारियों में यह बात अवश्य आयी है और वह अब यह समझ गये हैं कि जनतांत्रिक प्रकार से ही वह अपने और अपने विभाग के अस्तित्व को जनता के बीच कायम रख सकते हैं, परन्तु इसमें अभी कुछ थोड़े से सुधार की और भी आवश्यकता है। हमारे नियोजन विभाग के तथा अन्य सराकारी अधिकारी सरकार को रिपोर्टें देते समय वास्तविकता को अधिक स्थान देने की कृपा करें। आज जो रिपोर्ट जिलों से कार्यों की सरकार को दी जाती है उनमें वास्तविकताओं की बहुत कुछ कमी रहती है। उदाहरण के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि गन्ने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट रामपुर की माननीय उद्योग मंत्री जी के सामने आयी है वह सही नहीं थी और यही कारण हुआ कि उन्होंने रामपुर से एक शुगर फैक्टरी को बरौत ले जाने के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर दी, परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि जब उन्हें गन्ने की पैदावार की सही रिपोर्ट मिली तो वह अपना विचार कर चुके हैं कि वहां से फैक्टरी न हटाई जाय। मैं आशा करूंगा कि माननीय मन्त्री जी आज अपनी राय इस सम्बन्ध में व्यक्त करें कि वे वास्तव में यह समझते हैं कि रामपुर से शुगर फैक्टरी नहीं हटानी चाहिये और वहीं रहनी चाहिये। इसके अलावा, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा मैं भी इसी मत का हूं कि जो विन्ध्य प्रदेश है वह हमारे प्रदेश का अंग बनाया जाय क्योंकि आवश्यक है कि हमें खनिज पदार्थों की सुविधा मिले और हमारा औद्योगीकरण पूरा हो। इसलिये वह उत्तर प्रदेश में ही मिलाया जाय यदि उसे कहीं भी मिलना हो तो।

इसके साथ ही जो हमारी दूसरी प्लान है उसमें मुख्यतः यह ध्येय रखा गया है कि प्रदेश की बेकारी को कम किया जाय और जनता के साधारण स्तर को ऊंचा उठाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस सम्बन्ध में भी अपने जिले रामपुर की ओर दिलाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी उनसे निवेदन किया है कि रामपुर में बेकारी बहुत अधिक बढ़ रही है और इस बात की आवश्यकता है कि वहां पर दो एक बड़े कारखाने और कुछ गृह-उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके अलावा जो एन० ई० एस० ब्लाक्स की बात है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ध्यान दें कि प्रदेश या जिलों के प्रायः उन्हीं स्थानों पर वे ब्लाक्स खुलते हैं जहां यातायात आदि के साधन होते हैं इससे जनता को बहुत लाभ नहीं होता। रामपुर में एक तहसील शाहबाद है। चूंकि वहां यातायात के साधन नहीं हैं इसलिये अब तक कोई एन० ई० एस० ब्लाक नहीं खुल सका। जहां अन्य साधन मौजूद थे,

[श्री कृष्णशरण आर्य]

तथा यातायात की सुविधा थी वहां ही ब्लाक्स खोले गये। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगला ब्लाक जो रामपुर में खुले वह जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शाहबाद में खुले क्योंकि वह सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन सबसे ज्यादा बैकवर्ड है और वहां के अधिकारी भी साल में ८ महीने वहां जा नहीं पाते हैं।

*महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट के समय में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता है इसलिये मैं केवल चन्द सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस आधार पर एन० ई० एस० ब्लाक्स का वितरण किया जाता है। यह बताया गया है कि जहां डेन्सिटी आफ पापुलेशन हो वहां ३५ हजार की आबादी के पीछे एक एन० ई० एस० ब्लाक दिया जायगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि यह मैदान के जिलों के लिये सम्भवतः ठीक भी हो सकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिये केवल मात्र डेन्सिटी आफ पापुलेशन ही नहीं, बल्कि फासले पर भी ध्यान रखना आवश्यक है, यह एक प्रकार से अन्याय हो जाता है। मैं एक उदाहरण इस सम्बन्ध में आपको देता हूं। यदि इसी आधार को मान लिया जाय कि डेन्सिटी आफ पापुलेशन और ३५ हजार की आबादी, तो इस क्षेत्र के अन्दर ८ पट्टियां पड़ जाती हैं और आपको तो ज्ञात है कि इन ८ पट्टियों में जो हेड क्वार्टर्स बनाया जायगा वह लगभग ४० मील के फासले में पड़ जायगा। इसलिये मेरा सुझाव तो यह है कि कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एरिया और डिस्टेन्ट का भी ध्यान रखा जाय क्योंकि वे स्पेयर्सली पापुलेटेड हैं। जिस हिसाब से कैल्कुलेशन्स किये गये हैं उन में भी मैं कुछ गलती पाता हूं हालांकि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे एक पड़ोसी जिले को उससे कुछ लाभ हो गया है, किन्तु हम यह कहते हैं कि उसको जो लाभ हुआ उसी आधार पर हमारा भी निर्णय किया जाय ताकि हमको भी कुछ लाभ हो जाय। हमारे पड़ोसी जिला गढ़वाल की आबादी ६ लाख से कुछ अधिक है और हमारे जिला टेहरी-गढ़वाल की आबादी चार लाख है। पहली पंचवर्षीय योजना में गढ़वाल में २१ एन० ई० एस० ब्लाक्स खोलने की योजना है। तो इसी रेश्यों से ६ लाख और ४ लाख के रेश्यो से हमारे यहां १४ ब्लाक्स होने चाहियें लेकिन उसकी जगह केवल मात्र १२ ही दिये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि यह क्लेरिकल मिस्टेक है या सम्भवतः किसी डी० पी० ओ० की गलती के कारण दो ब्लाक्स कम दिये गये हैं और माननीय मंत्री इस गलती को ठीक करने की कृपा करेंगे। कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड के संबंध में उपाध्याय जी ने चर्चा की और मुझे दुख है कि मैं पूर्णतया उनके साथ इस विषय में सहमत हूं। दुख इसलिये है कि इसके जो चेयरमैन हैं वह हमारे भाई साहब शायद नेगी जी हैं और मैं चाहता हूं कि उनकी किसी विभाग के विषय में प्रशंसा करूं। लेकिन इस संबंध में मैं उनकी बिलकुल प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूं। उपाध्याय जी ने बतलाया कि इस संबंध में ३९ हजार रुपया रखा गया है, इसमें १३ हजार रुपया तनख्वाहों में, ६ हजार एलाउंसेज तथा २० हजार रुपया कन्टीजेन्सी के लिये। लेकिन जो माननीय सदस्य कुमायूं से यहां आते हैं उनको यह मालूम नहीं है कि यह बोर्ड क्या काम करता है और न इस संबंध में कोई जानकारी ही दी गई है। कुमायूं के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज हैं और उनके ऊपर यदि यह बोर्ड बैठा है तो क्या करता है। इस संबंध में मैं समझता हूं कि रोशनी डालना आवश्यक है। इसके मेम्बर किस आधार पर नियुक्त किये गये हैं और कौन-कौन मेम्बर्स हैं, इस संबंध में मंत्री जी यदि कुछ रोशनी डालेंगे तो उचित होगा।

आगे उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी दुख प्रकट करना है कि सेल्फ हेल्प स्कीम के लिये जो पिछले साल ४० लाख रुपया रखा गया है वह इस साल घटाकर १९ लाख ५१ हजार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया कर दिया गया है। वीरेन्द्रशाह जी ने इसका जिक्र किया। मैं समझता हूं कि जहां तक प्लानिंग का सवाल है इसको दो अंगों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो ऐसी योजनायें होती हैं जिनसे एक दो जिलों को ही लाभ नहीं होता है बल्कि सारे प्रदेश को या प्रदेश के बड़े हिस्से को लाभ होता है। दूसरी योजनायें ऐसी होती हैं जो लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के संबंध में होती हैं जिनका लाभ शीघ्र ही होता है और सीमित दायरे में होता है। यह ऐसी योजनायें हैं जो सेल्फ हेल्प द्वारा ही हो पाती हैं। सरकार कुछ पैसा देती है और वह आशा करती है कि वहां की जनता आधा या तिहाई पैसा अपने पास से दें। इन स्कीमों के द्वारा काफी काम हुआ है और सैद्धान्तिक रूप से इसको बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि यदि इस प्रकार की स्कीमें चालू हो जायं जिनमें केवल मात्र सरकार ही खर्च न करे लेकिन जनता स्वतः अपनी इच्छा से पैसा खर्च करने के लिये तैयार हो तो लोग ज्यादा प्रगति कर सकेंगे क्योंकि लोगों को इन स्कीमों में काफी उत्साह होगा। इस संबंध में जो पैसा घटाया गया है वह मैं समझता हूं कि एक बड़ी भारी भूल हुई है और किसी न किसी तरह से इसको पूरा करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण मैं एक छोटे से विषय के बारे में कहूंगा कि एक लाख रुपया पिछले वर्ष सब्सिडी फार ऊलन इंडस्ट्रीज के लिये रखा गया है। इस वर्ष यह ग्रांट प्लानिंग में आ गई है और इस साल इसमें ९५,००० रुपया रखा गया है। ५,००० रुपया अधिक नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी पूर्ति की जाय। कहां यह बढ़ना चाहिये और कहां यह कम हुआ है, यह गलत हुआ है।

अन्त में मैं कोआर्डिनेशन के संबंध में कहना चाहूंगा। पी० डब्ल्यू० डी० और प्लानिंग में बहुत कम कोआर्डिनेशन पाया जाता है। मैं एक कांक्रीट उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहां कुछ सड़कें बनी थीं जो पूर्णतया प्लानिंग विभाग की चेष्टा और श्रमदान द्वारा ही बनी थीं। इनके लिये यह प्रश्न उठा कि इन सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० में ले लिया जाय। दो मंत्री थे उस समय, एक मुख्य मंत्री थे उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र से शीघ्र क्योंकि पहाड़ी जिले का मामला था, यदि इनके मेंटीनेंस के लिये रुपये का प्रबन्ध न किया गया तो बरसात में यह सड़कें टूट जायंगी। इसलिये यह निश्चित हुआ कि शीघ्र से शीघ्र इनको पी० डब्ल्यू० डी० में ले लिया जाय। अब पूर्णतः पी० डब्ल्यू० डी० ने उनको ले तो लिया है लेकिन सुनने में यह आता है कि वहां दो सड़कें हैं। एक है काणाताल और दूसरी है धरासू से उत्तर काशी। तो यह सड़कें श्रमदान से १८ फीट चौड़ी बनायी गई थी, लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० केवल ८ फीट की सड़क मेन्टेन कर रहा है ताकि अफसरों के लिये एक जीपेबिल सड़क रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है? क्या आप ऐसी ही सड़कें बनाना चाहते हैं जो केवल मात्र अफसरों के लिये ही हों। इसका कोई लक्ष्य नहीं है। प्रश्न यह है कि जो सड़क बन चुकी हैं और उसको जब पी० डब्ल्यू० डी० ने ले लिया है तो उस पूरी सड़क को उसे मेन्टेन करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह जनता के हित में है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, गवर्नर महोदय के भाषण में यह कहा गया था कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के ९८ प्रतिशत लक्ष्य पूरे कर लिये हैं। मैंने नियोजन विभाग की बांटी गई पुस्तिका को देखने की चेष्टा की लेकिन मुझे यह पता नहीं चल सका कि किस विभाग ने कितने लक्ष्यों को पूरा किया है और वह दो प्रतिशत कौन सा कार्य है कि जो पूरा नहीं हो सका है और क्यों?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सब से प्रथम स्थान बेकारी को दूर करने को दिया गया है। बजट भाषण में तो माननीय वित्त मंत्री जी ने दावा किया है कि हम १३ लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की चेष्टा करेंगे लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट प्लान फ्रेम बांटा गया है उस पुस्तिका में लिखा गया है कि हम २१ लाख २४ हजार व्यक्तियों को रोजगार देने की चेष्टा करेंगे। तो एक में यह १३ लाख और दूसरे में २१ लाख, कौन सा आब्जेक्टिव सही है, कौन सा हमारा लक्ष्य है, यह स्पष्ट नहीं है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट प्लान में यह कहा गया है कि प्लानिंग के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा मिसाल के लिये कि Administrative difficulties inherent in the existing Govt. machinery are likely to prove the greatest obstacle to efficient planning. यानी जो प्रशासकीय कठिनाइयां आज की वर्तमान गवर्नमेंट की प्रणाली में है वह सब से बड़ी दिक्कत आज प्लानिंग के लिये होगी। To overcome such difficulties large organizational and even constitutional changes may become necessary. The problem is urgent and requires immediate and serious attention. और इसी सिलसिले में आगे चल कर उन्होंने कहा: "Secretariat control of the present type must be replaeed to a large extent by control by the truly autonomous public corporation," पब्लिक कारपोरेशन के अधीन यह काम होना चाहिये। माननीय मंत्री जी के भाषण में, या रिपोर्ट में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस तरह का रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम इस समाज को समाजवादी ढांचे में ढाल देंगे। मिसाल के लिये हमारा मेथड्स ऐन्ड आर्गनाइजेशन डिवीजन अलग है, स्टैटिस्टिक्स विभाग बिलकुल अलग है और प्लानिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट बिलकुल अलग है। अगर हम प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को माने तो यह तीनों विभाग एक में होने चाहिये और एक कायदे के अनुसार इन सबको काम करना और एक ही विभाग के अधीन होना चाहिये।

दूसरा हमारा काम स्वायल कंजर्वेशन का है। यह आज अलग-अलग ६ योजनाओं में चल रहा है। जंगल विभाग अलग स्वायल कंजर्वेशन करता है और इसका इंस्टीट्यूट अलग है। अगर एक ढंग से, एक प्रकार से और एक मत के अनुसार यह काम हो और इसमें खर्च हो तो यह स्वायल कंजर्वेशन का काम अच्छी तरह से चल सकता है। लेकिन हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग इस संबंध में नहीं कर पाये।

इसी प्रकार टेक्निकल स्टाफ की कमी की बात है। आज हमें सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के कामों को देखते हुए हजारों और लाखों कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्त्ता इस वर्ष ट्रेन्ड हो रहे हैं उनकी तादाद पिछले वर्ष के मुकाबिले में कम है। हमारे पास आज कम कार्यकर्त्ता हैं पिछले सालों के मुकाबिले में। इस ओर भी हमको सोचना है।

अब जिला नियोजन समितियां हैं, स्टेट प्लानिंग बोर्ड है उनका एक कांस्टीट्यूशन होना चाहिये, उनके कुछ अधिकार होने चाहिये। हमारा डेवलपमेंट कमिश्नर है, उसके कुछ अधिकार होने चाहिये, लेकिन वह सब नियमों पर चल रहे हैं, कोई ला नहीं है, कांस्टीट्यूशन में भी प्लानिंग कमीशन का कोई स्थान नहीं है। तो जैसे जितने पाश्चात्य मुल्क हैं वहां पर प्लानिंग के बारे में ला बना हुआ है। तो हमको भी यहां पर स्टेटुटरी पावर उनको देनी चाहिये और नियोजन के सम्बन्ध में हमको भी कानून बनाना चाहिये। स्टेट प्लानिंग की एक बाडी हो। जिस प्रकार से छोटी या बड़ी या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई प्लानिंग हो इसके विचार से इसका कानून बनाना चाहिये और इस कानून के मातहत उन तमाम प्लानिंग का आपस में कोआर्डिनेशन होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो विधान बना हुआ है वह यहां पर हर साल बदला जाता है। इस प्रकार का जब कांस्टी-ट्यूशन है तो इसकी वजह से कोई काम ठीक संगठन के दृष्टिकोण से नहीं हो पाता है। इस लिये मेरा सुझाव है कि सारे नियोजन विभाग को फिर से संगठित किया जाय जिससे इन बातों पर इसका संगठन हो सके।

दूसरी बात मुझे निवेदन करना है यहां के रीजनल प्लानिंग के बारे में। जैसे बुन्देलखंड का एरिया है या मिर्जापुर का इलाका है या गोरखपुर डिवीजन का इलाका है तो उनके लिये मेरा निवेदन यह है कि एक रीजनल प्लानिंग होनी चाहिये। चाहे वह पहाड़ का इलाका हो और चाहे कोई इलाका हो रीजनल की आवश्यकता को देखते हुए हमारी प्लानिंग नहीं हो पाती है। जैसे मिसाल के लिये बोर्डर के एरिया हैं उनकी प्लानिंग बोर्डर के हिसाब से नहीं हो पाती है। बोर्डर की प्लानिंग यहां से बैठकर नहीं हो सकती है। ४०० मील का यह बोर्डर है। जैसे तिब्बत में आज कल इतना विकास हो रहा है जिसको आपको देखना पड़ेगा। उस तिब्बत के विकास को जिस प्रकार से आज कल चीन की सरकार कर रही है उसका असर वहां बोर्डर के एरिया पर जरूर पड़ता है। तो बोर्डर पर क्या असर पड़ता है, तो इन पूरी बातों का पता यहां बैठ कर नहीं लगाया जा सकता। तो वैसे ही रीजनल प्लानिंग आपको करनी होगी और वैसा ही संगठन आपको करना होगा। यदि रीजनल विशेषता को देख कर वहां का नियोजन किया जाय तो उससे अधिक लाभ होगा। उनकी कमेटी अलग से बनानी पड़ेगी और उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिये मेरे विचार से रीजनल आर्गनाइजेशन होना अत्यन्त आवश्यक है।

इसी के साथ साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि आज जो विकास कार्य में रुकावट हो रही है वह हर जिले में टैक्नीकल स्टाफ की कमी के कारण हो रही है। आपका समय पर काम नहीं हो पाता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास कोई लेजर नहीं है और लाखों रुपया जिलों में बिना खर्च हुए रह जाता है, क्योंकि आपके पास टैक्निकल स्टाफ नहीं है। इस समय जितने ओवरसियर हमारे पास हैं, सर्वेयर और ड्राफट्समैन हैं इन सबको हम पूल करें। चाहे वह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे वह पी० डब्ल्यू० डी० के हों या और किसी विभाग के हों उन सबका एक पूल तैयार किया जाय और वह सब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के मातहत होना चाहिये। और विभाग के भी सम्बन्ध रखते हों जो कि उनका है लेकिन जहां तक काम का सम्बन्ध है उसके लिये प्लानिंग अफसर के अन्डर रहने चाहिये ताकि जहां कहीं आवश्यकता हो उस काम को करने के लिये ओवरसियर वहां पर मौजूद हों। जो भी ओवरसियर हों वह सारे विकास काम की देखभाल करें। सारे विकास का काम करने के लिये उनकी जिम्मेदारी हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे और ट्रेनिंग कैम्प जितने हमारे पास आज हैं इससे दुगुने नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। २३ लाख रुपया जो ट्रेनिंग कैम्प के लिये रखा गया है उससे उनकी आवश्यकता पूरी होने वाली नहीं है। जो अभी तक अनुभवहीन लोग हैं उनको काम दिया जायगा तो उनसे काम होने वाला नहीं है, इससे असन्तोष बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी नियोजन के दृष्टिकोण से वास्तविक समस्याओं को सामने रखते हुए और सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए नियोजन की प्रणाली को बनायेंगे तो जो दृष्टिकोण उनका आज है उसमें दूसरा संगठन दिखाई देगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, माननीय नियोजन मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सम्मुख रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस अनुदान के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए हमारे आदरणीय मित्र श्री उपाध्याय जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो मेरी समझ में शायद कटु भी हैं और अनुचित भी हैं। कल

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

उन्होंने शिकायत की थी कि गत चार वर्षों के भीतर कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया जब कि मैंने सरकारी कर्मचारियों की निन्दा की हो। श्रीमन्, निन्दा का जहां तक कार्य है वह तो मैंने और शायद मेरे साथियों ने माननीय उपाध्याय जी के जिम्मे कर दिया है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि निन्दा करना उनका व्यसन नहीं है तो कुछ प्रशंसा करना भी वह सीखें। एक बात उन्हें यह ध्यान में रखनी चाहिये कि सरकारी कर्मचारी भी भारतवर्ष के ही रहने वाले हैं और हम भी। सरकारी कर्मचारियों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अन्दर देशभक्ति है और देशभक्ति की भावना से काम करते हैं। आज कई दिन से यह कहा जा रहा है कि माननीय गुप्ता जी के हाथ में कई विभाग हैं। परन्तु आज ही माननीय नारायणदत्त जी ने नियोजन के सम्बन्ध में कहा कि उससे सम्बन्ध रखने वाले बहुत से विभागों के कार्य अच्छे हो रहे हैं। तो फिर यह शिकायत क्यों है? हमको गुप्ता जी के ऊपर इतना विश्वास है कि वह इन विभागों का अच्छा कोआर्डिनेशन कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से कोई शिकायत नहीं की जाती है कि वहां पर मुख्य मंत्री, नियोजन मंत्री भी क्यों नहीं हैं। साथ ही साथ मैं अपने चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सुयोग्य डेवलपमेंट कमिश्नर दिया है। यह एक प्रशंसा की बात है कि ऐसे योग्य आदमी हमें काम करने के लिये मिलते हैं। डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बाबत भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि सोशलिस्टिक सोसाइटी में प्लानिंग और डिसेन्ट्रेलाइजेशन दोनों कैसे वह अलहदा अलहदा रख सकते हैं? उपाध्याय जी ने इसकी कोई तस्वीर भी हमारे सामने नहीं रखी ताकि हमें मालूम तो होता कि उनका आशय क्या है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग और डिसेन्ट्रेलाइजेशन दोनों परस्पर विरोधी हैं। प्लानिंग में सेन्ट्रेलाइजेशन होना ही चाहिये। डिसेन्ट्रेलाइजेशन होने से नीतियों में अन्तर आना स्वाभाविक है और हमारे विकास के लिये हानिकर होगी। जिन देशों ने प्लानिंग को अपनाया है उन्होंने उसे सेन्ट्रलाइज्ड रखा है। एक दफ्तर और एक योजना और एक सूत्र से देश पनप सकता है। उपाध्याय जी घबरावेंगे, मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं कोट करूंगा। पर हमारे देश की राष्ट्रीय आमदनी की ६० फीसदी आय कृषि और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज से होती है।

हमारे मित्र जयपाल जी ने हैवज और हैव नोट्स का जिक्र किया, पर हम इस समस्या को लेकर देहात में नहीं जावेंगे। हमें अवश्य एक निश्चित दिशा की ओर चलना होगा। यह कहना कि इस अमुक एम० एल० ए० के एरिया में एन० ई० एस० ब्लाक्स खुल गये और अमुक पार्टी के एम० एल० ए० के यहां ब्लाक नहीं खुले यह भी मेरी समझ में कुछ आता नहीं। आखिर ऐसे ब्लाक्स तो खुलते ही हैं और यदि किसी जगह के एम० एल० ए० केवल एक ही पार्टी के हैं तो क्या वहां जिसके क्षेत्र में नहीं खुलता, वह विरोधी हो गया या वहां बिल्कुल विकास कार्य नहीं किया जाय, क्या ऐसा मेरे माननीय मित्र के कहने का मतलब है? मैं समझता हूं यह वह भी नहीं चाहेंगे। मैं राजा वीरेन्द्र शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़े अहम मसले की ओर हमारे प्रदेश का और हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। वह विन्ध्य प्रदेश के सम्बन्ध में है। जब हम विन्ध्य प्रदेश को अपने साथ मिला कर नियोजन को एक साथ चलाने की याचना करते हैं तो हम यह भी कहते हैं कि इससे उसकी और हमारी भलाई होगी और साथ ही मध्य प्रदेश को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। विन्ध्य प्रदेश ३६ देशी रियासतों को मिला कर बना है। उस प्रदेश के गत वर्ष बजट में ४ करोड़ ३७ लाख रुपया की आमदनी और ४ करोड़ ५८ लाख रुपया खर्च किया। इतने बड़े प्रदेश में जहां ४१ लाख एकड़ भूमि में कृषि होती हो और जहां औद्योगिक उन्नति होना नितान्त आवश्यक है, वहां केवल ६ लाख रुपया पिछले साल स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये मंजूर किया गया था। ३६ राज्यों का इस रुपये से क्या कल्याण

होगा? विन्ध्य प्रदेश में लगभग एक दर्जन खनिज पदार्थ होते हैं और मध्य प्रदेश और उसके छत्तीसगढ़ के इलाके में भी ऐसा ही है। तो फिर उत्तर प्रदेश में जहां मिनरल चीजों की कमी है उससे मिलने से दोनों प्रदेशों का कल्याण होगा। गत वर्ष विन्ध्य प्रदेश में बहुत चेष्टा करने के बाद केवल २ उद्योग खोले जा सके थे, एक तो पाम गुड़ इन्डस्ट्री और दूसरी बोन मिल। यदि हम सब लोग भारत सरकार से आग्रह करें कि यदि विन्ध्य प्रदेश चाहता है कि हमारे नियोजन के लिये और विकास के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वह हमारे साथ मिला दिया जाय, तो इसमें दोनों का भला है और इस मांग की पूर्ति की जानी चाहिये। मुझे आश्चर्य हुआ जब नारायणदत्त जी ने प्लानिंग के निरूपण का जिक्र किया कि सब विभाग अलग अलग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्लानिंग को सोशलिस्टिक ढंग पर लाना चाहिये, परन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने अच्छे ढंग से हमारे देश और प्रदेश में प्लानिंग और डेमोक्रेसी दोनों साथ चल रही हैं उसके लिये हमारे सरकारी कर्मचारियों की, हमारे सदस्यों की, हमारे प्रजातन्त्र की जितनी प्रशंसा की जाय उतना कम है। हम किसी ऐसी योजना को लाकर खड़ा नहीं कर सकते जिसे शायद चीन और रूस में भी लोग नहीं ला सके हैं। कहा जाता है कि प्लानिंग में रुपये की हानि हुई, अवश्य हुई। ऐसे प्रयोगों में हानि होना एक नेचुरल सी चीज है और मैं अपने माननीय मित्रों का ध्यान दिलाऊंगा कि चीन के उपमंत्री ने अपने नियोजन के सम्बन्ध में जो व्याख्यान दिया पिछले साल, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें बड़ा खेद है कि हमारे पहले दो सालों में बहुत काफी रुपया बरबाद हुआ चूंकि हमारे सरकारी कर्मचारी उस विषय में काफी अनुभव नहीं रखते थे। तो फिर और दूसरे देशों की चीजें तो हमको अच्छी लगती हैं और यदि हमारे यहां के लोग जरा सी भूल कर जावें तो तिल का ताड़ बना कर कुछ माननीय सदस्य यहां रखें और कहें कि अखबारों में भी देखा है, विदेशी भी कह जाते हैं कि बड़ा काम हो रहा है, पर यह सब ग़लत है। इस प्रकार दूसरे देश वालों से यह कहना कि तुमने हमारी झूठी तारीफ की है, यह कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। अन्त में मैं अपने मित्रों से आग्रह करूंगा कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की देशभक्ति और कार्य में योग दें और अनुचित आलोचनायें न किया करें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि १ घंटे सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वैसे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जैसा सुबह अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया था कि समय नहीं बढ़ेगा, मैंने उसके अनुसार अपना प्रोग्राम रखा है। सवा पांच बजे मुझे कान्यकुब्ज कालेज में जाना है, इसलिये समय बढ़ाने पर मुझे आपत्ति है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--वह कहते हैं तो कान्यकुब्ज कालेज का प्रोग्राम उनका होगा। परन्तु वहां टेलीफोन करा सकते हैं और वह थोड़ा सा इन्तजार कर सकते हैं। वहां कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आधे घंटे के लिये खिसक न सके। यदि गुप्ता जी चाहते हैं कि हम लोग न बोलें तो दूसरी बात है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब राजनारायण जी बोलते हैं। लेकिन वह खड़े ही नहीं हो रहे हैं और मैं चाहता था कि वह बोलें। वैसे तो वह बहुत बातें दूसरी प्रकार की करते हैं, लेकिन कभी-कभी एकाध बात समझदारी की भी कह देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा तो मैं समझता हूं कि १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण—जब समय बढ़ाया गया है तो हमें ही बोलने का मौका दीजिये। उधर के लोगों को बोलने देने से क्या लाभ होगा?

(कुछ देर के बाद माननीय उपाध्यक्ष ने श्री राजनारायण का नाम पुकारा।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह यह है कि माननीय उपाध्यक्ष द्वारा किसी एक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर क्या उसके बजाय किसी दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारा जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष— जी हां, सदन में समझौते से सब कुछ हो सकता है।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, यह प्लानिंग का जो अनुदान माननीय गुप्ता जी ने सदन की स्वीकृति के लिये पेश किया है, उस सम्बन्ध में इस सदन में तरह तरह के दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये। नियोजन का मतलब तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारे यहां जो बेकार हैं उनको काम मिले। जिस तरीके से लोगों के जीवन में, रहन-सहन में तरक्की हो, उत्थान हो, उसके साधन मुहैया किये जायं। मैं माननीय गुप्ता जी के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। करीब अपने प्रदेश में ४० फीसदी अब भी ऐसा श्रम है जो कहीं लगा हुआ नहीं है और यह सरकार की किताबों में है, मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी की बात नहीं कहता। तो आज तक जो ४० प्रतिशत श्रम कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारी बेकारी बढ़ी हुई है। उस श्रम को काम में लाने के लिये माननीय गुप्ता जी ने क्या व्यवस्था की है। गुप्ता जी की उस पर स्पीच अवश्य हो गयी है और अखबारों में ४–६ कालम भी इसमें आ जायंगे कि गुप्ता जी की प्लानिंग के बारे में यह स्पीच हुई और सरकार ने ऐजूकेशन, मकान और गृह उद्योगों के बारे में यह किया। लेकिन हमको माननीय गुप्ता जी सही मानों में बता दें कि जो यह बेकार श्रम है उसके लिये उन्होंने क्या किया? जितनी भी व्यवस्था सरकार ने की है उसके बारे में चाहे यह सरकार हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों सब यह कहते हैं कि अब हम अपनी योजनाओं को 'फ्राम दी बाटम' (नीचे से) चलायेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसकी ऐसी कौन सी योजना है जो उसने 'फ्राम दी बाटम' चलाई हो या यह मालूम किया हो कि जो योजना या कार्यक्रम वह स्थापित करना चाहती है उसके बारे में जनता की क्या राय है? सरकार ऐसी-ऐसी नीतियों और ऐसे-ऐसे कामों को चलाती है जिनको सरकार चल कर पब्लिक के सामने कहे तो पब्लिक सर्वसम्मति से कहेगी कि वह उस बात को नहीं मानती। ऐसी ऐसी योजनायें चली हैं और चली हैं माननीय मंत्रियों के इशारों पर। इसका एक उदाहरण बनारस है। जब केन्द्रीय सरकार के मंत्री जी वहां जाते हैं तो कहते हैं कि एन० ई० एस० ब्लाक यहां खुलेगा, लेकिन यहां का प्लानिंग विभाग कहता है कि नहीं वह दूसरे किसी स्थान पर खुलेगा। ६–७ महीने तक पत्र-व्यवहार होता है। अब मुझे जान कर यह खुशी है कि स्थानीय कर्मचारियों के दिमाग में अब वह बात समा गई है कि हम पहले जहां खोलना चाहते थे और जिस जगह को जनता चाहती है वही स्थान ठीक होगा। अक्ल आयी लेकिन देर से आयी। कई हजार रुपया बरबाद करके अक्ल आयी। इसीलिये हमें विरोध होता है कि इन कामों में भी जनता का कोआपरेशन, सहयोग और सलाह नहीं

ली जाती है। उसके ऊपर योजनायें लादी जाती हैं। जब योजना उनके ऊपर लादी जायगी तो चाहे जैसा सरकार कहे कि यह पीपुल्स प्लान है लेकिन उसको कोई मानने वाला नहीं है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सरकार मेजारिटी पार्टी की होती है लेकिन यह सरकार मेजारिटी पार्टी की होकर व्योरिग्रोक्रेटिक तरीकों से काम लेना चाहती है और ढोल पीटा जाता है कि जनता सहयोग नहीं करती है।

अब मैं माननीय गुप्ता जी के इच्छित विषय पर आता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार और इस सरकार के कुछ लोग इस प्रयत्न में हैं कि विन्ध्य प्रदेश यदि कहीं मिल रहा हो तो हमारे प्रदेश में मिला दिया जाय। जहां तक हमारी बात है हम इसमें कोई अहित नहीं देखते हैं और मैं यह बिल्कुल साफ बतलाना चाहता हूं कि विन्ध्य प्रदेश के अपने लोगों से मेरी बात हुई है और यह बात सब लोग जानते हैं कि विन्ध्य प्रदेश की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाली यदि कोई राजनैतिक पार्टी है तो वह सोशलिस्ट पार्टी है। ईमानदारी के साथ अगर सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर पूछेंगे तो जानेंगे कि अगर कोई पार्टी प्रोटेस्ट कर सकती है जनमत के साथ तो वह सोशलिस्ट पार्टी ही है, जो प्रोटेस्ट करेगी और प्रोटेस्ट करेगी तो छक्के छुड़ा देगी। यह गुप्ता जी को भी जानकारी होगी। मगर इससे गुप्ता जी को डरना नहीं चाहिये। उनका भी कहना है कि हम पहले चाहते तो यह हैं कि हमारा प्रदेश अलग रहे लेकिन अन्ततोगत्वा अगर प्रदेश को कहीं मिलना ही होगा तो हमारी राय यही है कि फिर हमें उत्तर प्रदेश के साथ क्यों न मिलाया जाय और हम ऐसी जगह क्यों डाले जायं जहां पर हमारी विकास की योजनायें अच्छी तरह से कार्यान्वित न हों। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि, आपके द्वारा, मंत्री जी और सरकार से कि अगर वह हमारी इस सिफारिश को केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचाने की शक्ति रखते हों तो पहुंचायें कि पहले केन्द्रीय सरकार अपना दिमाग साफ करे। पंडित नेहरू जी का दिमाग साफ होना चाहिये। वे खुद वादी भी बनते हैं, प्रतिवादी भी बनते हैं और जज भी बनते हैं। वे समस्या को क्रियेट भी करते हैं, उसका रिएक्शन भी पैदा करते हैं फिर उसे सुलझाने की बात अपने ही करते लगते हैं और फिर बगैर सुने दूसरों की बात अपनी ही करने लगते हैं। इस तरह से काम नहीं होना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी का मत मैं साफ बतलाना चाहता हूं कि जिस किसी प्रदेश का हिस्सा दूसरे प्रदेश में जाय तो लोकल एटानोमी (स्थानीय स्वशासन) के लिये भरसक प्रयत्न करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, स्थानीय जनता का मत सर्वोपरि रहेगा। अगर हमारी इस नीति को पहले माना गया होता तो माननीय गुप्ता जी को वह कटु अनुभव न होता कि इस प्रदेश के पश्चिमी जिले के लोग यह कहने लगते कि हमें अलग करके एक अलग प्रदेश बना दिया जाय। इसीलिये मैं बार बार चौखम्भा राज्य की बात कहता हूं कि डिसेंट्रेलाइज करो। देश की एकोनामी को डिसेंट्रेलाइज करो, पोलिटिकल पावर्स को डिसेंट्रेलाइज करो और पावर को डेमोक्रेसी के फुलेस्ट एक्स-टेंट तक जनता के हाथ में जाने दो ताकि वह अपने अपने क्षेत्र की योजना बनाये। मैं मानता हूं कि माननीय गुप्त जी बड़ी तीव्र बुद्धि और प्रखर बुद्धि के हैं लेकिन माननीय गुप्त जी यह अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं कि चन्दौली तहसील में किस हिस्से में पानी टिकता है और किस हिस्से की जमीन ऊंची है यह बात वहां की जनता गुप्ता जी से ज्यादा अधिक जानती है। लाल बत्ती हो गई है वर्ना मैं एक एक उदाहरण दे कर बतलाता। इसी प्रकार के इंजीनियरिंग विभाग का एक इंजीनियर एक सम्मति देता है और दूसरा इंजीनियर आता है तो वह पहले वाले इंजीनियर की सम्मति को उलट देता है और फिर जब तीसरा आता है तो वह उन दोनों की सम्मति को

[श्री राजनारायण]

उलट देता है और तीसरी राय दे देता है। ऐसा क्यों? इस प्रकार पहले जनता की राय लिये बिना सरकारी योजनायें जनहित में न जाकर जनता के लिये अहितकर हो रही हैं।

*श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और प्रातःकाल मदनमोहन उपाध्याय जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो बड़े ध्यानपूर्वक मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने सदन में कुछ ऐसी भावना व्यक्त की मानों उनकी कांस्टीटयूएंसी में अभी तक कोई एन० ई० एस० ब्लाक नहीं खुला जब कि सारे प्रदेश का विकास हुआ है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जिले अल्मोड़े में चार तहसीलें और दो तहसीलें पिथौरागढ़ और लोहाघाट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं। इस जिले के पश्चिमी हिस्से में ५ एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हैं, लेकिन जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें अभी दो तीन महीने हुए बड़ी मुश्किल से एक एन० ई० एस० ब्लाक खुला है। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये, खास कर इंडो तिब्बटन बोर्डर का जो इलाका है वह २०० मील तिब्बत से मिला हुआ है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो बार्डर आते हैं। एक इंडो-नैपाली बोर्डर और दूसरा इंडो-तिब्बटन बोर्डर। २०० मील जो पूर्व का इलाका है वह नैपाल से मिला हुआ है। उत्तरी इलाका तिब्बत से मिला हुआ है और पूर्व का इलाका नैपाल से मिला हुआ है। जो इंडो-तिब्बतन बोर्डर है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और नियोजन के सम्बन्ध में सरकार को वहां खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह बार्डर दो सौ मील तक फैला हुआ है। उसमें खास कर भोटिया लोग जो कि तीस हजार की आबादी में हैं उनकी ओर नियोजन विभाग का बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। उस इलाके में न कोई एन० ई० एस० ब्लाक बना और न कोई विकास की योजनाएं बनी हैं। वह क्षेत्र हमेशा तिरस्कृत रहा है और अगर वहां उचित ध्यान नहीं दिया जायगा तो बड़ी विषम परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि सदन को मालूम है कि तिब्बत के इलाके में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और उनकी सीमा पर जो भोटिया भाई रहते हैं उनका लेन-देन, रहन-सहन तिब्बत के इलाके से मिलता-जुलता है। अगर उनके लिए कोई खास प्रबन्ध न किया गया तो हालत दिन पर दिन गिरती ही जायगी और ऐसी सम्भावना हो सकती है कि उनकी हम लोगों के इस राज्य के प्रति सद्भावना भी जाती रहे।

तो सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो सीमान्तर इलाका है, जिला नियोजन कमेटी अल्मोड़ा में हुआ करती है, वहां से अल्मोड़ा तक आने में २५-३० दिन का रास्ता है। तब वह कहीं अल्मोड़ा आ सकते हैं। नतीजा यह हुआ है कि पिछले चार सालों में इंडो-तिब्बटन बोर्डर का कोई भी आदमी एक दिन के लिए भी इस जिला नियोजन कमेटी में नहीं आया न वहां की मांग कोई सही रूप में उसमें रखी गयी और न जिला नियोजन कमेटी में कभी वहां की चर्चा हुई। एक ऐसी विषम परिस्थिति है जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और जिला नियोजन कमेटी के हाथ ही में केवल उनका विकास कार्य नहीं छोड़ देना चाहिये, बल्कि वहां के पिछड़े लोगों का विकास सरकार को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए। इंडो तिब्बत एरिया के विकास के लिए एक अलग योजना बनानी चाहिए जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से स्पेशल ग्रांट मिल सकती है, क्योंकि वहां की समस्या बिल्कुल भिन्न है और शेष प्रान्त से उनका कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता है। उस इलाके के लिये मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां के इलाके के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाएं अलग से बनायी जायं जिनका जिला नियोजन कमेटी से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। नेपालोज बार्डर के इलाके के सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता था। लेकिन समय नहीं है, अन्यथा मैं सरकार का ध्यान इधर भी आकर्षित करता। इन दोनों बार्ड्र्स पर जहां कि बड़ी बुरी हालत है, जहां के लोग बिल्कुल अशिक्षित हैं और राजनैतिक चेतना नाम मात्र को भी नहीं है और न ऐसा वातावरण हमारी सरकार या हम पैदा कर सके जिससे वहां की जनता में हम अपनी सरकार के प्रति श्रद्धा पैदा करा सकें। इस ओर विशेष ध्यान सरकार का होना चाहिए और उस इलाके का विकास होना चाहिए।

अन्त में मैं विन्ध्य प्रदेश के बारे में, जैसा कि कई महानुभावों ने अपने विचार प्रगट किये, उनके समर्थन में मैं भी विचार रखता हूं। अगर हमारे प्रान्त की प्लान्ड इकानोमी बनती है और केवल एग्रीकल्चरल इकानोमी पर ही आश्रित न रह कर इंडस्ट्रियल विकास भी करना है, और अपने प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करना है तो यह आवश्यक है कि हम विन्ध्य प्रदेश को अपनी सद्भावना से अपने प्रदेश में मिलाने की चेष्टा करें। हम ऐसी सद्भावना पैदा करें जो कि हमारे पारस्परिक हित में भी है, उसमें विन्ध्य प्रदेश की भी उन्नति होगी और हमारे प्रदेश का भी उत्थान हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से अपने विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि वे चाहे इस पंचवर्षीय योजना को और हमारी प्लानिंग को सर्टिफिकेट दें या न दें लेकिन वह सर्टिफिकेट एक बहुत बड़े देश का नेता ख्रुश्चेव दे गया है। जब वह भाखरा नंगल डैम पर आये तो उन्होंने उसको देखा और वहां के इंजोनियरों से पूछा कि तुम ऐसा ही दूसरा बांध बना सकते हो। उन्होंने कहा कि हम अवश्य बना सकते हैं। तो आप चाहे प्रथम पंचवर्षीय योजना पर सर्टिफिकेट दें या न दें। वह ख्रुश्चेव जैसा महान् नेता, रूस का दे गया है। अगर किसी को दिन में नहीं दिखायी देता तो हमारे पास कोई दवा नहीं है।

यह खुशी की बात है कि आज इस प्रान्त की योजना जिन हाथों में सौंपी गयी है उन्होंने अपने हाथों से इस प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल बनाया और हमें उम्मीद है कि अगले वर्षों में हमारे प्रदेश की बेकारी की समस्या अवश्य हल होगी और हमारी काटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा और देश में जो गरीबी है वह उसको मिटाने में सफल होंगे। इसमें हमें, हर एक माननीय सदस्य को कोआपरेट करना चाहिये। हां, हम अपने गवर्नमेंट आफिसरों से जरूर कहना चाहते हैं कि वह एक किताब जिसका नाम है "हू रूल्स इंगलैंड" जरूर पढ़ें। देश उनका है और एक्जीक्यूटिव पावर जो इस देश की है, जो रूलिंग पावर है ५ वर्ष हम हैं, दूसरे ५ वर्षों में दूसरे आ सकते हैं। इसलिये उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि देश का कल्याण उनके कंधे पर है और इस देश के प्रत्येक इन्सान के कंधे पर है चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। इसलिये हम सब को मिल करके इसे उठाना है।

अन्त में, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने नियोजन मंत्री जी से कि हमारे जिले में ९ मील लम्बी सड़क श्रमदान से बनायी गई। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग से जो रुपया खर्च किया जाय उससे वह सड़क बनायी जाय। हमारे जिले के चिल्हिया नामक स्थान पर मिट्टी के बर्तनों का काम होता है तो मैं गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर दृष्टिपात करें ताकि वहां इस उद्योग को प्रोत्साहन मिले। मेंहदावल में चूड़ियों का काम होता है उसके डेवलपमेंट के लिये पैसा दें और बखिरा के इलाके में पीतल के बर्तनों का काम होता है, उसके डेवलपमेंट के लिये पैसा दें।

[श्री शिवनारायण]

मान्यवर, हमारे जिले में बुनकर बहुत से बेकार हो रहे हैं उनकी तरफ मंत्री जी ध्यान दें तो कम से कम जो कपड़ा मिल बनाती है, उसको हम विदेशों को दे सकते हैं और जो देहातवाले घर पर कपड़ा बुनते हैं, मोटा खद्दर, उसकी देश में खपत कर देश की गरीबी को हल करना चाहिये। मिल का कपड़ा विदेशों में भेज कर हम पैसा कमा सकते हैं जिससे देश का डेवलपमेंट हो सकता है।

हमारे विरोधी दल के सदस्य, और खास कर राजनारायण जी ने कहा कि कोई प्लान नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर प्लान न होती, तो अन्न न मिलता और इतने, मोटे २ शरीर वाले लोग दिखायी न देते। मैं कहता हूं कि बुद्धि का इलाज हम नहीं कर सकते जैसा कल परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने भी कहा था। आज देश में हर एक का कर्त्तव्य है "डू और डाई" इसका नारा भूलें नहीं, उस पर अमल करना चाहिये इसी में देश का कल्याण है।

अन्त में मैं आप के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा भी था, हमारी कोई इच्छा नहीं है, दबाव नहीं है, बल्कि बुन्देलखंड के जो ४ जिले हममें मिलना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। और जब तक कच्चा माल और मिनरल रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे पास तब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन जिलों को उत्तर प्रदेश से मिला करके हम इस प्रदेश का और देश का कल्याण कर सकते हैं। इसलिये मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को सारे हाउस की तरफ से निवेदन भेजा जाय कि इस इलाके को हम में मिला दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले कि कुछ प्लानिंग के बारे में कहूं, अपने कुछ साथियों ने इस सदन में कुछ बातें कही हैं, पहले उनका जबाव दे देना आवश्यक समझता हूं। मैं सबसे पहले अपने साथी माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी से जो उन्होंने सुझाव दिया है कि अल्मोड़ा जिले के दो हिस्से हो जायं, जहां तक प्लानिंग का प्रश्न है, उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे यहां ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो तिब्बत-बोर्डर से मिला हुआ है अगर उसका अलग इंतजाम किया जायगा तो उसका डेवलपमेंट हो सकता है।

अब मुझे दुख है माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी की बात सुन कर। मैं नहीं समझता था कि वह सदन में बैठ कर कुछ सुनते नहीं हैं। मैं यह भी जानता हूं कि वह चापलूसी करना बहुत जानते हैं। मैं वह भी नहीं जानता।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। क्या 'चापलूसी' शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, अगर चापलूसी शब्द अनपार्लियामेंट्री है तो कौन शब्द पार्लियामेंट्री हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब सुबह समझा रहा था कोआर्डिनेशन की बात तो मैं कह रहा था कि कोआर्डिनेशन चीफ मिनिस्टर के बेसिस पर हो, हर डिपार्टमेंट पर कन्ट्रोल करने के लिये चीफ सेक्रेटरी का कोआर्डिनेशन होना चाहिये। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे जो वर्तमान डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, वह खराब हैं। इसकी चर्चा इस सदन के सामने मैंने नहीं की। जो हमारे वर्तमान डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, मुझे चापलूसी करनी नहीं आती, लेकिन उनके बारे में मैं भी जानता हूं कि वह क्या हैं? वह काम करते हैं, हम सब जानते हैं उन्होंने क्या काम किये हैं। लेकिन हम यहां सदन के अन्दर उनकी चापलूसी करने के लिये नहीं बैठे हैं, बल्कि डेवलपमेंट के बारे

में विचार करने बैठे हैं। मैंने यह भी साफ कह दिया था कि मेरी डेवलपमेंट विभाग के किसी आफिसर से लड़ाई-झगड़ा नहीं है। फिर भी ऐसी बात कर देना हाउस में माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी जैसे लोगों के लिये शोभा नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और थोड़ी सी कहूं। माननीय व्रजभूषण मिश्र जी ने एक बात ऐसी कही जो बात कि या तो उनको साबित करना चाहिए या अगर वह झूठ हो तो उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक बात ऐसी कह दी जिसके लिए मैं उन्हें चैलेन्ज करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसके लिए, इसकी जांच के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी बिठावें। वह कहते हैं कि एक फैक्टरी सोसाइटी की कहीं खुली, उसकी चर्चा उन्होंने की। पहले उसकी जानकारी उनको हासिल कर लेनी चाहिए थी। साढ़े बारह रुपया मन लीसा मिलता है, साढ़े चार रुपया मन बनवाई होती है, और १०० मन लीसे से ७२ मन रेजिन तैयार होता है। और उस रेजिन को जब २३ रु० मन पर बेचा जाता है तो कहीं जाकर दो रुपया सोसाइटी को फायदा होता है। यह हिसाब देख लिया जाय और लगा लिया गया। अगर गलत हो तो मुझे जो चाहे वह सजा दीजिये, और अगर सही हो तो वह अपनी बात वापस लें और उसके लिए माफी मांगें। उन्होंने कह दिया कि तालाब में टेनिस खेल रहे हैं। वह चल कर देखें। जरा हिम्मत तो करें। वहां तालाब में, पांड्स में पानी भरा हुआ है और उसमें मछलियां पाली गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि उन्हें क्यों शिकायत है मेरे लिये। यह भी मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि कौन सिखाता है उनको। यह भी मैं जानता हूं कि किसलिये वहां जाते हैं, चुनाव में यह हमारे यहां गए, यहां ये मेरे इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। यह मेरे यहां गए, उपाध्यक्ष महोदय, मुझको ही गाली नहीं दी, मेरी फेमिली को गाली दी। मेरे भाई जो पं० जवाहरलाल नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको गाली दी। नतीजा इसका यह हुआ कि वहां की जनता ने यह तय किया कि इनके मुंह पर कोलतार लगा दिया जाय, और यह इसे सुनकर वहां से रात ही रात वापस भाग कर चले आये। उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट पर ही आ रहा हूं। लेकिन उन्होंने ऐसी बात क्यों कही और अगर कही तो उसको उन्हें साबित करना चाहिए। ड्रेनेज की स्कीम के लिए उन्होंने सवाल पूछ रखे हैं। ड्रेनेज के लिये जो रुपया मिला हुआ है उसमें से हमने दस टैंक्स बनवाये हैं चालीस हजार रुपये से। लेकिन उसके लिए वह सवाल यहां पूछते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिसमें कोई आक्षेप हो। लेकिन अगर कोई आदमी आक्षेप करे तो उसे उसको साबित करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो बात इन्होंने कही उसकी जांच के लिए वह एक इन्क्वायरी कमेटी बिठवा दें, ताकि जो सही बात हो वह मालूम हो जाय।

जहां तक प्लानिंग का सम्बन्ध है कुछ चीजें रह गई थीं। जो एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स की योजना है उसमें साढ़े सात लाख रुपया खर्च किया जायगा। मैं यह कहना चाहता कि उसमें कुछ इलैस्टिसिटी होनी चाहिए। आपने सीधे-सीधे बता दिया कि ३ लाख रुपया इसके लिए देंगे, डेढ़ लाख रुपया सिंचाई के लिए देंगे, डेढ़ लाख रुपया वहां की पाइलट स्कीम्स के लिये देंगे, डेढ़ लाख रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करेंगे, इस तरह से आपने रख दिया। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्दर, जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने भी लिखा है, हम लोगों को काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो साढ़े सात लाख रुपया है उसमें से काटेज इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा रुपया खर्च कर सकें।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि इसमें इलैस्टिसिटी होनी चाहिये ताकि जहां ज्यादा जरूरत हो वहां ज्यादा खर्च कर सके और जहां जैसे बहुत सी चीजों की जरूरत न हो तो वहां खर्च न करके रुपये को जिस चीज की जरूरत हो उसमें खर्च कर सकें। तो यह एन० ई० एस० ब्लाक का जो हमारा पैटर्न है उसको बदलने का मौका मिलना चाहिए।

एक दूसरी चीज यह भी मैं चाहता था अध्यक्ष महोदय, कुछ कलेक्टिव फाइन्स हुए थे। उसके रुपयों के संबंध में सरकार ने फैसला किया कि हम इस रुपये को किसी डेवलपमेंट वर्क में लगायेंगे। पहले तो कहा कि वह सारा रुपया प्लानिंग में लगा दिया जायगा लेकिन बाद को सरकार ने यह फैसला कर दिया कि वह रुपया जो है जिस गांव का कलेक्टिव फाइन वह है, वह लोग अगर आधा काम करें तो बाकी आधे के लिए वह कलेक्टिव फाइन का रुपया उस गांव को दे दिया जायगा। वह लोग अगर आधा काम कर सके तो आधे इस रुपये को दे दिया जायगा। यानी सरकार ने वह सारा रुपया अपना समझ लिया है। तो मैं यह चाहता था कि वह रुपया जिन गांव वालों का है, जिनसे वसूल हुआ है, उस गांव के लिए वह गांव वालों का सबस्क्रिप्शन समझा जाय और बाकी रुपया गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके उस इलाके के अन्दर उस रुपये को खर्च करायें ताकि विकास का काम उस इलाके के अन्दर हो।

अध्यक्ष महोदय, टूरिस्ट के बारे में मैं यह चाहता था कि माननीय मन्त्री जी ने जो तीन लाख रुपया रखा है उसमें ज्यादातर रुपया डाइरेक्टोरेट को इस्टेब्लिश करने के लिये रखा गया है, कुछ फर्नीचर खरीदने के लिये रखा गया है, कुछ रुपया प्रोपगैंडा के लिये रखा गया है और कुछ बसें खरीदने के लिये रखा गया है। यह तीन लाख रुपया जो रखा गया है उसी तरह से बांटा भी गया है। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि जहां रेस्ट हाउसेज हैं जैसे सारनाथ है, आगरा, हरिद्वार, और जो बहुत से स्थान हैं जहां लोग जाना चाहते हैं, बनाना आवश्यक है वहां आप मकान अवश्य बनवायें जहां जाकर लोग टिक सकें। टूरिस्ट्स ज्यादातर हमारे पर्वतीय इलाकों में जैसे टेहरी गढ़वाल, मंसूरी, बद्रीनाथ और केदार नाथ जैसी जगहों में दर्शन करने भी जाते हैं, और बहुत से लोग हिमालय के सौन्दर्य को देखने जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जहां आप टूरिस्ट वर्क को शुरू करें वहां आप वहां के लोगों का भी सहयोग लें। और इस प्रकार आप टूरिस्ट इंडस्ट्री को डेवलप करें तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा डेलवपमेंट हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारी बहिन सज्जन देवी जी ने कहा कि औरतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तो सिर्फ औरतों की ओर ही नहीं, हमारी प्लानिंग कमीशन की जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना बनी हुई है, उसमें उन्होंने खुद इस बात की ओर संकेत किया है कि चाहे एन० ई० एस० ब्लाक हों, चाहे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स हों, उनमें हमारे बहिनों के लिये और हमारे यूथ्स के लिये भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री जी उस ओर भी ख्याल करेंगे।

एक बात और है जिसकी चर्चा यहां की गई है, विन्ध्य प्रदेश के यहां आने की बात। न जाने विकास के सम्बन्ध में कैसे यह बात आ गई? लेकिन जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि विन्ध्य प्रदेश में काफी मिनरेल्स हैं। हम लोग इस चीज के ख्वाहिशमन्द नहीं हैं कि किसी इलाके को छीन लिया जाय या जबरदस्ती मिला लिया जाय, यदि कोई इलाका छिन्न भिन्न हो रहा है और कहीं न कहीं उनको मिलाया जाना है, और वह लोग यह चाहते हैं कि वे हमारे प्रदेश के साथ मिलें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी; और उत्तर प्रदेश तो हमेशा अपने साथ लेने के लिये तैयार है ताकि हमारी और उनकी दोनों की तरक्की हो सके। इससे हमारे प्रदेश के भी उद्योग-धंधे बढ़ेंगे और वे भी सुखी और सम्पन्न होंगे।

इन शब्दों के बाद मैं और ज्यादा क्या कहूं। काफी कह चुका हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस सुझावों पर ध्यान देंगे और यह भी निवेदन करूं कि वे स्टैंडिंग कमेटीज को ज्यादा बुलाया करें और उनको ज्यादा बुलाना चाहिये उसको कान्फीडेंस में लेना चाहिये, तभी इस देश का काम चल सकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। अभी उपाध्याय जी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने इनको और इनके परिवार वालों को गालियां दीं। मैंने इनके चरित्र का वर्णन किया था, और सम्भव है उसकी वजह से उनके मुंह पर कोलतार लगाया गया हो।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता था कि माननीय मदन मोहन जी उपाध्याय ने इनके मुख पर कोलतार पुतने से बचाया। इसके लिये उपाध्याय जी को धन्यवाद देने के बजाय उनको इस तरह की बातें कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री फूलसिंह के खड़े होने पर) उत्तर आप देंगे ?

नियोजन उप मंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां।

अध्यक्ष महोदय, जो प्लानिंग के सम्बन्ध में बहुत सारे साथियों ने बहुत दिलचस्प और मुफीद बातें कही हैं, समय के अभाव से मैं उन सब बातों की चर्चा तो नहीं कर सकूंगा लेकिन मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें रेफर करने से रह जायेंगी उन पर ध्यान दिया जायगा, और जो फायदा मुहकमे को मेम्बर साहबान के मशविरे से मिल सकता है उसको अवश्य उठाया जायगा।

श्री अध्यक्ष—आपके पैर में चोट है, इस कारण आप बैठ कर बोल सकते हैं।

श्री फूलसिंह—तो दो एक बातें जो सब मेम्बर साहबान ने प्रायः कहीं हैं, एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं, और एन० ई० एस० ब्लाक्स के वितरण में थोड़ी सी कठिनाई रही है और वह स्वाभाविक भी है। पर सरकार की तरफ से यह नीति रही है कि प्लानिंग कमेटियां जिस जिस तरह से निर्णय करें उस निर्णय पर अमल किया जाय। कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ है कि माननीय मेम्बर तो असलियत में हैं प्लानिंग कमेटी में, वहां उनकी बात न चली हो। लेकिन तब भी यहां इस बात की कोशिश की गयी है कि कोई जिला ऐसा न रह जाय, सब जिलों में कम से कम तीन ब्लाक्स जरूर हों। यह योजना पूरी हो गयी।

एन० ई० एस० ब्लाक्स के सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी ने जो कुछ कहा मैं समझता हूं कि इसकी एक दफा चर्चा हो चुकी है। उसमें कुछ कठिनाई थी। मगर जब प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो राजनारायण जी ने स्वयं एक व्यक्ति को सालिस चुन दिया और उन्होंने जो फैसला किया उससे सारी कमेटी बंध गयी। मुझे खेद है कि राजनारायण जी को उससे तकलीफ हुई मगर गवर्नमेंट भी इसमें एक तरीके से असमर्थ है।

यह खुशी की बात है कि प्लानिंग के बजट से सभी लोग संतुष्ट हैं। तब भी एक साथी ने कहा कि ७ लाख में से एक ही लाख डेवलपमेंट के कामों में खर्च होता है। मेरे ख्याल में उनकी जानकारी काफी नहीं है। प्लानिंग के बजट में कई मदें हैं जिनकी चर्चा अभी उपाध्याय जी ने की है। पब्लिक हेल्थ के लिये २५ हजार, सोशल एजुकेशन के लिये २५ हजार, लोकल डेवलपमेंट के लिये डेढ़ लाख, ट्रांसपोर्ट के लिये ३० हजार, इर्रीगेशन के लिये १ लाख रुपये। तो इस तरह से काफी मद हैं अलावा उन ३ लाख के जो बजट है प्लानिंग का। यह ऐसा है जो सब चीजों में खपता नहीं है। कहीं ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां सिंचाई

[श्री फूलसिंह]

के साधन की आवश्यकता ही न हो, या जहां वे साधन हो ही न सकते हों। तो यह कहते हैं कि उस रुपये को एलाट कर देने की कोशिश करते हैं। पर यह सही है कि सीधे तौर से इंडस्ट्री के नाम से कोई रुपया अलग से नहीं रखा गया है इस बजट में। तो जो प्वाइंट उपाध्याय जी ने उठाया मैं समझता हूं वह गौर करने वाला प्वाइंट है। मगर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जितने-जितने रुपये की आवश्यकता होती है हम दूसरे मद से एलाट कर देते हैं।

यह भी चर्चा की गयी कि चीफ सेक्रेटरी को प्लानिंग सेक्रेटरी और कमिश्नर होना चाहिये। यह प्रथा कुछ दिनों तक यहां रही, उससे हमारे प्रान्त को बड़ा लाभ हुआ। चुनांचे प्रान्तीय स्तर पर जो कमी कोआर्डिनेशन की थी चीफ सेक्रेटरी के प्लानिंग कमिश्नर होने से वह कमी बहुत हद तक पूरी हो गयी। बहुत से सदस्य इस बात को जानते हैं कि उनके जिलों में इस बात की कठिनाई हुई कि किन्हीं मुहकमों के अफसरों ने सहयोग देने से इन्कार किया पर, चूंकि कमिश्नर और सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी थे इसलिये उन्होंने इस बात को आसानी से सुलझा लिया। मगर दूसरी कठिनाई यह पैदा हो गयी कि इतने बड़े प्रान्त का सारा काम अगर दफ्तर ही में बैठ कर हो तो फिर फील्ड की चेकिंग कम होती है। मैं यह नहीं कहता कि यह बिलकुल ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी फील्ड की चेकिंग से जो बहुत सी कमियां आ सकती हैं महकमे में वे रुकी रहती हैं। और इसलिये यह आवश्यकता पड़ी कि हम चीफ सेक्रेटरी के अलावा दूसरा प्लानिंग कमिश्नर रखें और उस हेर-फेर से हमारे काम में बहुत तरक्की हुई है। मैं यह कह सकता हूं कि पहले जो दिक्कतें होती थीं काम में, एक तरह से चूंकि वे भी उसी चीज को देख कर आते हैं फील्ड में, इसलिये बिना रुकावट के वही उसको कर लेते हैं। हमें इस बात का संतोष रहता है कि उन्होंने ठीक देख कर काम कर लिया होगा।

कई एक बातों की और चर्चा यहां हुई। उपाध्याय जी ने ऐक्शन ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की चर्चा की। यह इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जिससे मेम्बर साहबान का सम्पर्क कम होता होगा, लेकिन है बहुत मुफीद। दो काम वह इंस्टीट्यूट करता है। जो हम फील्ड में काम करते हैं उसकी प्रोग्रेस को आंकना कि क्या उसकी प्रोग्रेस उतनी ही है जितना हमारा एस्टीमेट था या कम है? दूसरा काम उसका यह है कि जो समस्यायें फील्ड में हम हल नहीं कर पाते उन पर रिसर्च करना, एक्सपेरीमेंट करना। चुनांचे अभी श्री नारायणदत्त जी ने चर्चा की स्वाइल कंजर्वेशन की, और उन्होंने कहा कि छः महकमे इस काम को कर रहे हैं। अब मैं इस विवाद में तो क्या जाऊं, लेकिन यह सही है कि यह काम बड़ा कठिन था। महकमे ने पहले जो काम किया, उसमें सफलता नहीं हुई। हमने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कामयाबी हुई। अब हम इसको फैला रहे हैं। आपने बजट में देखा होगा कि हमने प्रोजेक्ट्स बनाया है। स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जो स्कीम है, उसमें जो रुपया खर्च हुआ है, वह पहली स्कीम से कहीं कम है। बेशतर रुपया टैक्निकल गाइडेंस पर खर्च होगा जो हमारे लिये करना सम्भव है।

ऐसी ही दूसरी चीज इस विभाग ने कागज की घुड़दौड़ कम कर दी है। जब इस मुहकमे का काम शुरू किया गया, तो फोर्टनाइटली वगैरा मिला कर २०० रिपोर्ट्स होती थीं। हमने १५० की, और खुशी की बात है कि अब इस मुहकमे ने केवल एक रिपोर्ट बनानी शुरू की है और केवल एक रिपोर्ट ही आया करेगी जिससे कागज की घुड़दौड़ बहुत कम हो जायगी। इसी तरह से इस मुहकमे ने यह जांच की कि जो ग्राम सेवक हैं उनका वर्कलोड कितना है। इस तरह से बेशुमार चीजें इसने आपके सामने रखी हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुहकमे की प्रशंसा केन्द्रीय सरकार ने ही नहीं की है बल्कि बाहर के लोगों ने भी की है।

रक्षा दल का महकमा भी, मेरा खयाल है, वह भी आपके धन्यवाद का पात्र है। यह लड़के तमाम मोबीलाइजेशन का काम करते हैं। उपाध्याय जी के जिले में जब मैं गया था पारसाल तो पहाड़ की चोटियों पर इन लोगों ने सैकड़ों एकड़ में दरख्त लगा दिये हैं। एफो-रेस्टेशन का काफी काम इन्होंने किया है। (एक अवाज––वह तो गांव के लोग करते हैं।) गांव वालों को आर्गेनाइज यही लोग करते हैं। यह कोई बहुत बड़ी फौज नहीं है। केवल ५१ डी० ओज० हैं और ८०० जोनल वर्कर्स हैं और दो-तीन एन० ई० एस० और कम्युनिटी प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। तो ५–७ आदमी पेड रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम है और ८ आदमी हजारों आदमियों को आर्गेनाइज कर रहे हैं तो यकीनन वह धन्यवाद के पात्र हैं।

एक जो डी० डी० सीज० का सवाल है, यह काबिले विचार है। क्या इन लोगों का हेड क्वार्टर यहीं पर रखा जाय या इनको जोन्स में भेज दिया जाय? जब इनको मुकर्रर किया गया था तो मैंने कहा था, क्योंकि यह नया काम शुरू हो रहा है, इसलिये आवश्यकता है कि सब लोग यहीं रहें, ताकि मशविरा करके चीजें सुलझा लें। अभी फिर यह मामला कमेटी के सामने आया और यह देखने में आया कि इतनी बार इनकी आवश्यकता पड़ती है कि अगर इनको जोन्स में रख दिया गया तो इनका भत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और समय बहुत वेस्ट होगा और आपका असली मकसद हल नहीं हो सकता है।

मैं आदरणीय मेम्बर साहबान से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मुहकमा बढ़ रहा है और स्टेबिलाइज नहीं हुआ है। पहले सब चीजें स्टैबिलाइज हो जायं तब यह सम्भव हो सकेगा कि स्टाफ यहां से हटा कर जोन्स में भेज दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––जो कमिश्नर्स हमारे डिवीजन में होते हैं वह भी हमेशा आते हैं।

श्री फूलसिंह––कमिश्नर्स का काम उनसे कई गुना कम है। जितनी हमारी मीटिंग्स होती हैं, जितने मशविरे होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं, अगर उनको कहने लगूंगा तो समय निकल जायगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ठीक ही है कि यह यहां रहें। उनको जिले में काफी घूमना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यह सोचा कि अभी उनको यहां से वहां ले जाना ठीक नहीं होगा।

एक बात ओवरसियर्स के लिये कही गयी। जिलों में प्लानिंग के काम ओवरसियर्स की कमी से कुछ रुका रहता है। तो इस सम्बन्ध में यह जरूरी है कि यह स्टाफ आहिस्ता-आहिस्ता जिलों में मुहैय्या किया जाय। एक माननीय सदस्य ने चर्चा की थी कि जो सिंचाई के मुहकमे के या पी० डब्लू० डी० के चीफ इंजीनियर हैं उनसे यह काम लिया जाय। यह किया भी गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे काम में रुकावट पड़ती है।

लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के मुताल्लिक यह सही था कि पहले यह कायदा था कि यह रुपया प्रोजेक्ट में खर्च न किया जाय। अब थोड़े दिनों से केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि इसका २५ प्रतिशत ब्लाक्स में भी खर्च हो सकता है। ऐसी हिदायतें जारी हो गई हैं। तो यह संभव है कि ऐसे आदेश की मस्लियत से माननीय सदस्य को यह शिकायत का मौका मिला हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––यह तो उनके फंड्स के लिये है।

श्री फूलसिंह--हमारे फंड्स में तो कोई पाबन्दी नहीं है। यह बात सही है कि हर साल तो हम ४० लाख रुपया प्रोवाइड करते थे इस बजट में और केन्द्रीय सरकार से भी लगभग १ करोड़ ५ लाख रुपया मिल जाता था। इस साल केन्द्र से ८७ लाख रुपया मिलेगा और हमारा भी लगभग २० लाख रुपया रहा। तो यह रुपया कम होगा, इसमें कोई शुबह नहीं। लेकिन यह पैसे की कठिनाई तो ऐसी है कि जिसको माननीय मेम्बर खूब जानते हैं, लेकिन फिर भी यह कोशिश की जायगी कि कहीं से रुपया बचा कर अगर आवश्यकता हुई तो जिलों का हमारा काम रुक न जाय और चलता रहे।

पिथौरागढ़ के इलाके की यह शिकायत कि प्लानिंग कमेटी की मीटिंग नैनीताल में होती है और वहां के लोग उस मीटिंग में नहीं जा पाते, सही है। लेकिन मेरे ख्याल में यह शिकायत भी अब रफा हो जानी चाहिये क्योंकि आदेश यह जारी हो गया है कि वह मीटिंग कभी नैनीताल में हुआ करे और कभी अल्मोड़े में। तो इस तरीके से वह दिक्कत आपकी अब रफा हो जाने वाली है।

मुझे खेद है कि हमारे भाई जयपाल सिंह जी ने एक डी० पी० ओ० की चर्चा कर दी। यह ठीक नहीं होता शायद कि जो अहलकार जवाबदेही नहीं कर सकता है उसको लेकर यहां रगड़ना। उससे कोई फायदा नहीं हो पाता और प्लानिंग का काम अधिक हो पाता है। वाकया यह है कि १९४९ में वह अफसर डाइरेक्ट रेक्रूट हुआ था और वह पन्त जी ने किया था। पन्त जी ने ही कहा था और पन्त जी ने ही डाइरेक्ट रेक्रूट किया था। तो ऐसी गलत चीजें रखने से कोई फायदा नहीं होता। मैं यह कह सकता हूं कि वह डी० पी० ओ० बहुत अच्छा काम करने वाला है और उसका नाम आज प्रान्त के सबसे अच्छे डी० पी० ओज० में है। पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बड़ी त्रुटियां काम की हैं उनको दिखाना चाहिये ताकि उनसे कुछ फायदा निकले और हम भी कुछ सीखें।

यह काटेज इंडस्ट्री का जो काम है इस काम के सम्बन्ध में चेकिंग की बात एक साहब ने कही। वह बात बहुत इंपार्टेन्ट है। माननीय सदस्य पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं। मैं यह कोशिश करता हूं कि हर जिले में साल में कम से कम एक मर्तबा चला जाऊं और वहां कोई जलसा तो होता नहीं, मैं तो यही मुनीमगिरी की बात करता हूं, जांच-पड़ताल की। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि माननीय सदस्य उस मीटिंग में रहे होंगे, और अगर रहे होंगे, तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया होगा, क्योंकि हम खुद इस कोशिश में रहते हैं कि कोई ऐसी गलती मिले जिससे कर्मचारियों को सख्त सजा दें। श्रमदान के चेकिंग के लिये अगर चार जोनल कमेटी बनी हुई हैं। वह उसको चेक करती हैं हर जिले में। हर जिले में यह आदेश गये हैं कि अगर फर्जी काम कहीं पकड़ा जायगा तो वे इनाम से ही महरूम नहीं किये जायंगे बल्कि शायद उनको नौकरी से भी महरूम होना पड़े। बाकी कामों के लिये सब कर्मचारियों को यह आदेश है कि इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि चेकिंग ठीक तरह से हो। कम्प्लीशन रिपोर्ट जैसे आती है वैसे ही उनको रुपया नहीं दिया जाता है। बी० डी० ओ०, डी० पी० ओ० और एस० डी० ओ० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जोनल कमिश्नर सब के सब चेकिंग करते हैं। तब भी यह मुमकिन हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ की बात हो, तो आजकल मुहकमा इस बात के विचार में है कि क्या और मशीनरी सेट अप की जाय जिससे हम कामों को चेक करें ताकि गुंजायश गलत काम को साबित करने की इस तरह से न रहे। मेरे ख्याल में जैसा कि इस मुहकमे का काम हो रहा है उसमें इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम नये-नये एंगिल से मुहकमे के कामों को चेक करते रहें, जिससे कोई खामी आने का खतरा हो तो वह दूर हो सके। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेम्बर साहबान

यहां पर सेशन में मौजूद रहते हैं और उस वक्त अगर कमेटी जिले में कोई चीज पास कर देती है तो फिर उसकी शिकायत होती है। इसके लिये तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम तो आपसे हर समय मशविरा लेने के लिये तैयार हैं, तब फिर इस बात की गुंजायश नहीं है कि कोई शिकायत की जाय। हम इस बात को महसूस करते हैं कि आपके मशविरे के बिना प्लानिंग का काम आगे नहीं बढ़ सकता। हर मेम्बर को इसकी जांच करनी चाहिये, और अगर कहीं पर उनकी बात को सुना न जाय तो वह लिख कर यहां भेज सकते हैं।

मैं समझता हूं कि जितनी बातें मैंने यहां पर कही हैं वह उस सम्बन्ध में कहीं जिनका मेम्बर साहब ने यहां पर तज़किरा किया। और भी बहुत बातें हैं लेकिन उनके लिये समय नहीं है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने यह मौका दिया और मैं आशा करता हूं कि आपके मशविरे से यह विभाग दिनोंदिन तरक्की करता जायगा। आशा है इस ग्रान्ट को आप मंजूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक ६३–क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख—सामुदायिक विकास योजनायें राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण, कार्य के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक ६३–क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३–ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य) के अन्तर्गत ७,१४,७७,८०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित-निधि, सरकारी छापाखाना

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इस अगले अनुदान के लिये सब लोग ५ मिनट ही लें तो अच्छा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—लेखन-सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६—लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना) के अन्तर्गत १,०७,६०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान का भी सम्बन्ध उद्योग विभाग के कार्यों से है। छापाखाने के कार्य, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसका यह बड़ा भारी एक उद्योग है। उत्तरोत्तर उस उद्योग में प्रगति होती जा रही है। सन् ४७–४८ में प्रेस का बजट ३३ लाख रुपये का था, जिसमें आधी धनराशि कागज और स्टेशनरी इत्यादि की हुआ करती थी, परन्तु यह अब ९२ या ९३ लाख रुपये का हो गया है, और आइन्दा वर्ष में वह १ करोड़ ७ लाख रुपये का होगा जैसा कि मैंने इस अनुदान के रूप में सदन के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सामने रखा है। प्रेस का बजट पहले से तीन गुने के लगभग हो गया है। इस समय सरकार के विभाग में और आवश्यकतायें बढ़ी हैं और छपाई का कार्य भी बढ़ा है।

सन् १९४७-४८ में इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि छापेखाने का कार्य बढ़ाया जाय और इसीलिये लखनऊ में उसकी शाखा खोली गई और उसमें काफी संख्या में काम करने वाले रखे गये। नये प्रकार की मशीनें खरीदी गईं और नई इमारतें बनाई गई। सन् १९५२ में सरकार की ओर से एक कमेटी नियुक्त हुई जिसके अध्यक्ष थे हमारे श्री भाटिया, जो आज कल इन्डस्ट्रीज विभाग के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी हैं, और उस समय डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज थे। उस कमेटी ने छानबीन करके यह निर्णय किया कि ३७-३८ लाख की मशीनें आधुनिक ढंग की मंगाई जावें जिससे बढ़ा हुआ कार्य पूरा किया जा सके। इसलिये इन ३, ४ वर्षों में प्रत्येक वर्ष कोई न कोई नई मशीन खरीदी गई है। आने वाले वर्ष में करीब १०, ११ लाख की मशीनें खरीदी जावेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रेस की उत्तरोत्तर प्रगति होती जा रही है और ज्यों-ज्यों हमारा कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बढ़ता जायगा, त्यों-त्यों छापेखाने को भी हमें बढ़ाना होगा। इस समय बहुत से छापेखाने के कार्यकर्ता स्थायी रूप से नियुक्त किये गये। ९९१ आदमी कदाचित ऐसे नियुक्त किये जा सके हैं और इस वर्ष भी ८१ आदमी स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने वाले हैं। वहां काम करने वालों के लिये सुविधायें और सुभीते भी विभिन्न रूपों में बढ़ाये जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेस का कार्य बढ़ता रहेगा और काफी संख्या में उसमें मजदूर भी बढ़ते रहेंगे। इस प्रेस के संचालन के लिये, जिसे सरकार स्वयं चला रही है, इस बात की आवश्यकता है कि प्रेस के अधिकारी और मजदूरों में काफी सहयोग होना चाहिये और उन लोगों का भी पूरा सहयोग मिलना चाहिये जो मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और मजदूर संस्थाओं में कार्य करते हैं। तभी पब्लिक सेक्टर में चलने वाली संस्थायें सुगमता से कार्य कर सकती हैं और प्रगतिशील के मार्ग को अपना सकती हैं। मैं और अधिक न कहता हुआ इस अनुदान को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं और इस बात की प्रार्थना करता हूं कि अपने अधिकारीवर्ग से और मजदूरों से कि उनका सहयोग पूरा रहे। और यह जो लिखा-पढ़ी का काम बढ़ रहा है, उसके द्वारा प्रेस का काम भी बढ़ेगा। अतः उसमें प्रगति लाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि दोनों के बीच में कोई मनोमालिन्य न पैदा हो, दोनों मिल कर इस कार्य का संपादन करें, तभी जिन कारणों से यह अनुदान पेश किया जा रहा है, उसको बल मिल सकता है।

मैं उन सब लोगों को जो प्रेस में काम कर रहे हैं और जो मजदूरों के नेता के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें, इस बात का आग्रह करते हुए सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि मजदूरों की जो आवश्यकताएं हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी तकलीफों को रफा करने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसी में उसका हित है और मजदूरों की सुरक्षा भी निहित है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस अनुदान को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं इस सम्पूर्ण अनुदान ३७ के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, प्रस्तुत अनुदान छापेखानों से सम्बन्धित है। आजकल सरकारी छापेखाने का महत्व कितना अधिक बढ़ा हुआ है यह तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि रोजाना गुप्त से गुप्त पत्र, रिपोर्टें तथा निश्चय इन छापेखाने के कर्मचारियों के हाथ में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाते हैं और इन सभी गुप्त से गुप्त विषयों को अपने तक ही सीमित रखना एक बड़े उत्तरदायित्व का विषय है। आज हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो सेन्ट्रल बजट पेश हुआ उसकी लीकेज की जिम्मेदारी वहां के प्रेस के कुछ कर्मचारियों पर थी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हमें मालूम होगा कि सरकारी प्रेस उद्योग कितना महत्वपूर्ण उद्योग है। मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन की जो स्कीम है और राजकीय उद्योगों में जो मजदूर हैं उनका भी उसमें भाग हो सकता है तो प्रथम प्रयोग अगर चुर्क सीमेंट फैक्ट्री आदि बड़े उद्योगों से नहीं किया जा सकता, अगर वहां पर उसका प्रयोग करने में देर लगेगी तो इस छोटे उद्योग में तो कम से कम इस स्कीम को लागू कर देना चाहिये, उसके इन्तजाम में इन लोगों को भी भागी बना देना चाहिये जो लोग कि उसमें कार्य करते हैं। सभी श्रेणी के कर्मचारिवर्ग का उसके मैनेजमेंट में भाग होना चाहिये।

इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई भी रुपया इस अनुदान के तहत में नहीं रक्खा गया है। इसके लिये कोई द्वितीय पंचवर्षीय योजना है या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसमें एक भी रुपया इसके लिये नहीं रक्खा गया है। एक बात इसमें यह है कि बम्बई की एक इम्को फर्म लिमिटेड, को यह काम सौंपा गया है कि वह यह रिसर्च इस प्रेस में करे कि किस प्रकार से इकानामी हो सकती है, यानी कर्मचारी कम हों और काम अधिक हो? इसके लिये उसको ३६ हजार रुपया जाने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर दुबारा विचार करें, क्योंकि यह जो स्कीम है वह एक प्रकार से रेशनलाइजेशन करने वाली स्कीम है, जिसमें मजदूरों की छटनी होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इधर-उधर सदस्यों के खड़े होने से अटेंशन जरा गड़बड़ हो जाता है? मैं समझता हूं कि लोग अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें। माननीय नारायणदत्त जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह अर्ज कर रहा था कि इम्को लिमिटेड इस प्रेस में एक सर्वे करने जा रही है। इससे रेशनलाइजेशन का खतरा पैदा होता है। आजकल जब हम यह योजना बना रहे हैं कि बेकारी दूर हो और प्रेस में बेकारी बहुत ज्यादा है। जितना विस्तार गवर्नमेंट प्रेस का होता जा रहा है जो गैर सरकारी प्रेस हैं उनमें बेकारी बढ़ती जा रही है। लखनऊ में ही कम से कम १०० प्रिंटिंग प्रेसेज ऐसे हैं जो बन्द होने जा रहे हैं जिनका काम पहले से बहुत कम हो गया है। वे अपने मजदूरों को कम करते चले जा रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेसेज के मजदूरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी योजनाएं हम बनायें कानपुर की तरह कि रेशनलाइजेशन हो लेकिन बिना रिट्रेन्चमेंट किये हुए। जब इम्को का नोट पढ़ने को मिला तो मालूम हुआ कि ३६ हजार रुपया इस योजना में खर्च किया जाने वाला है जो अन्ततोगत्वा मजदूरों की छटनी की ओर ले जायगा। इस सिलसिले में गम्भीरता पूर्वक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह रिसर्च यहां भी हो सकता था। किसी कम्पनी को रिसर्च के लिये इतना रुपया देना यह कहां तक उचित है, यह इसमें स्पष्ट नहीं है?

साथ ही साथ इसमें आर्टिस्ट और डिजाइनर की पोस्ट बनाने के लिये एक अनुदान भी रक्खा गया है और यह इसलिये रक्खा है कि प्राइवेट आर्टिस्ट और डिजाइनर्स को रुपया न देना पड़े। इसलिये यह पोस्ट क्रियेट कर रहे हैं। आज कल देश में, जो आर्टिस्टों की हालत है, उससे माननीय मंत्री जी और सरकार पूर्णतया परिचित है। लोगों को फाइन आर्ट से कितनी कम दिलचस्पी है यह भी वे जानते हैं और दिलचस्पी होते हुए भी जो मेनहत आर्टिस्ट करते हैं उसका पूरा-पूरा भुगतान कला-प्रेमी होते

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुए भी हम लोग नहीं कर पाते। जो प्राइवेट आर्टिस्ट हैं उन्हें प्रोत्साहन देना हमारी नीति होनी चाहिये। यह नहीं कि हम एक आर्टिस्ट व डिजाइनर की पोस्ट क्रियेट करके दस आर्टिस्टों की रोजी छीनें। यह उचित नहीं होगा। इस पोस्ट के क्रियेट करने में जिस नीति को अपनाया गया है, वह उचित नहीं मालूम होती।

इसमें एक अनुदान अवश्य सराहनीय है। वह यह कि कुछ कर्मचारियों को अस्थायी से स्थायी किया जाना, लेकिन इस सम्बन्ध में पूरी जांच करने की आवश्यकता है। जो गवर्नमेंट प्रेस है इसमें किस श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी किया गया है? भाटिया कमेटी जो बैठी थी उसी की सिफारिश के अनुसार गवर्नमेंट प्रेस बढ़ाया गया। मुझे दुःख है कि भाटिया कमेटी से यह नहीं कहा गया कि वह प्रेस वर्कर्स के बारे में कोई सिफारिश करती। बहुत समय पहले निमकर कमेटी ने प्रेस मजदूरों के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेज और गवर्नमेंट प्रेसेज दोनों के लिये। मैं नहीं जानता कि उस रिपोर्ट को लागू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य कहूंगा कि जहां वे मजदूरों के सहयोग की बात है, अपील करते हैं और अधिकारियों से सहयोग की अपील करते हैं, वहां राजकीय प्रिंटिंग प्रेसेज में जो मजदूर हैं उनकी दशा सुधारने की और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनकी सुविधाओं का स्तर, जो व्यक्तिगत प्रेसेज हैं, उनके मजदूरों के स्तर पर लाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक कमेटी बैठायें जो कि प्रेस के मजदूरों की वास्तविक समस्या का अध्ययन करे और शीघ्र ही अपनी सिफारिश दे। साथ ही मैनेजमेंट में वर्कर्स का हाथ इसी वर्ष से होना चाहिये।

जो रिपोर्ट्स राजकीय प्रिंटिंग प्रेसेज में छपने जाती हैं, उनकी प्रायरिटी फिक्स करने का क्या आधार है, यह स्पष्ट नहीं है। जो रिपोर्ट्स पहले छपकर आ जानी चाहिये वे समय से छप कर नहीं आतीं। कौन इसके लिये जिम्मेदार है मैं नहीं कह सकता? एक मिसाल देना चाहता हूं कि मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की एनुअल रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग प्रेषित करता है, और सन् ५६ में सन् ५० की रिपोर्ट छप कर आई! मैं उस समय नहीं कह सका। माननीय बनारसीदास जी यहां बैठे हुए हैं। वह १९५१ की सेंसस रिपोर्ट की आलोचना कर रहे थे। उनको आश्चर्य होगा कि १९५० की रिपोर्ट १९५६ में छप कर आयी है। और केवल इसी विभाग में ऐसा नहीं है बहुत से विभागों की बात है। जब कोई काम की रिपोर्ट नहीं रहती, तब वह छप कर आती है। तो कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये कि जिससे रिपोर्ट समय पर छपें और छपने की प्रायरिटी निश्चित करने के लिए भी कोई तरीका तय होना चाहिए। और अगर कोई तरीका है तो जो तरीका आज तक लागू है वह हमको बतलाना आवश्यक है, क्योंकि मैं समझता हूं कम से कम जो सदन में रिपोर्ट आती रहती है उनसे तो यही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई गड़बड़ है, कमी है, प्रबन्ध की जिससे समय पर रिपोर्ट नहीं मिल पाती।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, लेखन सामग्री और छापा विभाग के सम्बन्ध में जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में, जो अन्तिम वाक्य सहयोग के सम्बन्ध में मजदूर कर्मचारियों और मैनेजमेंट के सम्बन्ध में कहे हैं, उनको मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि मजदूरों की ओर से हर कदम उस तरफ जायगा जहां से इस प्रदेश के सवा छः करोड़ इंसानों के लगे हुए पैसे से चलता हुआ, यह प्रेस भविष्य में तरक्की करेगा, छापेखाने के उद्योग को एक तरजीह मिलेगी, और उस उद्योग के नाम पर कोई ऐसी बात नहीं लगेगी जिसमें कि मजदूर और जनता के बीच में कोई ऐसी बात आये कि मजदूरों ने पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री में गड़बड़ करने की कोई बात की। मैं इस बात के लिए भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस सहयोग के सम्बन्ध में मजदूरों से अपील की, वहां मैनेजमेंट के लिए भी दो-चार शब्द कहे। श्रीमन्, यह इस विभाग का सौभाग्य है, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि माननीय गुप्त जी इसके मंत्री हैं। जिस तेजी के साथ आम तौर से वह फैसला लेते हैं और जिस जल्दी में वह हमेशा कामों को निपटाने की बात करते हैं अभाग्य से कुछ मानों में वह तेजी और जल्दी वह इसमें कायम नहीं कर पाये।

आज चार साल का अरसा हुआ, जब से मैं इस सदन में हरसाल मजदूरों की तनख्वाहों के सम्बन्ध में कहता रहता हूं। स्केल के मुताबिक मजदूरों की तनख्वाहों का निश्चित करना यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे गुप्त जी के विभाग में और मुझमें कोई दो रायें हों। गुप्त जी के पहले दो मंत्रिगण माननीय हुकुमसिंह जी, जब वह इस विभाग के मंत्री थे, और माननीय मुख्य मंत्री पन्त जी, वह भी एक बार तशरीफ ले गये। पन्त जी ने इशारे-इशारे में और माननीय हुकुम सिंह जी ने साफ-साफ यह बात मंजूर की थी कि जैसा कि वहां के इंस्पेक्शन नोट्स से भी जाहिर होगा कि यहां के मजदूरों के वेतन और उनके वेतनक्रम स्किल पर आधारित नहीं हैं। वहां ओमनीबस डेजिग्नेशंस हैं। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था। ऐसे डेजिग्नेशंस हैं जैसे बाइंडर। मशीन पर काम करता है तो बाइंडर, जो मछली की छाप लगी रहती है, जो कि इस प्रदेश की मोहर है, जिसे डाई कहते हैं, वह काम जो करता है वह भी बाइंडर। चमड़े से जिल्द बनाता है वह भी बाइंडर, और कागज भांजता है वह भी बाइंडर। डेला निकालता हो तो वह भी बाइंडर। एक अजीब बात है। ऐसा कहीं है नहीं। और होना भी नहीं चाहिए। इसमें सरकार का बड़ा खर्चा होता है और जनता के धन का यह सदुपयोग नहीं है। न यह स्किल्ड आदमी के हित में है, किसी को इससे फायदा नहीं होता। यह प्रश्न चार सालों से सरकार के विचाराधीन है और अभी हाल ही में हमारे माननीय सभासचिव की कृपा हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह मामला विचाराधीन है कि वेतनक्रमों का स्किल्ड के साथ ताल्लुक जोड़ेंगे।

मैं गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से कि मेहरबानी करके इस मसले का जल्दी फैसला कर दें। होता क्या है, मजदूरों में जा कर हम जो काम करने वाले हैं और यह हमारी बद किस्मती है कि दूसरी जगह आपके राष्ट्रीय मजदूर की संबंधित यूनियन हैं, हमारी बदनामी आमतौर से करने वाले नहीं हैं, हमारे तिवारी जी कह सकते हैं कि यह तुमने घर वालों को ही बना रखा है, कोई काम होने वाला नहीं। मेरा अनुभव है कम से कम ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के अधिक प्रयास के बाद जब चीज पकने को आती है, तो मजदूर का सब्र टूट जाता है और बात बिगड़ जाती है। मैं इसलिये नहीं कहता कि मुझे आई० एन० टी० यू० सी० में रखने में मदद की जरूरत है, इसलिये उनका काम कीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं वेतन क्रम के सम्बन्ध में कि जल्दी फैसला कीजिये मजदूर से, यदि आप काम लेना चाहते हों तो। नहीं तो जनता के पैसे का अपव्यय है, आपका नुकसान है, जनता का नुकसान है मैं उम्मीद करूं कि माननीय गुप्ता जी जैसे एक बार कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई की १९४८ में एक कमेटी बना दी थी पंत जी ने वित्त विभाग का एक आदमी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक आदमी, संभव हो सके तो आई० एन० टी० यू० सी० का एक आदमी, क्योंकि दोनों यूनियनें वहां प्रतिनिधित्व रखती हैं, उनकी एक कमेटी हो जाती है और एक आप अपना नौमिनी उसका चेयरमैन कर दें, ताकि उनके सामने मसला रख कर जल्दी से

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

जल्दी वह मसला होने पर आ जाय। १९५१ के बाद प्रेस के मजदूरों के सम्बन्ध में कोई ऐसा कदम निश्चित नहीं उठा पाये हैं जिससे कि वहां सब की बात इस सम्बन्ध में हो सके। मुझे आशा है कि माननीय गुप्ता जी इस निश्चय को लागू करेंगे।

मैंने बाइन्डर्स की बाबत कहा तो मतलब यह नहीं था कि बाइन्डर्स ही सिर्फ घपले में हैं। मशीन रूम में, कम्पोजीशन, लीनो, लीथो, सभी जगह गड़बड़ी है, और यह देखने वाली चीज है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जिन्होंने यह कहा कि पब्लिक सेक्टर में इस इंडस्ट्री को एक आइडियल बनाना चाहते हैं।

हमने अभी अभी एक फैसला दिया है जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का नहीं है, लेकिन कोआपरेशन को इस्टेब्लिश करने का है। हमने सेक्रेटेरियट से निवेदन किया है कि वह मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच में जो झगड़े उत्पन्न होते हैं उनको निपटाने के लिये वह एजेंसी स्थापित कर दे जिसका नाम निगोशियेशन मशीनरी है। और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सुरक्षा विभाग, रेलवे विभाग में, कम्युनिकेशन विभाग में, पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग में सब जगह है। यह आवश्यक है कि हम मजदूरों के प्रतिनिधि और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि बैठ कर निगोशियेट कर सकें, और यदि सम्भव न हो तो सेक्रेटेरियट लेविल पर निगोशियेशन चल सके, और अन्तिम निगोशियेशन मंत्री जी के लेविल पर होना चाहिये।

श्रीमान्, मैं-दो एक चीजों के सम्बन्ध में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कान्फीडेंशल सेक्शन में काम आपके यहां होता है। यह खुशी की बात है कि गवर्नमेंट प्रेस से कोई चीज इस सेक्शन से बाहर नहीं गई। लेकिन वहां जो मजदूर काम करने वाले हैं, वे बाहर नहीं आ सकते। जितने वक्त काम पर चले जायं तो वहीं रहना होता है। तो इन लोगों को खास तौर से कोई ऐसी मदद सरकार को एलाउंस देना चाहिये जिससे कि उनको अपने उस कंफीडेंशियल सेक्शन में रहने का आर्डर हो और समझे कि हमें इसके लिए पेमेन्ट होता है।

मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं। साइकिलों की अजीब हालत है, उनके लिये कोई जगह नहीं, न इलाहाबाद में और न लखनऊ में। हर विभाग में यही हालत है। कभी किसी अफसर साहब को गुस्सा आ गया—मैं यह नहीं कहता कि किसी को आया या नहीं आया, तो उन्होंने कहा इसको उठा कर फेंकों। अब वह कहां जाय? साइकिलें चोरी होती हैं और उनके ऊपर कोई रुकावट भी नहीं लग सकती। तो कृपा करके साइकिल स्टैन्ड शीघ्र बना दें और हर बड़े उद्योग व्यवसाय में इस तरह की जरूरत है। अतः मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि साइकिल स्टैन्ड का वह जरूर इन्तजाम करें।

इस्को की बात हमारे तिवारी जी ने कही। हमें खुशी है कि इस विभाग में जो आपके प्रमुख सचिव हैं उनका श्रम विभाग से बहुत पुराना सम्बन्ध रहा है। इस बात की तो मुझे खुशी है कि आप काम तेजी से चलाना चाहते हैं, लेकिन एक निवेदन मैं गुप्ता जी से करना चाहता हूं। काम आप जरूर तेज लीजिये, उसके बारे में बम्बई को चिट्ठी लिखिए और उनसे पूछिए कि वहां कैसे-कैसे और क्या-क्या काम होता है, लेकिन यह भी तो पूछिए कि वह तनख्वाह क्या देते हैं? सेक्रेटरी साहब से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि अबकी बार आप जो चिट्ठी लिखें उसमें यह भी जरूर पूछें कि उनकी तनख्वाह क्या है वहां? हमें मंजूर है वहां का काम और वहां की तनख्वाह। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस दृष्टि से अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो जरूर इनका हल निकल आयेगा। हमारी और बहुत सारी जो दुश्वारियां हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे आशा है कि यदि सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मैनेजमेंट से जो अपील माननीय मंत्री जी ने की है, उसको उन्होंने सुना और उसके अनुसार कार्य

किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि वह करेंगे, तो मैं अपने मजदूर संगठनों की ओर से माननीय मन्त्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा हर कदम पर उनसे सहयोग होगा और हमारा हर कदम आगे बढ़ने का होगा ताकि उसमें उन्नति हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बजट आपके सामने छापेखाने का है मैं उसकी ताईद करता हूं। कुछ चन्द शब्द कहना भी चाहता हूं। वहां के अफसरान जो कार्यवाही करते हैं उसके सम्बन्ध में सिर्फ हरिजनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हरिजन वहां जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाती। कोटा भी जो हमारा है उस कोटे को भी पूरा नहीं किया जाता। इसके लिए बहुत कुछ कहा सुना गया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी जांच करे। जो कोटा हरिजनों का है वह छापेखानों में क्यों नहीं रखा जाता। दूसरी बात तरक्की की भी है। बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं एक एक बात कहूंगा। एक शख्श, जो मशीन मैन है पुराना है, वह हरिजन है और काफी लोगों को सिखाता है उसको तरक्की नहीं दी जाती। एक बंगाली लड़का थोड़े दिनों से आता है और वह उसको काम सिखाता है, उसके अन्डर में वह काम सीखता है, लेकिन जब तरक्की का वक्त आता है तो बंगाली साहब को तरक्की दे दी जाती है, वह हरिजन रह जाता है। इसकी भी जांच कर ली जाय। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और भी बहुत सी बातें हैं। मिलने का भी वहां एक तमाशा है कि मैं उसका क्या जिक्र करूं। अगर मिनिस्टर साहब के पास या आप लोगों के पास जाऊं तो दो मिनट तीन मिनट बिठला कर मिल लेते हैं। उनके यहां तमाशा ऐसा है कि मैं गया एक दफा एक लड़के के सम्बन्ध में। वह तीस रुपये पर एक काम करता था। उसने मुझसे कहा क्लर्की की एक जगह हो रही थी। मैं गया। मैंने चिट दिया और चिट दे कर बैठा रहा। बैठे बैठे एक घंटा हो गया, बराबर लोग आते जाते रहे, मगर मुझे नहीं बुलाया गया और इसके बाद वह निकले और मोटर पर बैठे और कहा कि नैनी जा रहे हैं आप फिर मिल लीजियेगा। दूसरे दिन फिर गया। लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूं, प्यारेलाल सोंधी साहब का, उनके पास शिकायत ले कर गया, जो कि सेक्रेटरी हैं, उनसे कहा। उन्होंने उसको क्लर्की की जगह दिला दी। मैं शुक्रगुजार हूं उनका। लेकिन सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब मिलने को भी तैयार नहीं। और भी बहुत सी बात हैं उनके सम्बन्ध में, मैं ज्यादा क्या कहूं बहुगुणा साहब ने कुछ नहीं कहा। वह ज्यादा टच में हैं उनके। मैं उतना नहीं हूं। एक शख्स लिफ्टर बाइन्डर है। उसको एक गज कपड़े की चोरी लगी। मुकदमा हुआ वह बरी हो गया। मुस्तकिल था। बावजूद कोशिश करने के उसको नहीं रखा गया। लेकिन ऐसे और कई केस हुये जो मुकदमें से बरी हुए और उनको रख लिया गया। तो वहां तो जनाब मन मानी है, अन्धेरगर्दी है। मैं नहीं जानता कि कब वह सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब हटेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह जो दिक्कत हमारे अछूत भाइयों की है, कम से कम उस जगह पर कि सरकार का खास काम है और कम से कम वहां ऐसे आदमी मेहनती मिलते हैं उनमें ज्यादा क्वालीफिकेशन की जरूरत नहीं है, टेक्निकल लोग ही उसमें रखे जाते हैं, तो इस लिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट उसकी जांच करे और अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था करें।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—अध्यक्ष महोदय, छापेखाने के सम्बन्ध में १५ लाख १५ हजार की बढ़ती है। यह बढ़ती की गई है आर्टिस्ट के लिये, नये डिजाइनर के लिये और दूसरे कामों के लिये, लेकिन मजदूरों के लिये जो बोनस और भत्ता दिया जाता है और दिया जायगा वह किस अनुपात से और किस हिसाब से दिया जायगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। मजदूरों की समस्या सब जगह भयानक है, क्योंकि इसमें हड़तालें और आन्दोलन उठ खड़े होते हैं। अगर उनको काफी बोनस और भत्ता दिया जाय और हिस्सा रसदी दिया जाय

[श्री टीकाराम]

तो वह गुंजाइश न हो ? सिर्फ छापे की दृष्टि से, या रोजगार की दृष्टि से ही छापाखाना न चलाया जाय, मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखा जाय, इनकी मजदूरी को मुनासिब तरीके से रखा जाय। मुझे इत्तिला मिली कि गवर्नमेंट प्रेस में टेंडर लेते हैं और टेंडर देने के बाद छपाई टेंडर से कराते हैं और छपाई कराने के बाद जब आदमी दाम लेता है तो फिर कटौती करते हैं। तो गवर्नमेंट अपना स्टेन्डर्ड रख ले कि इस नियम से लेंगे और इस नियम से देंगे। लेकिन वह ऐसा नहीं करती और जब मजदूरी के लिये ऐसा नहीं करती तो अपने लिये तो सुभीता रखे और मजदूरों का ख्याल रखे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले तो माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। नहीं तो फिर वह दोबारा बोलेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह तो केवल एक दिन के लिये आपने प्रणाली रखी थी।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, यह नियम देखिये। मैं आपको बतलाऊं कि क्या नियम है।

१८५ नियम आप देखे उसमें इस प्रकार दिया है—

"The Minister to whose department the matter under discussion relates shall have the right of speaking after the mover whether he has previously spoken in the debate or not."

अगर माननीय मंत्री जी इस वक्त बोलेंगे और फिर उसके बाद आप बोलेंगे तो फिर उनको बोलने का मौका मिलेगा। इसीलिये मैंने उनके बोलने का एक अवसर काट दिया और अब तो केवल १० मिनट ही बाकी हैं। ऐसे अवसर पर मैं उनको दोबारा बोलने का मौका नहीं दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिर्फ ५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय यदि माननीय मंत्री जी की स्पीच उस समय के अन्दर न खत्म हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो आप उनको आखिर में ही बोलने का मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष—मैंने मंत्री जी के बीच में बोलने का अधिकार छीन लिया है। अगर आप चाहते हैं और मंत्री जी इस बात के लिये तैयार हों तो उन्हें इस समय भी बोलने का मौका दिया जा सकता है लेकिन उनको दोबारा मौका फिर भी मिलेगा। इसलिए कृपया आप ही जवाब दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं बहुगुणा जी का आभारी हूं कि उन्होंने कई तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये हैं और बड़ी मीठी भाषा में सरकार को बड़ी कड़वी चपेट लगायी है। उन्होंने एक शिकायत यह की कि चार वर्षों से मजदूरों के वेतन का प्रश्न विचाराधीन है और उस पर कब तक विचार का अन्त होगा इसका अभी तक कोई समय निश्चित नहीं है। मैं तो समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी को मालूम है कि सरकार की जैसी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसी प्रकार विचाराधीन विषयों के लिये पंचवर्षीय योजना है। उसके चार साल समाप्त हो गये हैं और पांचवा साल भी एक महीने बाद समाप्त हो जायगा और फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जायगी। इसलिये इस पर अभी विचार अन्त होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। उस पर विचार हो रहा है यह समझ कर ही हमें संतोष कर लेना चाहिये। और मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में इतना ही सन्तोष होगा जितना हमें

है । लेकिन अगर माननीय मंत्री जी बहुगुणा जी का इशारा समझ सकते हैं तो इस योजना के अध्याय को समाप्त होना चाहिये और कोई नये प्रकार से योजना बनानी चाहिये । जो पार्टिसिपेशन की स्कीम यूनियन की ओर से भेजी गयी है, मैं समझता हूं कि इसको सरकार स्वीकार कर लेगी और एक नमूना कम से कम गवर्नमेंट प्रेस में तो हम सब के सामने पेश करेगी ।

*नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर माननीय नारायण दत्त जी, बहुगुणा जी और अन्य सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं इसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं । नारायण दत्त जी ने वर्कसी के पार्टिसिपेशन के लिये जो सुझाव दिये हैं अभी केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी उस पर अमल नहीं हुआ है, और तभी तो यह विचाराधीन स्थिति में है और जिस वक्त केन्द्रीय सरकार इस पर अमल करेगी, तब इस प्रदेश में भी पब्लिक सेक्टर में जितने उद्योग हैं उनके बारे में अवश्य विचार किया जायगा ।

बहुगुणा जी का यह सुझाव कि मैनेजमेंट के साथ वर्कर्स का आपस में एक सम्बन्ध हो और जो सामयिक प्रश्न आते हैं, उनके सुलझाने का अवसर उनको मिले, यह पहले से विभाग के पास है । इस सम्बन्ध में लेबर कमिश्नर से भी बातचीत की है और वहां के अधीक्षक का मत भी इसमें लिया गया है । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि इस में कोई सन्देह नहीं कि यह सुझाव ऐसा है जिस पर विचार किया जाना चाहिये और ऐसा मालूम होता है कि इस सुझाव से बहुत सी कठिनाइयां जो वर्कर्स की हैं वे दूर हो जायंगी । मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही इस प्रश्न पर विचार निर्णय किया जायगा ।

यह सुझाव दिया गया कि वर्कर्स के स्केल के आधार पर उनका वेतन क्रम निश्चित हो । नारायण दत्त ने कहा कि इसको चार वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ । मैं उनसे बताना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना का अभी एक साल और बाकी है और इतना मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि इस पंच वर्षीय योजना के समय के अन्दर ही अन्दर इसका निर्णय हो जायगा । एस० पी० एस० की रिपोर्ट आ चुकी है और विभाग के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है । मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय हो जायगा ।

नारायणदत्त जी को एक बहुत बड़ी आशंका रेशनलाइजेशन की है । तो इस वक्त भी गवर्नमेंट प्रेस के अन्दर लगभग दो-तिहाई मजदूर परमानेन्ट हैं । तो जहां तक इनको से सलाह लेने का सवाल है, यह उनकी आशंका निराधार है कि कोई छटनी होगी । जैसा कि तीन-चार साल के अर्से में स्वयं नारायण दत्त जी ने देखा है कि गवर्नमेंट का कार्य इस कदर बढ़ गया है, प्रकाशन का कार्य बहुत बढ़ गया है, बजट तिगुने से भी अधिक हो गया है और फिर पंच वर्षीय योजना है और दूसरे विभागों का कार्य इतना बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रेस का कार्य बढ़े । भाटिया कमेटी जो नियुक्त की गयी थी उसने रिपोर्ट के अन्दर बतलाया था कि ३७ लाख रुपये से अधिक की मशीनरी की हमको आवश्यकता होगी, कारखाने को बढ़ाने के लिये, और क्रमानुसार मशीनरी के आर्डर्स भी दिये गये हैं इन तीन सालों के अन्दर । इस वर्ष भी दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में भी ८ लाख की मशीनरी मंगाई जायगी । तो ३७ लाख रुपये की नयी मशीनरी आने की वजह से जो देरी हुई, जिसकी शिकायत नारायण दत्त जी ने भी की थी कि रिपोर्ट सन् ५० की थी वह ५४ तक पड़ी रही, उसका कारण यह था । तो रेशनलाइजेशन से उनका यह भय कि मजदूरों की छटनी की जायगी बिलकुल निराधार है । लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसी दास]

इतना हम जरूर चाहते हैं कि यदि उनका वेतन बढ़े तो कार्य की क्षमता भी बढ़े, कम से कम एक मजदूर का आउटपुट बढ़े। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार की आशंका करना बिलकुल निर्मूल है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी।

अभी आपने कहा कि वहां एक मुख्य आर्टिस्ट के रखे जाने की वजह से आर्टिस्ट बेरोजगार हो जायंगे। गवर्नमेंट ने तो उल्टे रोजगार प्रोवाइड किया है और एक आर्टिस्ट के लिये गजटेड पोस्ट पैदा की है। इससे रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी नहीं होगी। हम लोग व्यक्तिगत प्रेसेज को काफी काम देते हैं। एक डिजाइनर जो रखा गया है, अगर उसके पास काम ज्यादा है तो प्राइवेट आर्टिस्ट और डिजाइनर्स की सहायता ली जायगी। इसमें किसी प्रकार से आर्टिस्ट और डिजाइनर्स के अन्दर बेरोजगारी बढ़ने का सवाल नहीं है।

इसी प्रकार से मजदूरों के मुस्तकिल करने के बारे में भी कहा गया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया प्रेस में दो तिहाई मजदूर स्थायी हैं और पार साल भी काफी मजदूर स्थायी किये गये हैं और इस वर्ष भी किये जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की नीति है कि जितनी जगहें हों उन जगहों पर उत्तरोत्तर मजदूरों को ही मुस्तलिक कर दिया जाय। इसमें कोई भेद मालूम नहीं होता है। १९५० की रिपोर्ट ५ साल में छपी, इस मामले की जरूर जांच की जायगी और आयन्दा इस प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जायगा लेकिन इस बीच में एक बड़ी कठिनाई यह होती रही है कि प्रेस का कार्य काफी बढ़ गया है। विभागों का काम भी प्रेस पर काफी बढ़ता चला जा रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति आई है जब आवश्यक प्रकाशनों को प्राथमिकता दी गई है। इस वजह से भी रिपोर्ट के छापने में देरी हो सकती है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की देरी जो होती है वह आगे नहीं होगी और सरकार इस मामले में काफी जाग्रत है।

अभी जहां तक काफीडेंशियल विभाग और साइकिल स्टैन्ड के बारे में कहा गया तो वह ऐसे प्रश्न हैं, जिनसे मजदूरों को सुविधा हो सकती है, इन पर आवश्यक विचार किया जायगा। यदि उनके कार्य को देखते हुये और उनके उत्तरदायित्व को देखते हुए एलाउन्सेज वगैरा की जरूरत होगी तो उसको देखा जायगा।

जहां तक हरिजनों को जगह देने के बारे में सवाल है, सरकार ने अपनी नीति घोषित की है और इसकी जांच की जायगी कि इस समय प्रेस में कितने हरिजन हैं और उस समय तक प्राथमिकता हरिजनों को दी जायगी जब तक कि उनका अनुपात पूरा नहीं हो जाता है। आपको यह सुन कर हर्ष होगा कि गवर्नमेंट प्रेस के अन्दर मजदूरों का संबंध बहुत ही अच्छा है और न वहां मजदूरों की हड़ताल होती है और उनकी सर्विस कन्डीशन्स भी औरों के मुकाबले में काफी अच्छी हैं।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय टीकाराम जी ने एक प्राइवेट प्रेस का जिक्र किया। जिन प्राइवेट प्रेसेज से सरकारी काम लिया जाता है, उनके टेंडर होते हैं, और गवर्नमेंट की उनसे कुछ शर्तें तय होती हैं। यदि कोई प्रेस छपाई में उन शर्तों को पूरी नहीं करता है, तो शर्तों के अनुसार छपाई में से पैसा काट लिया जाता है। यह तो बिजनेस का सीधा-सादा उसूल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मैं एक बार फिर आपके मूल्यवान सुझावों के लिये आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह अनुदान स्वीकृत किया जायगा।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७––लेखन सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६––लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना) में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७––लेखन सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६––लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना) के अन्तर्गत १,०७,६०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ मार्च, १९५६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये ६ मार्च, १९५६ के स्थगित किये हुए तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८ पर)

जौनपुर जिले में मुंसिफी की अदालत में बकाया मुकदमों की संख्या :

नाम अदालत	बकाया मुकदमों की कुल संख्या	छः माह से ऊपर और एक वर्ष से कम के मुकदमे	एक वर्ष से ऊपर परन्तु २ वर्ष से कम के मुकदमे	दो वर्ष से ऊपर के मुकदमे
सिटी मुंसिफ ..	१,७३८	३००	३७२	३०३
जौनपुर मुंसिफ ..	१,४४४	२४८	४५९	१५६
शाहगंज मुंसिफ ..	१,७६२	२३३	५८९	२३४
अतिरिक्त मुंसिफ १	२९५	..	१४६	१४९
अतिरिक्त मुंसिफ २	३९६	१००	२२८	६५
कुल ..	५,६३५	८८१	१,७९४	९०७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये १३ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

घाघरा नदी के किनारे, बलिया जिले में निम्नलिखित बाढ़पीड़ित ग्रामों का स्तर ऊंचा करने का कार्य प्रगति पर है—

१—उंभाव

२—मझौलिया

३—करीबगंज

४—बिलथरा बजार

५—सियान

६—सोनबरसा

७—मटिया

८—हल्दी

९—रामपुर

१०—बिहारा

११—दूवा

१२—कठौडा

१३—सीसोदार

१४—बिसरसा

१५—गोसाईंपुर

१६—आदमपुर

१७—सोनपा

१८—गायघाट

१९—डेरा मनियर नं० २

२०—दुरोंधा

२१—अलखगढ़ डेरा

२२—डेरा मनियर नं० १

२३—धनौंती

२४—बघोढा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

टोंस के किनारे बलिया जिले में निम्नलिखित बाढ़पीड़ित ग्रामों का स्तर ऊंचा करने का कार्य प्रगति पर है।

१—बानीगढ़

२—कुनडहर रघुनन्दन अहिर का टोला

३—पुनवासी अहिर का टोला

४—मिर्जापुर

५—जबनिया १

६—जबनिया २

७—आमघाट

८—पियारी अहिर का टोला

९—लक्ष्मीसिंह का पुरा

१०—मंजपुर

११—नगवा

१२—सिलहटा

१३—धनईपुर

१४—थंचा

१५—कोनिया

१६—चिरकुटहा

१७—बलुआ

१८—फरीदपुर

१९—बहरामपुर

२०—नसीरपुर

२१—पिपरसाव

२२—अतरसुइया

२३—कुंडरहा

२४—टिकारी

२५—लखन अहीर का टोला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये १३ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

तालिका

	गाजीपुर	सैदपुर	मुहम्मदाबाद	जमानियां
१—१४,६०० अनुदान १९५४–५५ १४,६०० ,, १९५३–५४	..	१२,७५३	७,२६०	९,१८७
२—२०,००० अनुदान १९५४-५५ २१,९१५ बोर्ड की रकम	२१,६१७	२,८३४	१३,७६१	३,७०३
३—२०,००० अनुदान १९५४-५५	४,१००	७००	७,०००	..
योग	२५,७१७	१६,२८७	२८,०२१	१२,८९०

विधान सभा उत्तर प्रदेश